



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 माघ, 1947 (श०)

संख्या - 33 राँची, बुधवार,

21 जनवरी, 2026 (ई०)

झारखण्ड राज्य विद्युतनियामक आयोग (विद्युत उत्पादन दर निर्धारण की शर्तें एवं नियमावली) विनियम, 2025

अधिसूचना

16 जनवरी, 2026

सूचना संख्या - 124--विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (जेडडी), (जेडइ) और (जेडएफ) के साथ-साथ उक्त अधिनियम की धाराएँ 61, 62 और 86 को पढ़ते हुए और इस संबंध में प्राप्त सभी अन्य शक्तियों का उपयोग करते हुए झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए जाते हैं। यह विनियम अधिनियम की धाराओं 61 एवं 62 में निहित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है ताकि झारखंड राज्य के भीतर स्थित विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा प्रतिस्पर्धा, दक्षता, संसाधनों के आर्थिक उपयोग, उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा सर्वोत्तम निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके तथा विद्युत उत्पादन के लिए किए गए विवेकपूर्ण व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु उस उत्पादक कंपनी द्वारा वसूले जाने योग्य बहुवर्षीय दरके निर्धारण के लिए प्रावधान किया जा सके।

अध्याय-1

प्रभाव क्षेत्र, प्रयोजन एवं परिभाषाएँ

A 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- 1.1 इन विनियमों को "झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत उत्पादन दर निर्धारण की शर्तें एवं नियमावली) विनियम, 2025" कहा जाएगा।
- 1.2 ये विनियम झारखंड सरकार के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 की अवधि के लिए प्रभावी होंगे तथा आयोग द्वारा पूर्व में पुनरीक्षण या विस्तार किए जाने तक 31 मार्च, 2031 तक प्रभाव में बने रहेंगे:

यह उपबंधित है कि जिन उत्पादन स्टेशनों या उनके इकाइयों को इन विनियमों के प्रारंभ की तिथि से पूर्व वाणिज्यिक संचालन हेतु घोषित किया गया है और जिनका दर निर्धारण उस तिथि तक आयोग द्वारा अंतिम रूप से नहीं किया गया है, ऐसे उत्पादन स्टेशनों या उनकी इकाइयों की 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए दर का निर्धारण, झा.रा.वि.आ. (विद्युत उत्पादन दर निर्धारण की शर्तें एवं नियमावली) विनियम, 2020; झा.रा.वि.आ. (विद्युत उत्पादन दर निर्धारण की शर्तें एवं नियमावली) विनियम, 2015; झा.रा.वि.आ. (विद्युत उत्पादन दर निर्धारण की शर्तें एवं नियमावली) विनियम, 2010; झा.रा.वि.आ. (दर निर्धारण की शर्तें एवं नियमावली, बहुवर्षीय दर रूपरेखा) विनियम, 2007; तथा झा.रा.वि.आ. (तापीय विद्युत उत्पादन दर निर्धारण की शर्तें एवं नियमावली) विनियम, 2004, यथास्थिति उनके सभी संशोधनों सहित, के अनुसार किया जाएगा।

- 1.3 ये विनियम पूरे झारखंड राज्य पर लागू होंगे।
- 1.4 ये विनियम झा.रा.वि.आ. (विद्युत उत्पादन दर निर्धारण की शर्तें एवं नियमावली) विनियम, 2020; झा.रा.वि.आ. (विद्युत उत्पादन दर निर्धारण की शर्तें एवं नियमावली) विनियम, 2015; झा.रा.वि.आ. (विद्युत उत्पादन दर निर्धारण की शर्तें एवं नियमावली) विनियम, 2010; झा.रा.वि.आ. (दर निर्धारण की शर्तें एवं नियमावली, बहुवर्षीय दर रूपरेखा) विनियम, 2007; तथा झा.रा.वि.आ. (तापीय विद्युत उत्पादन दर निर्धारण की शर्तें एवं नियमावली) विनियम, 2004, यथास्थिति उनके सभी संशोधनों सहित, को निरस्त करेंगे।

स्पष्टीकरण :- सभी उद्देश्यों के लिए, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2026 तक की समीक्षा संबंधी मामले भी शामिल हैं, दर निर्धारण से संबंधित विषयों का संचालन झा.रा.वि.आ. (विद्युत उत्पादन दर निर्धारण की शर्तें एवं नियमावली) विनियम, 2020; झा.रा.वि.आ. (विद्युत उत्पादन दर निर्धारण की शर्तें एवं नियमावली) विनियम, 2015; झा.रा.वि.आ. (विद्युत उत्पादन दर निर्धारण की शर्तें एवं नियमावली) विनियम, 2010; झा.रा.वि.आ. (दर निर्धारण की शर्तें एवं नियमावली, बहुवर्षीय दर रूपरेखा) विनियम, 2007; तथा झा.रा.वि.आ. (तापीय विद्युत उत्पादन दर निर्धारण की शर्तें एवं नियमावली) विनियम, 2004, उनके सभी संशोधनों सहित, यथास्थिति लागू होंगे।

A 2. विनियमों का दायरा एवं अनुप्रयोग की सीमा

- 2.1 ये विनियम उन सभी मामलों में लागू होंगे जहाँ किसी उत्पादन स्टेशन अथवा उसकी किसी इकाई की दर का निर्धारण अधिनियम की धारा 62 के साथ धारा 86 के अंतर्गत आयोग द्वारा किया जाना आवश्यक हो।
- 2.2 इन विनियमों का लागू न होना निम्नलिखित मामलों पर होगा -
1. ऐसे उत्पादन स्टेशन, जिनकी दरें केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार दर-आधारित प्रतिस्पर्धात्मक चयन के माध्यम से निर्धारित की गई हों तथा जिन्हें आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
 2. पुनःनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित उत्पादन स्टेशन।

A 3. परिभाषाएँ एवं व्याख्याएँ

इन विनियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ निम्न प्रकार होंगे -

1. 'लेखांकन विवरण' का अर्थ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित होगा -
 - (i) वह बैलेंस शीट, जो कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके पूर्ववर्ती अधिनियमों में निहित प्रपत्र के अनुसार, यथाप्रयोज्य, तैयार की गई हो;
 - (ii) वह नकदी प्रवाह विवरण, जो भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार की गई हो;
 - (iii) वे लागत लेखा अभिलेख, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 तथा उसके पूर्ववर्ती अधिनियमों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा, यथाप्रयोज्य, विनिर्दिष्ट किए गए हों।
 - (iv) उन पर लेखा टिप्पणियाँ तथा अन्य सहायक विवरण और सूचनाएँ, जो वित्तीय विवरणों का भाग हों या समय-समय पर आयोग द्वारा निर्देशित की जाएँ;
 - (v) लाभ और हानि खाते, जो कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके पूर्ववर्ती अधिनियमों में निहित आवश्यकताओं के अनुरूप, यथाप्रयोज्य, तैयार किया गया हो;
 - (vi) वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, जिसमें सभी संलग्नक और परिशिष्ट यथा प्रयोज्य सम्मिलित हों;

- (vii) दर विनियमनहेतु आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित किसी भी या सभी प्रारूपोंसहित, संबंधित वर्ष के बहुवर्षीय दर निर्धारणसे संबद्ध प्रारूप;
- (viii) वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित सामंजस्य विवरण, जिसमें कंपनी के रूप में इकाई के कुल व्यय, राजस्व, परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ तथा आयोग द्वारा विनियमित प्रत्येक व्यवसाय और अविनियमित व्यवसायों के लिए पृथक रूप से व्यय, राजस्व, परिसंपत्तियाँ और देनदारियों के बीच सामंजस्य प्रदर्शित किया गया हो।
2. 'अधिनियम'से अभिप्राय विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) और उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों से है;
3. 'अतिरिक्त पूँजीकरण'से अभिप्राय उस पूँजीगत व्यय से है जो परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि के बाद किया गया और पूँजीकृतकिया गया है अथवा पूँजीकरण हेतु प्रस्तावित है, तथा जिसे इन विनियमों के उपखंड 14.1 से 14.4 के प्रावधानों के अधीन, आयोग द्वारा विवेकपूर्ण परीक्षणके पश्चात अनुमोदित किया गया हो;
4. 'सकल राजस्व आवश्यकता' (ARR) से अभिप्राय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, उत्पादन कंपनी द्वारा किए गए उन लागतों से है जो इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित दरों एवं प्रभारोंके माध्यम से वसूल करने योग्यहों;
5. 'आवेदक'से अभिप्राय उस उत्पादन कंपनी से है जिसने अधिनियम और इन विनियमों के अनुसार दर निर्धारणहेतु या समायोजन(टूअप)या वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा हेतु याचिका दायर की हो, और इसमें वह उत्पादन कंपनी भी सम्मिलित होगी जिसकी दर का परीक्षण आयोग द्वारा किया जा रहा हो।
6. 'सहायक ऊर्जा उपभोग'अथवा 'Aux' से, किसी उत्पादन स्टेशन के संदर्भ में किसी अवधि में, उस उत्पादन स्टेशन के सहायक उपकरणों द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है, जैसे कि उत्पादन स्टेशन के संयंत्र और यंत्रों के संचालन हेतु प्रयुक्त उपकरण, स्विचयार्ड सहित, तथा उत्पादन स्टेशन के अंतर्गत ट्रांसफॉर्मर हानियाँ। इसे उत्पादन स्टेशन की सभी इकाइयों के जनरेटर टर्मिनलों पर उत्पन्न सकल ऊर्जा के योग के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाएगा:

यह उपबंधित है कि सहायक ऊर्जा उपभोग में उन ऊर्जा मात्राओं को सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो आवासीय कॉलोनी और अन्य सुविधाओं को विद्युत आपूर्ति हेतु अथवा उत्पादन स्टेशन और एकीकृत कोयला खदान में निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त की गई हों

यह भी उपबंधित है कि संशोधित उत्सर्जन मानकों, सीवेज शोधन संयंत्र एवं बाह्य कोयला हैंडलिंग संयंत्र जैसे जेट्टी तथा संबद्ध अवसंरचना के लिए प्रयुक्त सहायक ऊर्जा उपभोग को पृथक रूप से गणना में लिया जाएगा।

7. 'लेखा परीक्षक' से अभिप्राय उस लेखा परीक्षक से है जिसे उत्पादन कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित, अथवा उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अंतर्गत नियुक्त किया गया हो
8. 'बैंक दर' से अभिप्राय भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष की सीमांत ऋण वितरण लागत दर (MCLR) या उसकी स्थानापन्न दर से है, जो समय-समय पर प्रभावी हो;
9. 'आधार वर्ष' से अभिप्राय वित्तीय वर्ष 2025-26 से है, जिसे इन विनियमों के उद्देश्यों हेतु प्रयुक्त किया जाएगा;
10. 'लाभार्थी', अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के खंड (क) या (ख) के अंतर्गत आने वाले उत्पादन स्टेशन के संदर्भ में, उस वितरण लाइसेंसधारी से है जो ऐसे उत्पादन स्टेशन पर उत्पन्न विद्युत का क्रय उपयुक्त प्रभारों के भुगतान पर विद्युत क्रय अनुबंध में सीधे या व्यापार लाइसेंसधारी के माध्यम से प्रवेश करके करता है:

यह उपबंधित है कि जहाँ वितरण लाइसेंसधारी विद्युत की खरीद किसी व्यापार लाइसेंसधारी के माध्यम से कर रहा हो, वहाँ ऐसी व्यवस्था व्यापार लाइसेंसधारी द्वारा विद्युत क्रय अनुबंध और विद्युत विक्रय अनुबंध के पारस्परिक (Back-to-Back) निष्पादन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी;

11. 'संयंत्र इकाई', कंबाइंडसाइकलथर्मलजनरेटिंगस्टेशन के संदर्भ में, दहन टरबाइन-जनरेटर, संबंधित अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति बायलर, संबद्ध भाप टरबाइन-जनरेटर तथा सहायक उपकरणों को सम्मिलित करता है।
12. 'पूँजी लागत' से अभिप्राय उस पूँजीगत लागत से है जिसका निर्धारण इन विनियमों के अनुभाग 'क' की धारा 13 के अनुसार किया गया हो;
13. 'धारण लागत' से अभिप्राय अंतर/अधिशेष राशि पर देय ब्याज राशि से है, जो एसबीआई एमसीएलआर दर में 200 बेसिस प्वाइंट जोड़कर निर्धारित की जाएगी।
14. 'केन्द्रीय विद्युत आयोग' (CERC) से अभिप्राय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग से है;
15. 'कानून में परिवर्तन' से अभिप्राय निम्नलिखित में से किसी भी घटना की घटित होने से है -
i. किसी नए भारतीय विधि का अधिनियमन, प्रभाव में लाया जाना या अधिसूचना द्वारा प्रवर्तन; या

- ii. किसी वर्तमान भारतीय विधि का अंगीकरण, संशोधन, परिवर्तन, निरसन या पुनः अधिनियमन; या
- iii. किसी सक्षम न्यायालय, न्यायाधिकरण या भारतीय शासकीय संस्था द्वारा किसी भारतीय विधि की व्याख्या या अनुप्रयोग में परिवर्तन, जो ऐसी व्याख्या या अनुप्रयोग के लिए विधि के अधीन अंतिम प्राधिकारी हो; या
- iv. किसी सक्षम वैधानिक प्राधिकारी द्वारा परियोजना के लिए उपलब्ध अथवा प्राप्त किसी स्वीकृति, मंजूरी, स्वच्छता प्रमाणन या अनुज्ञापत्र की किसी शर्त या उपबंध में परिवर्तन; या
- v. भारत सरकार और किसी अन्य संप्रभु सरकार के बीच संपन्न किसी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते / संधि का प्रभाव में आना अथवा उसमें परिवर्तन, जिसका प्रभाव इन विनियमों के अंतर्गत विनियमित उत्पादन स्टेशन पर पड़े।
16. 'आयोग' से अभिप्राय झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (JSERC) से है;
17. 'व्यवसाय संचालन विनियम' से अभिप्राय झा.रा.वि.आ. (व्यवसाय संचालन) विनियम, 2024 से है, जिनमें समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है;
18. 'नियंत्रण अवधि' से अभिप्राय उस बहुवर्षीय अवधि से है जिसे आयोग द्वारा 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक निर्धारित किया गया हो;
19. 'कट-ऑफ तिथि' से अभिप्राय उस वर्ष की 31 मार्च की तिथि से है जो परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन वर्ष के दो वर्ष पश्चात समापन वर्ष हो; तथापि, यदि परियोजना को किसी वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में वाणिज्यिक परिचालन के लिए घोषित किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में 'कट-ऑफ तिथि' उस वर्ष की 31 मार्च मानी जाएगी जो वाणिज्यिक परिचालन वर्ष के तीन वर्ष पश्चात समाप्त हो:
- यह उपबंधित है कि यदि दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध हो जाए कि उत्पादन कंपनी के नियंत्रण से परे कारणों के कारण कट-ऑफ तिथि के भीतर पूँजीकरण (Capitalization) नहीं किया जा सका, तो आयोग द्वारा कट-ऑफ तिथि का विस्तार किया जा सकता है;
20. 'वाणिज्यिक परिचालन की तिथि' (COD) से अभिप्राय है – तापीय उत्पादन स्टेशन या जल विद्युत उत्पादन स्टेशन अथवा पारेषण प्रणाली के संबंध में" का वही अर्थ होगा, जो समय-समय पर संशोधित ग्रिड कोड में परिभाषित किया गया है ।
21. 'दिन' से अभिप्राय 00:00 घंटे से प्रारंभ होने वाली 24 घंटे की अवधि से है;
22. 'घोषित क्षमता' (DC) से अभिप्राय उस क्षमता से है जो किसी उत्पादन स्टेशन द्वारा, किसी विशेष समय-खंड या संपूर्ण दिन के लिए, ईक्स-बस (Ex-Bus) विद्युत आपूर्ति की दृष्टि से

मेगावाट (MW) में घोषित की जाती है, जिसमें इंधन या जल की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाता है, तथा संबंधित विनियमों में निहित अन्य शर्तों के अधीन है;

23. 'अपूँजीकरण' से अभिप्राय उन परिसंपत्तियोंसे संबंधित स्थिर परिसंपत्ति में कमी से है, जो सेवा से बाहर कर दी गई हों, और इन विनियमों के अंतर्गत दर निर्धारण (Tariff) के उद्देश्य से परियोजना की सकल स्थिर परिसंपत्तियों में घटोतरी के रूप में मानी जाती हैं;
24. 'सेवा-निवृत्ति' से अभिप्राय किसी उत्पादन स्टेशन या उसकी किसी इकाई को सेवा से बाहर करने से है, जब यह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण या किसी अन्य अधिकृत संस्था द्वारा, स्वतः अथवा परियोजना अभिकर्ता अथवा लाभार्थियों या दोनों द्वारा किए गए आवेदन पर प्रमाणित किया जाए कि तकनीकी अप्रचलन, अलाभकारी संचालन या इन दोनों कारणों के संयुक्त प्रभाव के कारण परियोजना का संचालन संभव नहीं है।
25. 'परिकल्पित ऊर्जा' से अभिप्राय उस ऊर्जा मात्रा से है जो किसी जलविद्युत उत्पादन स्टेशन की अधिष्ठापित क्षमता के 95 प्रतिशत उपयोग के साथ, 90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष में उत्पन्न की जा सकती है;
26. 'व्यय किया गया राशि' से अभिप्राय उस निधि (Equity अथवा Debt अथवा दोनों) से है जो किसी उपयोगी परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए वास्तव में नियोजित की गई हो और नकद या नकदी समकक्ष में भुगतान की गई हो, इसमें वे प्रतिजाँ या उत्तरदायित्व शामिल नहीं होंगे जिनके लिए कोई भुगतान नहीं किया गया है;
27. 'विद्यमान उत्पादन स्टेशन' से अभिप्राय उस उत्पादन स्टेशन से है जिसे 1 अप्रैल, 2026 से पूर्व वाणिज्यिक परिचालन के लिए घोषित किया गया हो;
28. 'विस्तारित आयु' से अभिप्राय किसी उत्पादन स्टेशन अथवा उसकी इकाई की उपयोगी आयु की अवधि से अधिक आयु से है, जिसे आयोग द्वारा मामलेदरमामले के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है;
29. 'वित्तीय वर्ष' से अभिप्राय ऐसी अवधि से है जो किसी कैलेंडर वर्ष की 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है और तत्पश्चात आने वाले कैलेंडर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होती है।
30. 'दैवी आपदा घटना' से, किसी भी पक्ष के संदर्भ में, ऐसी कोई घटना या परिस्थिति अथवा घटनाओं या परिस्थितियों का संयोजन अभिप्रेत है जो उस पक्ष के युक्तिसंगत नियंत्रण के बाहर हो, तथा जो उस पक्ष के किसी कार्य या चूक के कारण उत्पन्न न हुई हो और जिसे युक्तिसंगत सावधानी एवं परिश्रम के प्रयोग से भी रोका नहीं जा सकता हो; और इस सामान्य परिभाषा को सीमित किए बिना, इसमें निम्नलिखित घटनाएँ या परिस्थितियाँ सम्मिलित मानी जाएंगी -

- (i) प्राकृतिक आपदाएँ, जिनमें विद्युत चमक, तूफान, प्राकृतिक तत्वों की क्रिया, भूकंप, बाढ़, मूसलाधार वर्षा, सूखा, या कोई अन्य प्राकृतिक विपत्ति अथवा ऐसी कोई घटना जो किसी भी पक्ष के नियंत्रण से परे हो, या राज्य सरकार, केंद्र सरकार या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए किसी प्रतिबंध के कारण उत्पन्न हुई हो
- (ii) हड़तालें और औद्योगिक अशांति, जो उत्पादन कंपनी के विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में राज्यव्यापी अथवा व्यापक प्रभाव डालती हों, किन्तु उत्पादन कंपनी के अपने संगठन के अंतर्गत होने वाली हड़तालें और औद्योगिक अशांति को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा;
- (iii) युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष, विदेशी शत्रु द्वारा आक्रमण, विद्रोह, दंगे, क्रांति, आतंकवादी या सैन्य कार्रवाई;
- (iv) अपरिहार्य दुर्घटनाएँ जिनमें परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं — अग्निकांड, विस्फोट, रेडियोधर्मी प्रदूषण और विषैले रासायनिक प्रदूषण सम्मिलित होंगे।
31. 'ईंधन आपूर्ति अनुबंध' से अभिप्राय उत्पादन कंपनी और ईंधन आपूर्तिकर्ता के बीच निष्पादित उस अनुबंध से है जो लाभार्थियों को विद्युत उत्पादन और आपूर्ति के उद्देश्य से किया गया हो;
32. 'प्राप्ति अनुसार सकल ऊष्मा मान' (GCV as Received) से अभिप्राय कोयले के उस सकल ऊष्मा मान (GCV) से है जिसे तापीय उत्पादन स्टेशन के कोयला उतारने के स्थान पर मापित किया जाता है, और जिसके लिए कोयले के लदे वैगनों, ट्रकों, रोपवे, मेरी-गो-राउंड (MGR), बेल्ट कन्वेयरों तथा जहाजों से नमूने एकत्र, तैयार और परीक्षित किए जाते हैं, भारतीय मानक IS 436 (भाग-1/खंड-1)-1964 के अनुसार:
- यह उपबंधित है कि कोयले का मापन तृतीय पक्ष सैम्पलिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा, जिसे उत्पादन कंपनियों द्वारा केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार नियुक्त किया जाएगा
- यह भी उपबंधित है कि कोयले के नमूने हाथ से या हाइड्रोलिक ऑगर अथवा अन्य किसी उपयुक्त विधि से संग्रहीत किए जा सकते हैं, बशर्ते कि कर्मियों और उपकरणों की सुरक्षा का समुचित ध्यान रखा जाए।
- यह भी उपबंधित है कि उत्पादन कंपनियाँ सकल ऊष्मा मान (GCV) के मापन हेतु नमूनों के संग्रहण, तैयारी और परीक्षण के लिए किसी भी उन्नत प्रौद्योगिकीको निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगी;
33. 'उत्पादन कंपनी' से अभिप्राय किसी भी कंपनी, निकाय निगम, संघ या व्यक्तियों के समूह से है, चाहे वह निगमित हो अथवा न हो, अथवा किसी कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति से है, जो किसी उत्पादन स्टेशन का स्वामी, परिचालक या अनुरक्षक (Maintainer) हो;

34. 'उत्पादन स्टेशन' का अर्थ अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (30) में दिए गए अर्थ के समान होगा, तथा इन विनियमों के उद्देश्यों के लिए, इसमें उत्पादन स्टेशन के चरण (Stages), खंड अथवा इकाइयाँ भी सम्मिलित मानी जाएंगी;
35. 'ग्रिड संहिता' से अभिप्राय झा.रा.वि.आ. (राज्य ग्रिड संहिता) विनियम, 2008 से है, जिनमें समय-समय पर संशोधन या प्रतिस्थापन किया जा सकता है;
36. 'सकल ऊष्मा मान' (GCV), तापीय उत्पादन स्टेशन के संदर्भ में, वह ऊष्मा (Heat) की मात्रा है जो एक किलोग्राम ठोस ईंधन, या एक लीटर द्रव ईंधन, अथवा एक मानक घन मीटर गैसीय ईंधन के पूर्ण दहनसे किलो कैलोरी (kcal) में उत्पन्न होती है, जैसा मामला हो;
37. 'सकल स्टेशन ऊष्मा दर' (SHR) से अभिप्राय उस ऊष्मा ऊर्जा इनपुट (kcal) से है जो तापीय उत्पादन स्टेशन के जनरेटर टर्मिनलों पर एक यूनिट (1 किलोवाट-घंटा) विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होती है।
38. 'अन्य व्यवसाय से आय' से अभिप्राय उस आय से है जो उत्पादन कंपनी को विनियमित व्यवसाय (Regulated Business) से संबंधित परिसंपत्तियों और/या मानव संसाधन के उपयोग के बदले, दर (Tariff) के अतिरिक्त प्राप्त होती है; किन्तु इसमें गैर-दर आय सम्मिलित नहीं होगी;
39. 'अल्पकालिक विद्युत' (Infirm Power) से अभिप्राय उस विद्युत से है जो किसी उत्पादन स्टेशन की इकाई या ब्लॉक के वाणिज्यिक परिचालन से पूर्व ग्रिड में प्रविष्ट की जाती है;
40. 'अधिष्ठापित क्षमता' (IC) से अभिप्राय उत्पादन स्टेशन की सभी इकाइयों की नेम प्लेट क्षमताओं के योग से है, अथवा उस उत्पादन स्टेशन की कुल क्षमता से है जिसे जनरेटर टर्मिनलों पर गणना की जाती है), जिसे आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया गया हो;
41. 'किलो कैलोरी' (kCal) से अभिप्राय ऊष्मा ऊर्जा की उस इकाई से है जो खनिज में निहित ऊष्मा ऊर्जा सामग्री का मापन करती है, और जो किसी भी क्षणिक अवधि में उत्पन्न एक किलो कैलोरी या एक हजार कैलोरी ऊष्मा के बराबर होती है;
42. 'किलोवाट-घंटा' या 'kWh' का अर्थ एक विद्युत ऊर्जा की इकाई से है जो एक किलोवाट या एक हजार वाट की शक्ति के उत्पादन या उपभोग को एक घंटे की अवधि में मापता है।
43. 'लैंड ईंधन लागत' का अर्थ उस कोयले (सह-दहन के मामले में बायोमास सहित), लिग्नाइट या गैस की कुल लागत से है जो उत्पन्नीकरण स्टेशन के अनलोडिंग बिंदु पर पहुंचाई जाती है, और इसमें मूल मूल्य अथवा इनपुट मूल्य जहाँ लागू हो वहाँ वाशरी शुल्क परिवहन लागत

- (विदेशी या घरेलू या दोनों), हैंडलिंग लागत, तृतीय पक्ष सैंपलिंग शुल्क और लागू वैधानिक शुल्क शामिल होंगे।
44. 'लाइसेंस' का अर्थ अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रदत्त लाइसेंस से है।
45. 'मैक्सिमम कंटीन्यूअस रेटिंग' या 'MCR' का, तापीय विद्युत उत्पन्नीकरण स्टेशन की एक इकाई के संदर्भ में, अर्थ जनित्र टर्मिनलों पर अधिकतम सतत उत्पादन से है, जो निर्माता द्वारा रेटेड पैरामीटरों पर गारंटी किया गया हो; और सम्मिलित चक्र तापीय उत्पन्नीकरण स्टेशन के एक ब्लॉक के संदर्भ में, इसका अर्थ जनित्र टर्मिनलों पर अधिकतम सतत उत्पादन से है, जो निर्माता द्वारा जल/भाप इंजेक्शन (जहाँ लागू हो) के साथ गारंटी किया गया हो, और 50 हर्ट्ज ग्रिड आवृत्ति तथा निर्दिष्ट स्थलीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया गया हो।
46. 'बहु-वर्षीय टैरिफ (एमवाईटी) ढाँचा' से अभिप्राय ऐसी विनियामक प्रणाली से है, जिसमें टैरिफको वार्षिक रूप से निर्धारित करने के बजाय एक निश्चित अवधि, सामान्यतः तीन से पाँच वर्षों के लिए निर्धारित किया जाता है।
47. 'नई परियोजना' का अर्थ उस उत्पन्नीकरण स्टेशन या उसकी इकाई से है, जो 1 अप्रैल, 2026 या उसके बाद अपने वाणिज्यिक क्रियान्वयन को प्राप्त करती है।
48. 'गैर-टैरिफ आय' का अर्थ विनियमित व्यवसाय से संबंधित वह शुद्ध आय है जो टैरिफ के अतिरिक्त हो, जिसमें, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं, कबाड़ की बिक्री से प्राप्त लाभ, भूमि या भवन के किराये से आय, निवेश से आय, विविध रसीदें आदि शामिल हैं।
49. 'मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक' या 'NAPAF' का, किसी उत्पन्नीकरण स्टेशन के संदर्भ में, अर्थ उन विनियमों की उपधारा 16.1 और उपधारा 16.3 में तापीय उत्पन्नीकरण स्टेशन के लिए, तथा उपधारा 18.2 और उपधारा 18.7 में जलविद्युत उत्पन्नीकरण स्टेशन के लिए निर्दिष्ट उपलब्धता गुणांक से है।
50. 'मानक वार्षिक संयंत्र लोड गुणांक' या 'NAPLF' का, किसी उत्पन्नीकरण स्टेशन के संदर्भ में, अर्थ उन विनियमों की उपधारा 16.1 और उपधारा 16.3 में तापीय उत्पन्नीकरण स्टेशन के लिए निर्दिष्ट संयंत्र लोड गुणांक से है।
51. 'संचालन एवं अनुरक्षण व्यय' या 'O&M व्यय' का अर्थ परियोजना या उसके किसी भाग के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए किए गए व्यय से है, जिसमें जनशक्ति, मरम्मत और अनुरक्षण, स्पेयर पार्ट्स, उपभोज्य वस्तुएँ, बीमा, ओवरहेड व्यय और विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त ईंधन के अतिरिक्त अन्य ईंधन पर किया गया व्यय शामिल है।

52. 'मूल परियोजना लागत' का अर्थ वह पूंजीगत व्यय है जो उत्पन्नीकरण कंपनी द्वारा परियोजना के मूल कार्यक्षेत्र के भीतर, आयोग द्वारा स्वीकृत कट-ऑफ तिथि तक वहन किया गया हो।
53. 'संयंत्र उपलब्धता गुणांक' या 'PAF' का, किसी उत्पन्नीकरण स्टेशन के संदर्भ में किसी अवधि के लिए, अर्थ उस अवधि के सभी दिनों के लिए दैनिक घोषित क्षमताओं (DCs) के औसत से है, जिसे स्थापित क्षमता (MW में) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, और जिसमें मानक सहायक ऊर्जा उपभोग घटाया गया हो।
54. 'संयंत्र लोड गुणांक' या 'PLF' का, तापीय उत्पन्नीकरण स्टेशन या इकाई के संदर्भ में किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए, अर्थ उस अवधि में अनुसूचित उत्पादन के अनुरूप कुल प्रेषित ऊर्जा से है, जिसे उसी अवधि में स्थापित क्षमता के अनुरूप प्रेषित ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, तथा इसे निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना किया जाएगा:
- $$PLF (\%) = 100 \times \sum_{i=1}^N SGi / \{N \times IC \times (1 - Auxn)\} \%$$
- i=1
- जहाँ,
- IC = उत्पन्नीकरण स्टेशन या इकाई की स्थापित क्षमता (मेगावाट में);
- SGi = संबंधित अवधि के iवें समयखंड के लिए अनुसूचित उत्पादन (मेगावाट में);
- N = उस अवधि के समयखंडों की संख्या;
- Auxn = सकल ऊर्जा उत्पादन के प्रतिशत के रूप में मानक सहायक ऊर्जा उपभोग।
55. 'परियोजना' का अर्थ है:
- (i) तापीय उत्पन्नीकरण स्टेशन के मामले में, तापीय उत्पन्नीकरण स्टेशन के सभी घटक, जिसमें आवश्यकतानुसार एकीकृत कोयला खदान, बायोमास पेलेट हैंडलिंग प्रणाली, प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र आदि सम्मिलित हैं;
- (ii) जलविद्युत उत्पन्नीकरण स्टेशन के मामले में, जलविद्युत उत्पन्नीकरण स्टेशन के सभी घटक, जिसमें बाँध, जल प्रवेश परिवाहक प्रणाली, विद्युत उत्पादन स्टेशन आदि सम्मिलित हैं, जिन्हें विद्युत उत्पादन हेतु आबंटित किया गया हो।
56. 'विवेकपूर्ण परीक्षण' का अर्थ उन व्ययों या लागतों की विवेकपूर्ण की जांच से है, जो उत्पन्नीकरण कंपनी द्वारा इन विनियमों के अनुसार वहन किए गए या वहन किए जाने का प्रस्ताव किया गया हो।

57. 'पम्पड स्टोरेज जलविद्युत उत्पन्नीकरण स्टेशन' का अर्थ ऐसा जलविद्युत उत्पन्नीकरण स्टेशन है, जो शक्ति का उत्पादन उस ऊर्जा के माध्यम से करता है जो जल को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पम्प करके संग्रहित की गई हो।
58. 'तिमाही' का अर्थ तीन महीनों की अवधि से है, जो किसी चालू परियोजना के मामले में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के पहले दिन से प्रारंभ होती है; और नई परियोजना के मामले में, पहली तिमाही के संदर्भ में, वाणिज्यिक संचालन की तिथि से लेकर जून, सितंबर, दिसंबर या मार्च के अंतिम दिन तक की अवधि होगी, जैसा कि उपयुक्त हो।
59. 'रन-ऑफ-रिवर उत्पन्नीकरण स्टेशन' का अर्थ ऐसा जलविद्युत उत्पन्नीकरण स्टेशन है, जिसके ऊपरी हिस्से में कोई जल भंडारण नहीं होता है।
60. 'पॉन्डेज के साथ रन-ऑफ-रिवर उत्पन्नीकरण स्टेशन' का अर्थ ऐसा जलविद्युत उत्पन्नीकरण स्टेशन है, जिसमें दैनिक विद्युत मांग में उतार-चढ़ाव को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल भंडारण उपलब्ध होता है।
61. 'निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि' या 'SCOD' का अर्थ उस तिथि (या तिथियों) से है जिस पर कोई उत्पन्नीकरण स्टेशन या उसकी कोई इकाई या ब्लॉक वाणिज्यिक संचालन प्राप्त करता है, या जैसा कि निवेश स्वीकृति में निर्दिष्ट हो, अथवा विद्युत क्रय अनुबंध में सहमति की गई हो, इनमें से जो भी पहले हो।
62. 'निर्धारित ऊर्जा' का अर्थ उस ऊर्जा की मात्रा से है जिसे राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा किसी उत्पन्नीकरण स्टेशन से एक दिन में ग्रिड में प्रविष्ट किए जाने हेतु निर्धारित किया गया हो।
63. 'निर्धारित उत्पादन' या 'SG' का, किसी समय, अवधि या समयखंड के संदर्भ में, अर्थ मेगावाट (MW) या मेगावाट-घंटा (MWh) में बस के बाहर (ex-bus) राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा निर्दिष्ट उत्पादन अनुसूची से है।
64. 'लघु गैस टरबाइन उत्पन्नीकरण स्टेशन' का अर्थ उन ओपन साइकिल गैस टरबाइन या संयोजित चक्रउत्पन्नीकरण स्टेशनों से है, जिनमें प्रयुक्त गैस टरबाइन की क्षमता 50 मेगावाट या उससे कम होती है।
65. 'राज्य' का अर्थ झारखण्ड राज्य से है।
66. 'राज्य भार प्रेषण केंद्र' या 'SLDC' का अर्थ उस केंद्र से है जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत शक्तियों का उपभोग करने एवं कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु स्थापित किया गया हो।

67. 'वैधानिक शुल्क' का अर्थ उन करों, उपकरों, शुल्कों, रॉयल्टी तथा अन्य शुल्कों से है जो संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा या भारत सरकार की किसी वैधानिक संस्था द्वारा संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत लगाए गए हों।
68. 'भंडारण प्रकार उत्पन्नीकरण स्टेशन' का अर्थ ऐसा जलविद्युत उत्पन्नीकरण स्टेशन है जो बड़ी भंडारण क्षमता से संपन्न हो ताकि विद्युत उत्पादन को मांग के अनुसार परिवर्तित किया जा सके।
69. 'टैरिफ' का अर्थ विद्युत के उत्पादन और थोक आपूर्ति हेतु शुल्क की अनुसूची से हिसाब ही इसके संबंध में लागू शर्तों एवं नियमों से भी है।
70. 'टैरिफ अवधि' का अर्थ उस अवधि से है जो 1 अप्रैल, 2026 से प्रारंभ होकर 31 मार्च, 2031 तक होगी, जिसके लिए आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत टैरिफ निर्धारित किया जाता है।
71. 'तापीय उत्पन्नीकरण स्टेशन' का अर्थ ऐसा उत्पन्नीकरण स्टेशन या उसकी कोई इकाई है जो जीवाश्म ईंधन (जैसे कोयला, लिग्नाइट, गैस, द्रव ईंधन या इनका संयोजन) को अपनी प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग कर विद्युत उत्पन्न करती है, अथवा जिसमें कोयले के साथ बायोमास का सह-दहन किया जाता हो।
72. 'परीक्षण चाल एवं परीक्षण संचालन' - किसी उत्पन्नीकरण स्टेशन या उसकी इकाई के संदर्भ में 'परीक्षण चाल' का अर्थ उस उत्पन्नीकरण स्टेशन या उसकी इकाई का अधिकतम सतत रेटिंग या स्थापित क्षमता पर सफलतापूर्वक निरंतर संचालन से है, जो तापीय उत्पन्नीकरण स्टेशन की इकाई या उसकी इकाई के मामले में 72 घंटे की सतत अवधि और जलविद्युत उत्पन्नीकरण स्टेशन की इकाई या उसकी इकाई के मामले में 12 घंटे की सतत अवधि तक हो।

परंतु यह प्रावधान होगा कि जहाँ उपभोक्ताओं (लाभार्थियों) ने उत्पन्नीकरण स्टेशन से विद्युत क्रय हेतु समझौता किया हो, वहाँ उत्पन्नीकरण कंपनी द्वारा लाभार्थियों तथा संबंधित RLDC या SLDC (जैसा कि उपयुक्त हो) को सात दिन की सूचना देने के पश्चात ही परीक्षण चाल प्रारंभ की जाएगी।

यह भी प्रावधान होगा कि अधिकतम 4 घंटे की संचयी अवधि तक के अल्पकालिक अवरोध की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते परीक्षण की अवधि में उसी अनुपात में वृद्धि की जाए। परंतु यदि संचयी अवरोध 4 घंटे से अधिक हो, तो परीक्षण संचालन या परीक्षण चाल को पुनः दोहराना आवश्यक होगा।

यह भी प्रावधान होगा कि आंशिक लोडिंग की अनुमति दी जा सकती है इस शर्त के साथ कि परीक्षण चाल की अवधि के दौरान औसत लोड, अवरोध तथा आंशिक लोडिंग की

अवधि को छोड़कर और उसके अनुरूप विस्तारित अवधि सहित, अधिकतम सतत रेटिंग या स्थापित क्षमता या नेम प्लेट रेटिंग से कम नहीं होना चाहिए।

यह भी प्रावधान होगा कि तापीय एवं जलविद्युत उत्पन्नीकरण स्टेशनों की इकाइयाँ अपनी अधिकतम सतत रेटिंगया स्थापित क्षमता या नेम प्लेट रेटिंग (जैसा कि उपयुक्त हो) के 105 प्रतिशत या 110 प्रतिशत तक लोड बढ़ाने की क्षमता का प्रदर्शन भी करेंगी।

73. 'इकाई' का अर्थ थर्मल जनरेटिंग स्टेशन (कंबाइंड साइकल थर्मल जनरेटिंग स्टेशन को छोड़कर) के संदर्भ में भाप जनित्र, टरबाइन-जनित्र और सहायक उपकरणों से है; संयोजित चक्र तापीय उत्पन्नीकरण स्टेशन के संदर्भ में टरबाइन-जनित्र और सहायक उपकरणों से है; तथा जलविद्युत उत्पन्नीकरण स्टेशन के संदर्भ में टरबाइन-जनित्र और उसके सहायक उपकरणों से है।
74. 'अनलोडिंग बिंदु' का अर्थ कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय उत्पन्नीकरण स्टेशन के परिसर के भीतर वह बिंदु है जहाँ रेल रैक, ट्रक या अन्य किसी परिवहन साधन से कोयला या लिग्नाइट को उतारा जाता है।
75. 'उपयोगी आयु' का अर्थ उत्पन्नीकरण स्टेशन की किसी इकाई की वाणिज्यिक संचालन की तिथि से वह अवधि है, जो निम्नानुसार होगी:
- | | |
|--|-------------|
| (i) कोयला/लिग्नाइट आधारित तापीय उत्पन्नीकरण स्टेशन: | 25 वर्ष; |
| (ii) गैस/द्रव ईंधन आधारित तापीय उत्पन्नीकरण स्टेशन: | 25 वर्ष; और |
| (iii) जलविद्युत उत्पन्नीकरण स्टेशन, जिसमें पम्पड स्टोरेज जलविद्युत उत्पन्नीकरण स्टेशन शामिल हैं: | 40 वर्ष। |

यह प्रावधान होगा कि परियोजनाओं की उपयोगी आयु पूरी होने के पश्चात उनकी आयुवृद्धि पर निर्णय आयोग द्वारा विवेकपूर्ण परीक्षणके उपरांत लिया जाएगा, जो उत्पन्नीकरण कंपनी द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों, विवरणों और औचित्यों के आधार पर या आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से मामले-दर-मामले के आधार पर किया जा सकेगा।

76. 'वर्ष'का अर्थ वित्तीय वर्ष से है।
77. 'शून्य तिथि'का अर्थ निवेश स्वीकृति में परियोजना के कार्यान्वयन के प्रारंभ हेतु दर्शाई गई तिथि से है, और जहाँ ऐसी कोई तिथि निर्दिष्ट नहीं की गई हो, वहाँ निवेश स्वीकृति की तिथि को ही 'शून्य तिथि' माना जाएगा।

- 3.1 इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिनकी यहाँ परिभाषा नहीं दी गई है परंतु जिनकी परिभाषा अधिनियम में दी गई है, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें निर्दिष्ट किए गए हैं।

- 3.2 किसी अधिनियम, नियम या विनियम का संदर्भ उसमें किए गए संशोधन, एकीकरण या पुनः प्रवर्तन को भी सम्मिलित करेगा।
- 3.3 इन विनियमों के अंतर्गत सभी कार्यवाहियाँ 'झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (व्यवसाय का संचालन) विनियम, 2024' तथा समय-समय पर उसके संशोधित या पुनः प्रवर्तित संस्करणों के अधीन संचालित होंगी।

A4. परिचालन मानदंड उच्चतम सीमा के रूप में

- 4.1 संदेह निवारण हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट परिचालन मानदंड उच्चतम सीमाके रूप में माने जाएंगे, और इससे उत्पन्नीकरण कंपनी व लाभार्थियों को बेहतर परिचालन मानदंडों पर आपसी सहमति करने से नहीं रोका जाएगा; और ऐसे मामलों में बेहतर परिचालन मानदंडों को टैरिफ निर्धारण के लिए लागू किया जाएगा।

परंतु यह प्रावधान होगा कि यदि उत्पन्नीकरण कंपनी और लाभार्थी के बीच विद्युत क्रय अनुबंधमें बेहतर परिचालन मानदंड निर्दिष्ट हों, तो टैरिफ निर्धारण के लिए उन्हीं मानदंडों को विचार में लिया जाएगा।

अध्याय-II

टैरिफ रूपरेखा एवं मार्गदर्शक सिद्धांत

A5. बहु वर्षीय टैरिफ (MYT) रूपरेखा

- 5.1 बहु वर्षीय टैरिफ (MYT) रूपरेखा 1 अप्रैल, 2026 से प्रारंभ होगी और जब तक आयोग द्वारा इसे पुनरीक्षित या विस्तार नहीं दिया जाता, तब तक यह 31 मार्च, 2031 तक लागू रहेगी। नियंत्रण अवधिके लिए एआरआर (ARR) की फाइलिंग इन विनियमों में निहित MYT रूपरेखा के अनुरूप की जाएगी।
- 5.2 उत्पन्नीकरण कंपनी आयोग के समक्ष निर्धारित समय-सीमा के अनुसार, जो इन विनियमों की धारा 39 में निर्दिष्ट है, समर्थक दस्तावेजों सहित MYT आवेदन प्रस्तुत करेगी।
- 5.3 MYT आवेदन में एआरआर (ARR) से संबंधित विवरण सहित विवरणिकाएँ सम्मिलित होंगी, जिनमें वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक की पूर्व नियंत्रण अवधि के वर्षों के लेखापरीक्षित (Audited) खातों के आधार पर आँकड़े, आधार वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान, तथा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रक्षेपण शामिल होंगे।
- 5.4 MYT रूपरेखा के मार्गदर्शक सिद्धांत इन विनियमों की धारा 6 में वर्णित किए गए हैं।

- 5.5 नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर (ARR) निर्धारण के सिद्धांत इन विनियमों के अध्याय-III में तथा नियंत्रण अवधि के दौरान वार्षिक फाइलिंग की प्रक्रिया अध्याय-VI में वर्णित की गई है।

A6. बहुवर्षीय टैरिफ (MYT) रूपरेखा के मार्गदर्शक सिद्धांत

- 6.1 आयोग एआरआर (ARR) की स्वीकृति और टैरिफ निर्धारण के लिए बहुवर्षीय टैरिफ रूपरेखा को अपनाएगा। एआरआर (ARR) का निर्धारण नियंत्रण अवधिके प्रत्येक वर्ष के लिए किया जाएगा।
- 6.2 बहुवर्षीय टैरिफ रूपरेखा निम्नलिखित आधारों पर आधारित होगी:
1. उत्पन्नीकरण स्टेशन की संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिए व्यवसाय योजना, जिसे आयोग के अनुमोदन हेतु नियंत्रण अवधि प्रारंभ होने से पूर्व या आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर, MYT याचिकाके साथ प्रस्तुत किया जाएगा;
 2. उत्पन्नीकरण कंपनी द्वारा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए विद्युत बिक्री के अपेक्षित टैरिफ का पूर्वानुमान, जो इन विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट वित्तीय और परिचालन मानकों तथा व्यवसाय योजना के आधार पर उचित अनुमानोंके अनुसार तैयार किया जाएगा।
 3. विशेष मानकों की प्रगति हेतु आयोग द्वारा प्रोत्साहन एवं हतोत्साहनके माध्यम से सुधार के लिए मार्ग निर्धारित किया जाएगा।
 4. प्रदर्शन की वार्षिक समीक्षा अनुमोदित पूर्वानुमानके संदर्भ में की जाएगी और प्रदर्शन में होने वाले अंतर को नियंत्रित कारक तथा अ-नियंत्रित कारक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा; तथा
 5. नियंत्रित एवं अ-नियंत्रित कारकों के आधार पर अनुमोदित लाभ या हानि के साझाकरण की व्यवस्था की जाएगी।

I आधार रेखा का निर्धारण

- 6.3 नियंत्रण अवधि के आधार वर्षके मान वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक के उपलब्ध लेखापरीक्षित खातों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। यदि किसी वर्ष के लेखापरीक्षित खाते उपलब्ध न हों, तो आयोग यथोचित सावधानी परीक्षणकरने के बाद और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए उस वर्ष के लिए सर्वोत्तम अनुमानस्वीकार कर सकता है।
- 6.4 आयोग सामान्यतः नियंत्रण अवधि के दौरान प्रदर्शन लक्ष्यों में संशोधन नहीं करेगा, जब तक कि आयोग यह न माने कि अनुमोदित आंकड़ों की अपेक्षा वास्तविक आंकड़ों में कोई महत्वपूर्ण अंतर उत्पन्न हुआ है।

II व्यवसाय योजना

- 6.5 प्रत्येक उत्पन्नीकरण कंपनी को आयोग की स्वीकृति हेतु एक व्यवसाय योजना प्रस्तुत करनी होगी, जिसे किसी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अनुमोदित किया गया हो और जो इन विनियमों की धारा 39 में निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार दायर की जाएगी।

6.6 व्यवसाय योजना संपूर्ण नियंत्रण अवधिके लिए होगी और इसमें निम्नलिखित विवरण, अन्य बातों के साथ, सम्मिलित होंगे:

- (क) **पूंजी निवेश योजना:** उत्पन्नीकरण कंपनी संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिए पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत करेगी, जिसमें प्रस्तावित निवेशों का विस्तृत विवरण, पूंजीकरण अनुसूची तथा वित्त पोषण योजना दी जाएगी। इस योजना में, जहाँ लागू हो, क्षमता विस्तार योजना और प्रस्तावित दक्षता सुधार तथा उसके लागत-लाभ विश्लेषण को भी सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उत्पन्नीकरण कंपनी संयंत्रवार पूंजी संरचना, वित्तपोषण की लागत (Debt पर ब्याज) तथा रिटर्न ऑन इक्विटीका विवरण भी प्रस्तुत करेगी, जिसमें वर्तमान बाजार परिस्थितियाँ, वर्तमान ऋण समझौतों की शर्तें, उत्पादन व्यवसाय में जोखिम, तथा साख योग्यताको ध्यान में रखा जाएगा।
- (ख) **परिचालन योजना:** प्रदर्शन मानकों जैसे वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक (PAF), संयंत्र लोड गुणांक (PLF), सकल स्टेशन ऊष्मा दर (SHR), द्वितीयक ईंधन तेल खपत, सहायक विद्युत उपभोग (Aux) आदि के लिए प्रस्तावित लक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा, साथ ही इसमें इकाईवार आउटपुट योजना भी सम्मिलित होगी।
- (ग) **मानव संसाधन योजना:** मानव संसाधन योजना में नियंत्रण अवधि के दौरान कुशल एवं प्रभावी रूप से विद्युत संयंत्र के संचालन हेतु वर्षवार अनुमानित जनशक्ति वृद्धि तथा सेवानिवृत्तियोंका विवरण सम्मिलित होगा।
- (घ) गैर-टैरिफ आय हेतु प्रस्ताव: मदवार विवरण एवं विवरणों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (ङ) अन्य व्यवसाय से प्राप्त आय से संबंधित प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (च) व्यवसाय योजना में पूर्व नियंत्रण अवधिके लिए आवश्यक जानकारी भी सम्मिलित होगी:

परंतु यह प्रावधान होगा कि पूर्व नियंत्रण अवधि के लिए आवश्यक जानकारी में योजना-वार पूंजी निवेश, क्षमता विस्तार योजना, यदि कोई हो, प्रस्तावित दक्षता सुधार तथा उसका लागत-लाभ विश्लेषण, गुणवत्ता सुधार उपाय, कर्मचारी व्यय, मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय तथा ए एंड जी व्ययसहित उनका विस्तृत वर्गीकरण सम्मिलित होगा। इसमें नियंत्रण अवधि के दौरान विभिन्न प्रदर्शन मानकों तथा अन्य घटकों के प्रक्षेपण तैयार करने में उपयोग की गई अन्य संबंधित जानकारी भी सम्मिलित की जाएगी। नए उत्पन्नीकरण संयंत्र के मामले में, यह जानकारी नियंत्रण अवधि प्रारंभ होने तक के संचालन की अवधि के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

पूँजी निवेश योजना

- 6.7 उत्पन्नीकरण कंपनी आयोग की स्वीकृति हेतु संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिए व्यवसाय योजनाके साथ एक पूँजी निवेश योजना प्रस्तुत करेगी। पूँजी निवेश योजना योजनावार तैयार की जाएगी और प्रत्येक योजना में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगे:
1. निवेश का उद्देश्य;
 2. सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति;
 3. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
 4. पूँजी संरचना;
 5. पूँजीकरण अनुसूची
 6. क्रियान्वयन अनुसूची जिसमें समय सीमासहित विवरण हो;
 7. लागत-लाभ विश्लेषण एवं दर की युक्तियुक्तता;
 8. नियंत्रण अवधि के दौरान अपेक्षित परिचालन दक्षता में सुधार;
 9. ऐसी प्रचलित योजनाएँ जो समीक्षा के अंतर्गत अगले वित्तीय वर्ष में जारी रहेंगी, उनके औचित्यसहित;
 10. वे नई योजनाएँ जो नियंत्रण अवधि के दौरान प्रारंभ होंगी और जो नियंत्रण अवधि के भीतर या उसके बाद पूर्ण हो सकती हैं।
- 6.8 वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के दौरान, आयोग उत्पन्नीकरण कंपनी द्वारा वास्तविक पूँजीगत व्ययकी वर्षवार प्रगति की निगरानी करेगा, जिसकी तुलना अनुमोदित पूँजीगत व्यय से की जाएगी। उत्पन्नीकरण कंपनी वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के लिए दायर की जाने वाली रिपोर्ट के साथ वास्तविक पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करेगी।
- 6.9 आयोग प्रत्येक वर्ष के अंत में नियंत्रण अवधि के लिए वास्तविक पूँजीकरण की समीक्षा करेगा, जिसकी तुलना अनुमोदित पूँजीकरण अनुसूची से की जाएगी और जिस वर्ष के लिए टू-अप (True-up) की याचिका दायर की गई हो, उसके लिए वास्तविक पूँजीकरण के आधार पर एआरआर (ARR) का टू-अप करेगा। साथ ही, जिस वर्ष के लिए एपीआर (APR) और टैरिफ का निर्धारण किया जाना हो, उसके एआरआर घटकों में आवश्यक संशोधन करेगा।
- 6.10 यदि किसी आकस्मिक कार्यके लिए पूँजीगत व्यय की आवश्यकता हो, जो पूँजी निवेश योजनामें अनुमोदित नहीं है, तो उत्पन्नीकरण कंपनी आयोग के अनुमोदन हेतु सभी प्रासंगिक जानकारी तथा प्रस्तावित कार्य की आकस्मिक प्रकृतिको उचित ठहराने वाले कारणों सहित आवेदन प्रस्तुत करेगी।

परंतु यह प्रावधान होगा कि यदि आकस्मिक कार्य या अप्रत्याशित परिस्थितिके कारण जीवन या संपत्ति को खतरा उत्पन्न हो और आयोग को पूर्व सूचना देना किसी अपरिवर्तनीय क्षति या हानि का कारण बन सकता हो, तो ऐसी स्थिति में उत्पन्नीकरण कंपनी आवश्यक पूँजीगत व्यय कर सकती है और सभी संबद्ध विवरणों सहित अगली टैरिफ याचिकाके साथ आयोग से कार्यांतर-स्वीकृतिप्राप्त करने हेतु विवरण प्रस्तुत करेगी।

प्रदर्शन मानक

6.11 आयोग ने निम्नलिखित प्रदर्शन मानकों को, जो नियंत्रित प्रकृतिके माने जाएंगे, निर्धारित किया है:

(क) मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक (NAPAF);

(ख) स्टेशन ऊष्मा दर (SHR);

(ग) सहायक ऊर्जा उपभोग (Aux)

(घ) द्वितीयक ईंधन तेल खपत ;

(ङ) ट्रांजिट हानि);

(च) संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) व्यय

6.12 इन विनियमों की धारा 6.11 में निर्दिष्ट नियंत्रित मानकोंके लिए निर्धारित प्रदर्शन लक्ष्यों से विचलनप्रोत्साहन एवं दंडात्मक ढाँचेके अधीन होगा, जैसा कि इन विनियमों की धारा 6.13 से धारा 6.15 में विस्तृत रूप में उल्लेखित है।

प्रोत्साहन एवं दंडात्मक ढाँचा

6.13 यदि किसी उत्पन्नीकरण कंपनी का प्रदर्शन इन विनियमों की धारा 6.11 में निर्दिष्ट प्रदर्शन मानकों की तुलना में कमतर रहता है, तो ऐसे प्रदर्शन से उत्पन्न कोई भी वित्तीय हानि नियंत्रण अवधि के दौरान समीक्षा के लिए पात्र नहीं होगी और इसे टैरिफ के माध्यम से वसूल नहीं किया जा सकेगा। परंतु, यदि नियंत्रणीय प्रदर्शन मानकों के संदर्भ में वित्तीय लाभ प्राप्त होता है, तो ऐसे लाभ का साझाइन विनियमों की धारा 6.14 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

6.14 मानकों में परिवर्तन से उत्पन्न लाभ का साझा:

उत्पन्नीकरण कंपनी निम्नलिखित नियंत्रणीय मानकोंमें हुए वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर प्राप्त लाभ की गणना करेगी:

1. स्टेशन ऊष्मा दर (SHR);

2. द्वितीयक ईंधन तेल खपत;

3. सहायक ऊर्जा उपभोग; और

4. संचालन एवं अनुरक्षण व्यय (O&M)

उपरोक्त नियंत्रणीय मानकोंसे उत्पन्न वित्तीय लाभ उत्पन्नीकरण कंपनी एवं लाभार्थियोंके बीच वार्षिक आधार पर साझाकिया जाएगा।

मानक (1) से (3) तक के प्रदर्शन मानकों से उत्पन्न वित्तीय लाभ तापीय उत्पन्नीकरण स्टेशन के लिए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना किया जाएगा, और इन लाभों का वितरण उत्पन्नीकरण स्टेशन एवं लाभार्थियों के बीच 50:50 के अनुपात में किया जाएगा।

परंतु यह प्रावधान होगा कि जिन उत्पन्नीकरण स्टेशनों ने शक्ति योजना(Shakti scheme)के अंतर्गत कोयला संधिपर हस्ताक्षर किए हैं, उनके लिए मानक नियंत्रणीय परिचालन मानकोंमें परिवर्तन के कारण उत्पन्न लाभ का साझा 75:25 के अनुपात में किया जाएगा, जिसमें 75 प्रतिशत हिस्सा उत्पन्नीकरण स्टेशन को तथा 25 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थियों को मिलेगा।

वित्तीय लाभ की गणना हेतु सूत्र

Net Gain = (ECRN - ECRA) x Scheduled Generation

जहाँ,

ECRN: मानकीकृत ऊर्जा शुल्क दर, जिसे स्टेशन उष्म दर, सहायक ऊर्जा खपत तथा द्वितीयक ईंधन तेल खपत के लिए निर्दिष्ट मानकों के आधार पर गणना किया जाता है।

ECRA: वास्तविक ऊर्जा शुल्क दर, जिसे माह के लिए वास्तविक स्टेशन उष्म दर, सहायक ऊर्जा खपत तथा द्वितीयक ईंधन तेल खपत के आधार पर गणना किया जाता है:

परंतु यह उपबंधित है कि जलविद्युत उत्पन्नीकरण स्टेशनों के मामले में, यदि वास्तविक सहायक ऊर्जा खपत, मानकीकृत सहायक ऊर्जा खपत से कम होती है, तो उसकी परिणामी शुद्ध लाभ की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी, बशर्ते विक्रेय अनुसूचित उत्पन्नीकरण, विक्रेय अभिकल्पित ऊर्जा से अधिक हो, और इस शुद्ध लाभ को उत्पन्नीकरण स्टेशन तथा लाभार्थियों के बीच 50:50 के अनुपात में बांटा जाएगा:

- (i) जब मानकीकृत सहायक ऊर्जा खपत के आधार पर विक्रेय अनुसूचित उत्पन्नीकरण, विक्रेय अभिकल्पित ऊर्जा से अधिक तथा वास्तविक सहायक ऊर्जा खपत के आधार पर विक्रेय अभिकल्पित ऊर्जा से कम या उसके बराबर हो:

शुद्ध लाभ (मिलियन रुपये में) = [(विक्रेय अनुसूचित उत्पन्नीकरण (मात्रा, MU में)) - (मानकीकृत सहायक ऊर्जा खपत के आधार पर विक्रेय अभिकल्पित ऊर्जा (MU में))] × [0.80 या ECR, जो भी कम हो]

- (ii) जब वास्तविक सहायक ऊर्जा खपत के आधार पर विक्रेय अनुसूचित उत्पन्नीकरण, विक्रेय अभिकल्पित ऊर्जा से अधिक हो:

शुद्ध लाभ (मिलियन रुपये में) = {विक्रेय अनुसूचित उत्पन्नीकरण (MU में) - [(विक्रेय अनुसूचित उत्पन्नीकरण (MU में) × (100% - मानकीकृत सहायक ऊर्जा खपत (% में)) / (100% - वास्तविक सहायक ऊर्जा खपत (% में))]} × [0.80 या ECR, जो भी कम हो]

- 6.15 तापीय और जलविद्युत स्टेशनों के संचालन एवं अनुरक्षण व्यय से संबंधित वित्तीय लाभों को दूइंग-अप के समय उत्पन्नीकरण स्टेशनों तथा लाभार्थियों के बीच 50:50 के अनुपात में साझा किया जाएगा। साथ ही, यदि किसी उत्पन्नीकरण स्टेशन में एक से अधिक इकाइयाँ हैं और उन इकाइयों के लाभार्थी समान हैं, तो लाभ की गणना समेकित आधार पर की जाएगी।

- 6.16 आयोग, अपरिहार्य परिस्थितियों या कानून में परिवर्तन की घटनाओं के कारण प्रदर्शन मानकों में हुई विविधताओं को, उत्पन्नीकरण कंपनी द्वारा प्रस्तुत वास्तविक मानों के आधार पर तथा आयोग द्वारा उनके सत्यापन और अनुमोदन के उपरांत, टैरिफ में समायोजित करने की अनुमति भी प्रदान करेगा।

A 7. डूइंग-अप

- 7.1 उत्पन्नीकरण कंपनी प्रत्येक नियंत्रण अवधि (Control Period) के प्रत्येक वर्ष के लिए, वार्षिक लेखापरीक्षित विवरणों के आधार पर, खंड क 39 में निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार डूइंग-अप के लिए याचिका प्रस्तुत करेगी।
- 7.2 यदि डूइंग-अप के उपरांत वसूल किया गया राजस्व, इन विनियमों के अंतर्गत आयोग द्वारा अनुमोदित डूइंग-अप मूल्य से अधिक होता है, तो उत्पन्नीकरण कंपनी ऐसे अधिशेष राशि को, विनियमों के उपबंध 7.4 में निर्दिष्ट अनुसार, लाभार्थियों को वापस करेगी।
- 7.3 यदि डूइंग-अप के उपरांत वसूल किया गया राजस्व, इन विनियमों के अंतर्गत आयोग द्वारा अनुमोदित डूइंग-अप मूल्य से कम होता है, तो उत्पन्नीकरण कंपनी, विनियमों के उपबंध 7.4 के अनुसार, लाभार्थियों से अंतर राशि वसूल करेगी।
- 7.4 जितनी राशि कम या अधिक वसूल की गई हो, उसे संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल को प्रचलित बैंक दरमें 200 आधार अंकोंकी वृद्धि के साथ, साधारण ब्याज सहित, आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश की तिथि से तीन माह के भीतर प्रारंभ होकर छह समान मासिक किश्तों में उत्पन्नीकरण कंपनी द्वारा वसूल या वापस किया जाएगा:

परंतु यह उपबंधित है कि यदि उत्पन्नीकरण कंपनी खंड क 39 में निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार याचिका प्रस्तुत करने में विफल रहती है तो अप्राप्त अंतर राशि पर देरी की अवधि के लिए कोई वहन लागतस्वीकार्य नहीं होगी।

यह भी उपबंधित है कि यदि उत्पन्नीकरण कंपनी या उसके आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों की त्रुटि के कारण, अनियंत्रित मद्दों में परिवर्तन से कोई प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव उत्पन्न होता है, तो ऐसा प्रभाव डूइंग-अप में स्वीकार्य नहीं होगा।

A8. वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा (APR)

- 8.1 उत्पन्नीकरण कंपनी, खंड क 39 में निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार, वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा हेतु एपीआर याचिका प्रस्तुत करेगी, जिसमें पूंजी व्यय, अतिरिक्त पूंजीकरण, वित्तपोषण के स्रोत, संचालन एवं अनुरक्षण व्यय, वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो तथा उस पर भुगतान किए गए ब्याज का विवरण सम्मिलित होगा। साथ ही, संबंधित वर्ष के लिए व्ययित / अपेक्षित व्यय किए जाने वाले वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) के अन्य घटकों का विवरण भी सम्मिलित किया जाएगा।
- 8.2 उत्पन्नीकरण कंपनी वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा याचिकाके साथ-साथ आगामी वर्ष के लिए संशोधित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) का दावा भी प्रस्तुत करेगी, जो पूर्ववर्ती वर्ष/वर्षों के डूइंग-अप और वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा के आधार पर होगा।
- 8.3 वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा (APR) का क्षेत्र (Scope) स्वीकृत व्ययों की तुलना में संशोधित अनुमानों की तुलना करना होगा और इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे
- क) उपलब्ध नवीनतम वास्तविक आँकड़ों के आधार पर, कार्य निष्पादन लक्ष्योंकी संशोधित अनुमानों से तुलना
- ख) उपलब्ध नवीनतम वास्तविक आँकड़ों के आधार पर, उत्पन्नीकरण कंपनी द्वारा स्वीकृत पूंजी व्यय एवं पूंजीकरणकी संशोधित अनुमानों से तुलना

- ग) उपलब्ध नवीनतम वास्तविक आँकड़ों के आधार पर, आयोग द्वारा स्वीकृत अन्य व्ययों जैसे ऋण पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, रिटर्न ऑन इक्विटी, मूल्यहासतथा संचालन एवं अनुरक्षण व्यय (O&M Expenses) की, उत्पन्नीकरण कंपनी द्वारा प्रस्तुत संशोधित अनुमानों से तुलना;
- घ) पिछले वर्ष के लिए नियंत्रित कारकों के कारण हुए लाभ और हानि के साझेदारी (sharing) की गणना;
- ड) उपलब्ध नवीनतम वास्तविक आँकड़ों के आधार पर स्वीकृत राजस्व की संशोधित अनुमानों से तुलना;
- च) वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) को प्रभावित करने वाले अन्य किसी भी व्यय/राजस्व का समावेशन।
- 8.4 यदि उत्पन्नीकरण कंपनी को, पूर्व में अज्ञात या पूर्वानुमान तैयार किए जाने के समय उपलब्ध नहीं रही अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होती है, तो वह वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा के भाग के रूप में, स्वीकृत वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) के पूर्वानुमान में संशोधन के लिए आवेदन कर सकती है।
- 8.5 यदि आयोग को, ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होती है जो पूर्वानुमान तैयार किए जाने के समय उसके संज्ञान में नहीं थी या उपलब्ध नहीं थी, और वह इस मत पर पहुँचता है कि इससे राजस्व की अत्यधिक या अल्प वसूली हो सकती है, तो आयोग, स्वयं संज्ञान लेते हुए या किसी इच्छुक या प्रभावित पक्ष द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर, नियंत्रण अवधिकी शेष अवधि के लिए, वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा के भाग के रूप में, स्वीकृत ARR पूर्वानुमान में संशोधन कर सकता है।
- 8.6 वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा एवं ड्रिंग-अप के विश्लेषण के आधार पर, आयोग नियंत्रण अवधि के आगामी वर्ष हेतु ARR और टैरिफ में संशोधन कर सकता है।

अध्याय-III

टैरिफ का निर्धारण

A 9. ड्रू-अप, एपीआर एवं एएआरआर तथा टैरिफ निर्धारण के लिए विवरण

- 9.1 उत्पन्नीकरण कंपनी, पूर्व वर्ष के लिए ड्रू-अप, चालू वर्ष के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा (APR) तथा आगामी वर्ष के लिए टैरिफ निर्धारण के विवरण प्रस्तुत करेगी, जैसा कि आगामी अनुभागों में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार है।

A10. टैरिफ निर्धारण के सिद्धांत

विद्यमान उत्पन्नीकरण स्टेशन:

- 10.1 वे उत्पन्नीकरण स्टेशन जिनकी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि 1 अप्रैल, 2026 से पूर्व है, उन्हें विद्यमान उत्पन्नीकरण स्टेशन माना जाएगा। ऐसे उत्पन्नीकरण स्टेशनों का टैरिफ, 31 मार्च, 2026 तक आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी लागत एवं अतिरिक्त पूंजीकरण के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

नए उत्पन्नीकरण स्टेशन:

- 10.2 वे सभी उत्पन्नीकरण स्टेशन जिन्हें 1 अप्रैल, 2026 या उसके बाद वाणिज्यिक रूप से प्रचालित घोषित किया गया है, वे पूंजी लागत (Capital Cost) और टैरिफ की स्वीकृति हेतु वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 60 दिनों के भीतर याचिका दाखिल करेंगे। इस याचिका के साथ लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र संलग्न किया जाएगा, और यदि लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र उपलब्ध न हो, तो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रबंधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक

व्ययित पूंजी लागत तथा नियंत्रण अवधिके संबंधित वर्षों, अर्थात् वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक, के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त पूंजी व्यय का विवरण होगा।

A11. टैरिफ निर्धारण के सिद्धांत

- 11.1 किसी उत्पन्नीकरण स्टेशन के संबंध में टैरिफ का निर्धारण, संपूर्ण उत्पन्नीकरण स्टेशन या उसकी किसी इकाई के लिए किया जा सकता है।
- 11.2 जब किसी उत्पन्नीकरण स्टेशन की केवल आंशिक उत्पन्नीकरण क्षमताको दीर्घकालिक विद्युत क्रय अनुबंधके माध्यम से लाभार्थियों को विद्युत आपूर्ति हेतु अनुबंधित किया गया होतो ऐसी आंशिक क्षमता से संबंधित इकाइयोंकी स्पष्ट पहचान की जाएगी, और उस स्थिति में टैरिफ का निर्धारण उस पहचानी गई क्षमताके लिए किया जाएगा। यदि ऐसी आंशिक क्षमता के अनुरूप इकाइयों की पहचान नहीं की जा सकती, तो उत्पन्नीकरण स्टेशन का टैरिफ संपूर्ण परियोजना की पूंजी लागत के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है, परंतु ऐसा निर्धारित टैरिफ केवल अनुबंधित आंशिक क्षमताके अनुपात में, लाभार्थियों को विद्युत आपूर्ति हेतु लागू होगा।
- 11.3 यदि किसी विद्यमान उत्पन्नीकरण स्टेशन का विस्तार किया जाता है, तो विस्तारित क्षमता के लिए टैरिफ का निर्धारण इन विनियमों के अनुसार किया जाएगा:

परंतु यह उपबंधित है कि विद्यमान उत्पन्नीकरण स्टेशन का साझा अवसंरचनाविस्तारित क्षमता के लिए उपयोग में लाई जाएगी तथा विस्तारित क्षमता में प्रयुक्त नई तकनीक के लाभ, जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा, विद्यमान क्षमता तक भी विस्तारित किए जाएंगे।

- 11.4 संशोधित उत्सर्जन मानकोंके कार्यान्वयन हेतु स्थापित परिसंपत्तियाँविद्यमान उत्पन्नीकरण परियोजना का हिस्सा मानी जाएंगी और उनका टैरिफ, उत्पन्नीकरण कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा जारी पूर्णता प्रमाणपत्रप्रस्तुत करने पर पृथक रूप से निर्धारित किया जाएगा।
- 11.5 ऐसे बहु-उद्देश्यीय जलविद्युत उपक्रमोंके मामले में, जिनमें सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और शक्ति उत्पादनके घटक शामिल हों, केवल उस पूंजी लागत को, जो शक्ति उत्पादन घटक से संबंधित है, टैरिफ निर्धारण हेतु विचार किया जाएगा।

A 12. विशिष्ट परिस्थितियों में अनुमोदन सिद्धांत:

- 12.1 यदि उत्पन्नीकरण कंपनी, कानून में परिवर्तनया अपरिहार्य परिस्थितियोंके कारण कोई अतिरिक्त पूंजीकरण करने का प्रस्ताव करती है, तो वह ऐसे व्यय के लिए अनुमोदन सिद्धांत प्राप्त करने हेतु याचिका दाखिल कर सकती है। यह याचिका लाभार्थियों को पूर्व सूचना देने के उपरांत प्रस्तुत की जाएगी और इसमें ऐसे व्यय से संबंधित आधारभूत मान्यताएँ, अनुमानतथा औचित्यसम्मिलित होंगे, बशर्ते अनुमानित व्यय परियोजना की स्वीकृत पूंजी लागत का 10% या रु. 50 करोड़, जो भी कम हो, से अधिक हो।

A 13. पूंजी लागत

- 13.1 आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार विवेकपूर्ण परीक्षण (prudence check) के उपरांत निर्धारित उत्पन्नीकरण स्टेशन की पूंजी लागत, विद्यमान तथा नई परियोजनाओं के टैरिफ निर्धारण के लिए आधार बनेगी।

नई परियोजना के लिए पूंजी लागत:

13.2 नई परियोजना की पूंजी लागत में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:

- क) परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक किए गए या किए जाने की संभावना वाले व्यय;
- ख) निर्माण अवधि के दौरान ब्याज एवं वित्तपोषण शुल्क, जो वास्तविक रूप से लिए गए ऋणों पर आधारित होंगे;
- ग) निर्माण अवधि के दौरान लिए गए ऋणों पर विदेशी मुद्रा जोखिम परिवर्तन से उत्पन्न लाभ या हानि;
- घ) निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय, जो इन विनियमों के अनुसार गणना किए जाएंगे;
- ङ) प्रारंभिक पूंजीकृत स्पेयर, जो इन विनियमों में निर्दिष्ट अधिकतम सीमा दरोंके अनुसार होंगे;
- च) वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पूर्व ईंधन लागत से अधिक अस्थायी विद्युत (Infirm Power) की बिक्री से अर्जित राजस्व का समायोजन, जैसा कि इन विनियमों के उपबंध 14.17 में निर्दिष्ट किया गया है।
- छ) राख निपटान एवं उपयोग से संबंधित पूंजी व्यय, जिसमें उसकी हैंडलिंग तथा परिवहन सुविधा शामिल हो;
- ज) कोयले के परिवहन हेतु उत्पन्नीकरण स्टेशन के प्राप्ति स्थल तक रेल अवसंरचना और उसके विस्तार पर किया गया पूंजी व्यय; परंतु इसमें परिवहन लागत तथा रेल प्रशासन को दी गई किसी अन्य सहायक लागतको सम्मिलित नहीं किया जाएगा;
- झ) सह-दहन (co-firing) हेतु बायोमास हैंडलिंग उपकरणों एवं सुविधाओं पर किया गया पूंजी व्यय।
- ञ) संशोधित उत्सर्जन मानकोंके अनुपालन हेतु आवश्यक उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली तथा सीवेज उपचार संयंत्र पर किया गया पूंजी व्यय;
- क) परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृतिप्राप्त करने हेतु लगाए गए किसी भी शर्त की पूर्ति के कारण किया गया व्यय;
- ल) कानून में परिवर्तन और अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण किया गया व्यय; तथा
- म) भारत सरकार की परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (PAT) योजना के अंतर्गत निर्धारित मानकों के कार्यान्वयन के कारण, तापीय उत्पन्नीकरण स्टेशन द्वारा किया गया या किए जाने की संभावना वाला पूंजी व्यय, आयोग द्वारा स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते कि PAT योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले सभी लाभ लाभार्थियों के साथ साझा किए जाएँ।

विद्यमान परियोजना की पूंजी लागत

13.3 विद्यमान परियोजना की पूंजी लागत में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:

- क) 1 अप्रैल, 2026 से पूर्व आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी लागत जो डू-अप के उपरांत होगी, परंतु 1 अप्रैल, 2026 तक की कोई बकाया देनदारी, यदि हो, उसे छोड़कर;
- ख) पुनर्नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरणके कारण हुआ पूंजी व्यय जिसे आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार स्वीकृत किया गया हो;
- ग) राख निपटान एवं उपयोग से संबंधित पूंजी व्यय, जिसमें उसकी हैंडलिंग तथा परिवहन सुविधा शामिल हो;
- घ) कोयले के परिवहन हेतु उत्पन्नीकरण स्टेशन के प्राप्ति स्थल तक रेल अवसंरचना और उसके विस्तार पर किया गया पूंजी व्यय, परंतु इसमें परिवहन लागत तथा रेल प्रशासन को दी गई किसी अन्य सहायक लागतको सम्मिलित नहीं किया जाएगा;

- ड) भारत सरकार की परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (PAT) योजना के अंतर्गत निर्धारित मानकों के कार्यान्वयन के कारण, तापीय उत्पन्नीकरण स्टेशन द्वारा किया गया या किए जाने की संभावना वाला पूंजी व्यय, आयोग द्वारा स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते कि PAT योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले सभी लाभ लाभार्थियों के साथ साझा किए जाएँ।

जलविद्युत उत्पन्नीकरण परियोजना की पूंजी लागत

- 13.4 विद्यमान या नई जलविद्युत उत्पन्नीकरण स्टेशन के मामले में पूंजी लागत में निम्नलिखित को भी सम्मिलित किया जाएगा:-

- क) राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीतितथा अनुमोदित आर एंड आर पैकेजके अनुरूप परियोजना की स्वीकृत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजनाकी लागत

पूंजी लागत से बहिष्करण

- 13.5 विद्यमान तथा नई परियोजनाओं की पूंजी लागत से निम्नलिखित मदों को बाहर रखा जाएगा:

- क) ऐसी परिसंपत्तियाँ जो परियोजना का हिस्सा तो हैं, परंतु उपयोग में नहीं हैं;
ख) वाणिज्यिक प्रचालन तिथिके उपरांत, प्रतिस्थापन, अप्रचलनअथवा एक परियोजना से दूसरी परियोजना में स्थानांतरण के कारण अपूंजीकृतपरिसंपत्तियाँ।

पूंजी लागत की विवेकपूर्ण परीक्षण

- 13.6 विद्यमान अथवा नई परियोजनाओं की पूंजी लागत के विवेकपूर्ण परीक्षण हेतु निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए जाएंगे:

- क) तापीय उत्पन्नीकरण स्टेशनके मामले में, पूंजी लागत की विवेकपूर्ण जांच में पूंजी व्यय का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें समान प्रकार की परियोजनाओं के लिए उपलब्ध ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर पूंजी लागत की तुलना वित्तपोषण योजना की यथार्थता, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज, निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, लागत एवं समय की अधिकता, उपकरण एवं सामग्रियों की प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से खरीद, तथा आयोग द्वारा प्रासंगिक मानी जाने वाली अन्य बातें शामिल होंगी।

परंतु यह उपबंधित है कि विवेकपूर्ण परीक्षणकरते समय, आयोग यह भी जांचेगा कि क्या उत्पन्नीकरण कंपनी ने परियोजना के निष्पादन के दौरान अपने निर्णयों एवं निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त सावधानी बरती है।

- ख) ऐसे मामलों में, जहाँ उत्पन्नीकरण कंपनी और लाभार्थियों के बीच किए गए विद्युत क्रय अनुबंधमें वास्तविक पूंजी व्ययकी अधिकतम सीमानिर्धारित की गई है आयोग विवेकपूर्ण परीक्षण के लिए उस सीमा को विचार में लेगा।
ग) इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यय किसी विद्यमान परिसंपत्तिके प्रतिस्थापन या उन्नयनसे संबंधित है, तो प्रतिस्थापित परिसंपत्ति की मूल लागतको घटाकर पूंजी लागतसे अपूंजीकृतकिया जाएगा।

निर्माण अवधि के दौरान ब्याज (IDC) और निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय (IEDC)

- 13.7 निर्माण अवधि के दौरान ब्याज (IDC) की गणना, ऋण निधिके निवेश की तिथि से की जाएगी, जिसमें निधियों के युक्तिसंगत चरणबद्ध उपयोगको निर्धारित वाणिज्यिक प्रचालन तिथितक ध्यान में रखा जाएगा।

- 13.8 निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय (IEDC) की गणना शून्य तिथिसे की जाएगी, जिसमें SCOD तक के पूर्व-संचालन व्ययको ध्यान में रखा जाएगा:

परंतु यह उपबंधित है कि निर्माण अवधि में अर्जित कोई भी राजस्व, जैसे कि जमा राशियों या अग्रिमों पर ब्याजअथवा अन्य कोई प्राप्तियाँ, निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय (IEDC) में कटौती हेतु समायोजित किए जाएंगे।

- 13.9 यदि वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (COD) प्राप्त करने में विलंब के कारण IDC और IEDC में अतिरिक्त लागत आती है, तो उत्पन्नीकरण कंपनी को उस विलंब के लिए विस्तृत औचित्य एवं सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें IDC के मामले में निधियों के युक्तिसंगत उपयोग का विवरण तथा IEDC के मामले में विलंब की अवधि के दौरान व्यय का विवरण और उस अवधि के लिए वसूल या वसूल किए जाने योग्य हर्जाना (liquidated damages) सम्मिलित होगा।
- 13.10 यदि COD प्राप्त करने में हुआ विलंब उत्पन्नीकरण कंपनी के नियंत्रण में नहीं है, तो आयोग विवेकपूर्ण परीक्षणके उपरांत SCOD से आगे के IDC और IEDC को स्वीकृत कर सकता है, परंतु ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता या एजेंसी से वसूल किए गए या किए जाने योग्य हर्जाने (liquidated damages) को उत्पन्नीकरण स्टेशन की पूंजी लागतमें समायोजित किया जाएगा।
- 13.11 यदि वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (COD) प्राप्त करने में विलंब पूर्णतः या आंशिक रूप से उत्पन्नीकरण कंपनी अथवा उसके ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता या एजेंसी के कारण हुआ है तो ऐसे मामलों में, विवेकपूर्ण परीक्षणके उपरांत, SCOD के बाद की अवधि के लिए IDC और IEDC को पूर्णतः या आंशिक रूप से, अर्थात् विलंब की अस्वीकृत अवधि के अनुपातमें अस्वीकृत किया जा सकता है। इस स्थिति में, ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता या एजेंसी से वसूल किए गए किसी भी हर्जाने (liquidated damages) को उत्पन्नीकरण कंपनी द्वारा अपने पास रखा जाएगा।

नियंत्रणीय एवं अनियंत्रणीय कारक

- 13.12 समय की अधिकता, लागत वृद्धि, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज (IDC) एवं निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय (IEDC) के निर्धारण हेतु, निम्नलिखित कारकों को नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय कारक माना जाएगा।
- 13.13 "नियंत्रणीय कारकों"में निम्नलिखित शामिल होंगे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं रहेंगे:-
1. ऐसे परियोजनाओं के कार्यान्वयन में दक्षता जो स्वीकृत परियोजना परिधि परिवर्तन, वैधानिक करों में परिवर्तन, विधि में परिवर्तन या Force Majeure घटनाओं से संबंधित न हो; तथा
 2. ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता या विद्युत उत्पादन कंपनी की एजेंसी के कारण परियोजना के निष्पादन में विलंब।
- 13.14 "अनियंत्रणीय कारक" में निम्नलिखित शामिल होंगे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं रहेंगे:
1. Force Majeure घटनाएँ;
 2. विधि में परिवर्तन; तथा
 3. भूमि अधिग्रहण और वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने में देरी, सिवाय उन मामलों के जहाँ देरी का कारण विद्युत उत्पादन कंपनी को माना जाए।

प्रारंभिक स्पेयर्स:

- 13.15 प्रारंभिक स्पेयर्स को संयंत्र एवं मशीनरी लागत के प्रतिशत के रूप में पूंजीकृत किया जाएगा, निम्नलिखित सीमा मानकों के अधीन:
- a) कोयला आधारित/लिग्नाइट चालित तापीय विद्युत उत्पन्नीकरण स्टेशन: 4.0%
 - b) गैस टरबाइन/संयुक्त चक्र तापीय विद्युत उत्पन्नीकरण स्टेशन: 4.0%
 - c) जल विद्युत उत्पन्नीकरण स्टेशन: 4.0%

इस शर्त के साथ कि:

- i) संयंत्र एवं मशीनरी लागत को मूल परियोजना लागत के रूप में माना जाएगा, जिसमें IDC, IEDC, भूमि लागत तथा सिविल कार्यों की लागत शामिल नहीं होगी। संयंत्र एवं मशीनरी लागत का अनुमान लगाने के उद्देश्य से, विद्युत उत्पादन कंपनी अपने शुल्क आवेदन में मदवार IDC तथा IEDC का विवरण प्रस्तुत करेगी;
- ii) जहाँ किसी विद्युत उत्पादन स्टेशन में कोई प्रसारण उपकरण विद्युत उत्पादन परियोजना का हिस्सा हो, वहाँ ऐसे उपकरणों के लिए प्रारंभिक स्पेयर्स की सीमा निर्धारण मानदंड झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (प्रसारण शुल्क निर्धारण हेतु शर्तें एवं नियम), 2025 के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रसारण प्रणाली के लिए लागू सीमा मानदंडों के अनुसार होंगे।

A14. अतिरिक्त पूंजीकरण

14.1 किसी नए या मौजूदा परियोजना से संबंधित वह अतिरिक्त पूंजीगत व्यय जो निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत मूल कार्यक्षेत्र (Scope of Work) के भीतर, वाणिज्यिक संचालन की तिथि के पश्चात तथा कट-ऑफ तिथि तक किया गया हो या किए जाने का प्रस्ताव हो, आयोग द्वारा विवेकपूर्ण परीक्षण के अधीन स्वीकृत किया जा सकता है:

- a) भविष्य में देय मानी गई अव्ययित देयताएँ;
- b) निष्पादन हेतु स्थगित कार्य;
- c) मूल कार्यक्षेत्र के अंतर्गत प्रारंभिक पूंजीगत स्पेयर्स की खरीद जो इस विनियम में निर्दिष्ट सीमा मानकों के अधीन हो;
- d) किसी मध्यस्थ निर्णय (arbitration award) के पालन हेतु देयताएँ, अथवा किसी वैधानिक प्राधिकारी के आदेश, निर्देश या किसी न्यायालय के आदेश अथवा निर्णय के अनुपालन हेतु देयताएँ;
- e) विधि में परिवर्तन के कारण या किसी प्रचलित विधि के अनुपालन में किए गए व्यय; तथा
- f) Force Majeure परिस्थितियों के परिणामस्वरूप किए गए पूंजीगत व्यय।

यह प्रावधान रहते हुए कि यदि परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन/उन्नयन की स्थिति उत्पन्न हो, तो डीकैपिटलाइजेशन की गई परिसंपत्तियों की सकल स्थायी परिसंपत्ति एवं संचयी अवमूल्यन समायोजित करने के पश्चात ही अतिरिक्त पूंजीकरण निर्धारित किया जाएगा;

यह भी प्रावधान रहे कि मूल कार्यक्षेत्र में सम्मिलित कार्यों का विवरण, व्यय के आकलन, अव्ययित देयताओं तथा निष्पादन हेतु स्थगित कार्यों का विवरण, शुल्क निर्धारण के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

14.2 किसी मौजूदा परियोजना या नई परियोजना से संबंधित वह अतिरिक्त पूंजीगत व्यय जो मूल कार्यक्षेत्र के अंतर्गत तथा कट-ऑफ तिथि के पश्चात किया गया हो या किए जाने का प्रस्ताव हो, आयोग द्वारा उचितता परीक्षणके अधीन निम्नलिखित कारणों पर स्वीकृत किया जा सकता है:

- a) किसी मध्यस्थ निर्णयके पालन हेतु या किसी वैधानिक प्राधिकारी के आदेश अथवा निर्देश, या किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री के अनुपालन हेतु देयताएँ

- b) विधि में परिवर्तन या किसी प्रचलित विधि के अनुपालन से संबंधित व्यय;
- c) मूल कार्यक्षेत्र में राख तालाब (ash pond) या राख संभाल प्रणालीसे संबंधित स्थगित कार्य;
- d) कट-ऑफ तिथि से पूर्व निष्पादित कार्यों से संबंधित देयताएँ;
- e) Force Majeure घटनाएँ;
- f) आयोग द्वारा कट-ऑफ तिथि के पश्चात स्वीकृत कार्यों से संबंधित देयताएँ, ऐसी देयताओं के भुगतान की सीमा तक; तथा
- g) राख निपटान प्रणालीके अंतर्गत राख बांध (ash dyke) की ऊँचाई बढ़ाने से संबंधित कार्य।

14.3 किसी मौजूदा परियोजना के मूल कार्यक्षेत्र के अंतर्गत तैनात परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन/उन्नयन की स्थिति में, यदि यह कार्य कट-ऑफ तिथि के पश्चात किया गया है, तो आयोग द्वारा सकल स्थायी परिसंपत्तियों तथा संचयी अवमूल्यन में आवश्यक समायोजन करने के बाद उचितता परीक्षणके अधीन निम्नलिखित आधारों पर अतिरिक्त पूंजीकरण स्वीकृत किया जा सकता है:

- a) परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन परियोजना के उपयोगी जीवन के अनुरूप नहीं है, और ऐसी परिसंपत्तियों का पूर्ण अवमूल्यन इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जा चुका है
- b) परिसंपत्ति या उपकरण का प्रतिस्थापन विधि में परिवर्तन या Force Majeure परिस्थितियों के कारण आवश्यक हो;
- c) ऐसी परिसंपत्ति या उपकरण का प्रतिस्थापन तकनीकी अप्रचलन के कारण आवश्यक हो; तथा
- d) ऐसी परिसंपत्ति या उपकरण का प्रतिस्थापन आयोग द्वारा अन्यथा स्वीकृत किया गया हो।

14.4 मौजूदा विद्युत उत्पादन स्टेशन से संबंधित वह पूंजीगत व्यय जो मूल कार्यक्षेत्र से परे हो तथा जो किया गया हो या किए जाने का प्रस्ताव हो, आयोग द्वारा उचितता परीक्षण के अधीन स्वीकार किया जा सकता है, यदि वह निम्नलिखित कारणों पर आधारित हो:

- a) किसी मध्यस्थ निर्णयके पालन हेतु, या किसी वैधानिक प्राधिकरण के आदेश या निर्देश, अथवा किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री के अनुपालन हेतु देयताएँ;
- b) विधि में परिवर्तन या किसी प्रचलित विधि के अनुपालन हेतु व्यय;
- c) Force Majeure घटनाएँ;
- d) ऐसे अतिरिक्त कार्य/सेवाएँ, जो विद्युत उत्पादन स्टेशन के कुशल एवं सफल संचालन के लिए आवश्यक हो गई हों, परंतु जो मूल परियोजना लागत में सम्मिलित न रही हों;
- e) संयंत्र की उच्चतर सुरक्षा एवं संरक्षा की आवश्यकता, जैसा कि भारत सरकार की उपयुक्त एजेंसी अथवा राष्ट्रीय या आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्तरदायी किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा सलाह दी गई हो या निर्देशित किया गया हो;

- f) राख तालाब (ash pond) या राख संभाल प्रणालीसे संबंधित स्थगित कार्य, जो मूल कार्यक्षेत्र से अतिरिक्त हों, प्रत्येक मामले के आधार पर स्वीकृत किए जा सकते हैं:

यह भी प्रावधान रहे कि यदि कोई व्यय Renovation and Modernisation अथवा repairs and maintenance के अंतर्गत O&M expenses में दावा किया गया हो, तो वही व्यय इस विनियम के अंतर्गत पुनः दावा नहीं किया जाएगा।

- g) तापीय विद्युत उत्पादन स्टेशन में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटसे प्राप्त जल के उपयोग से संबंधित व्यय।

14.5 यदि किसी परियोजना के अंतिम चरण (अर्थात् संयंत्र के उपयोगी जीवन या विस्तारित उपयोगी जीवन की समाप्ति से कम से कम पाँच वर्ष पूर्व) में अतिरिक्त पूंजीकरण का प्रस्ताव किया गया हो, तो विद्युत उत्पादन कंपनी को उस अंतिम चरण के दौरान इसकी आवश्यकता का विस्तृत औचित्य, लागत-लाभ विश्लेषण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) (यदि हो), दर की तार्किकता तथा परियोजना के शेष जीवन मूल्यांकन प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। आयोग, विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा प्रस्तुत विवरण, उसकी आवश्यकता एवं वित्तीय व्यावहारिकता के आधार पर, ऐसे अतिरिक्त पूंजीकरण की स्वीकृति से पूर्व उचितता परीक्षण कर सकता है।

14.6 यदि किसी विद्युत उत्पादन कंपनी की परिसंपत्तियों का डीकैपिटलाइज़ेशन किया जाता है, तो ऐसी परिसंपत्ति की डीकैपिटलाइज़ेशन की तिथि पर मूल लागत, जिसे उसके लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया हो, सकल स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य से घटाई जाएगी, तथा संबंधित परिसंपत्तियों पर बकाया ऋण और इक्विटी को क्रमशः ऋण और इक्विटी शेष राशि से घटाया जाएगा। ऐसे कटौतियाँ उसी वर्ष में की जाएँगी जिसमें डीकैपिटलाइज़ेशन होता है, और इसके अनुरूप संचयी अवमूल्यन एवं ऋण के संचयी पुनर्भुगतान में आवश्यक समायोजन किए जाएँगे इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि परिसंपत्ति किस वर्ष पूंजीकृत की गई थी।

14.7 स्वीकृत योजना लागत के दायरे के भीतर अतिरिक्त पूंजीकरण के प्रभाव को आयोग वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के दौरान शुल्क निर्धारण में सम्मिलित करेगा।

यह भी प्रावधान रहे कि आयोग, यथोचितता परीक्षण के अधीन, इस शुल्क विनियम के अनुसार किसी नई योजना को उसकी गुण-विशेषताओं के आधार पर विचार कर सकता है।

पुनर्नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के कारण अतिरिक्त पूंजीकरण

14.8 विद्युत उत्पादन कंपनी, विद्युत उत्पादन स्टेशन अथवा उसके किसी इकाई के उपयोगी जीवन से अधिक जीवन-वृद्धि के उद्देश्य से पुनर्नवीकरण और आधुनिकीकरण पर व्यय करने हेतु, आयोग के समक्ष स्वीकृति के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगी। इस आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन संलग्न किया जाएगा, जिसमें संपूर्ण कार्यक्षेत्र, औचित्य, लागत-लाभ विश्लेषण, दर की तार्किकता, संदर्भ तिथि से अनुमानित जीवन-विस्तार, वित्तीय पैकेज, व्यय का चरणबद्ध प्रस्ताव, पूर्णता की समय-सारणी, संदर्भ मूल्य स्तर, विदेशी मुद्रा घटक सहित (यदि कोई हो) अनुमानित पूर्णता लागत, लाभार्थियों के साथ परामर्श का अभिलेख तथा विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा प्रासंगिक मानी जाने वाली अन्य जानकारियाँ सम्मिलित होंगी।

यह प्रावधान रहते हुए कि पुनर्नवीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाली विद्युत उत्पादन कंपनी को इन विनियमों के अंतर्गत विशेष भत्ता) का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

यह भी प्रावधान रहे कि पुनर्नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करने की इच्छुक विद्युत उत्पादन कंपनी को ऐसे पुनर्नवीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु लाभार्थियों की सहमति प्राप्त करनी होगी एवं ऐसी सहमति याचिकाके साथ प्रस्तुत की जाएगी।

- 14.9 जहाँ विद्युत उत्पादन कंपनी पुनर्नवीकरण एवं आधुनिकीकरण प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए आवेदन प्रस्तुत करती है, वहाँ स्वीकृति प्रदान की जाएगी— लागत अनुमान की तार्किकता, वित्तीय योजना, पूर्णता की समय-सारणी, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग, लागत-लाभ विश्लेषण, अपेक्षित जीवन-विस्तार तथा आयोग द्वारा प्रासंगिक माने जाने वाले अन्य कारकों पर विधिवत विचार करने के पश्चात।
- 14.10 पुनर्नवीकरण एवं आधुनिकीकरण व्यय तथा जीवनविस्तार के अनुमान के आधार पर आयोग द्वारा उचितता परीक्षणके पश्चात स्वीकृत किया गया अथवा किए जाने का प्रस्तावित कोई भी व्यय, जिसमें मूल परियोजना लागत से समेकितअवमूल्यन को घटा लिया गया हो, शुल्क निर्धारणका आधार बनेगा।

तापीय विद्युत उत्पादन स्टेशन हेतु विशेष भत्ता

- 14.11 कोयला आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशनों के मामले में, विद्युत उत्पादन कंपनी अपनी विवेकाधिकार पर, इस विनियम में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार विशेष भत्ता) का चयन कर सकती है, जो विद्युत उत्पादन स्टेशन अथवा उसकी किसी इकाई के उपयोगी जीवन से अधिक अवधि के पश्चात पुनर्नवीकरण एवं आधुनिकीकरण सहित अन्य व्ययों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रतिपूर्ति के रूप में होगा। ऐसी स्थिति में पूंजी लागत में संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी और लागू परिचालन मानदंडोंमें शिथिलता प्रदान नहीं की जाएगी, परंतु विशेष भत्ता वार्षिक स्थिर लागतमें सम्मिलित किया जाएगा।

यह भी प्रावधान रहे कि यह विकल्प ऐसे विद्युत उत्पादन स्टेशन या इकाईके लिए उपलब्ध नहीं होगा, जो क्षीण स्थितिमें हो या शिथिल परिचालन तथा प्रदर्शन मानदंडोंके अंतर्गत संचालित हो रही है।

- 14.12 कोई विद्युत उत्पादन कंपनी (कोयला आधारित/लिग्नाइट चालित तापीय विद्युत उत्पादन स्टेशन) यदि विशेष भत्ता) का चयन करती है, तो उसे नियंत्रण अवधिके दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 से लेकर वित्तीय वर्ष 2030-31 तक प्रति मेगावाट प्रति वर्ष 9.50 लाख रुपये की दर से अनुमति दी जाएगी, जो संबंधित विद्युत उत्पादन स्टेशन की प्रत्येक इकाई के उपयोगी जीवन की समाप्ति के पश्चात वाले वित्तीय वर्ष से इकाई-वारदेय होगी।

यह भी प्रावधान रहेगा कि यदि कोई इकाई 1 अप्रैल 2026 तक 25 वर्ष से अधिक अवधि से वाणिज्यिक परिचालनमें है, तो यह भत्ता वित्तीय वर्ष 2026-27 से स्वीकृत किया जाएगा।

यह भी प्रावधान रहेगा कि यदि आयोग द्वारा विशेष भत्ता) स्वीकृत किया गया हो, तो उस विशेष भत्ते से किया गया अथवा उपयोग में लाया गया व्यय विद्युत उत्पादन स्टेशन द्वारा पृथक रूप से संधारित किया जाएगा, और उसका विवरण तत्क्षण आयोग को उपलब्ध कराया जाएगा।

संशोधित उत्सर्जन मानकों के कारण अतिरिक्त पूंजीकरण

- 14.13 जहाँ किसी विद्युत उत्पादन कंपनी को संशोधित उत्सर्जन मानकोंके अनुपालन हेतु मौजूदा विद्युत उत्पादन स्टेशन में अतिरिक्त पूंजीगत व्यय करना आवश्यक हो, वहाँ वह अपना प्रस्ताव लाभार्थियों के साथ साझा करेगी और आयोग के समक्ष ऐसी अतिरिक्त पूंजीकरण की स्वीकृति हेतु व्यवहार्यता प्रतिवेदन तथा शुल्क पर उसके प्रभावके साथ याचिका प्रस्तुत करेगी।
- 14.14 उपर्युक्त उपधारा 14.13 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिका में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, प्रस्तावित प्रौद्योगिकी का विवरण एवं उसकी उपयुक्तता, कार्य का दायरा, व्यय का चरणबद्ध विवरण, पूर्णता की समय-सारणी, विदेशी मुद्रा घटक सहित (यदि कोई हो) अनुमानित पूर्णता लागत लाभार्थियों पर शुल्क प्रभाव की विस्तृत गणना किसी सक्षम तृतीय पक्ष तकनीकी संस्था द्वारा किया गया अवशिष्ट जीवन मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा प्रासंगिक मानी जाने वाली अन्य कोई जानकारी सम्मिलित होगी।

यह प्रावधान रहेगा कि आयोग द्वारा विषय पर आवश्यक परीक्षण (due diligence) करने हेतु मांगी गई सभी प्रासंगिक जानकारियाँ विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी।

- 14.15 जब विद्युत उत्पादन कंपनी संशोधित उत्सर्जन मानकोंके कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत करती है तो आयोग लागत अनुमान की यथोचितता, वित्तीय योजना, पूर्णता की समय-सारणी, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग, लागत-लाभ विश्लेषण तथा अन्य ऐसे कारकों पर, जिन्हें आयोग प्रासंगिक समझे, यथोचित विचार करने के बाद स्वीकृति प्रदान कर सकता है।
- 14.16 संशोधित उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन की पूर्णता के पश्चात् विद्युत उत्पादन कंपनी शुल्क निर्धारण हेतु याचिका दाखिल करेगी। ऐसा कोई व्यय, जो किया गया हो या किए जाने का प्रस्ताव हो, और जो लागत की उपयुक्तता तथा परिचालन मापदंडों पर प्रभाव के उचितता परीक्षणके पश्चात् आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया हो, शुल्क निर्धारण का आधार बनेगा।

अस्थिर विद्युत (Infirm Power) की बिक्री

- 14.17 अस्थिर विद्युत की आपूर्ति झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2008 तथा उसके पश्चात् के संशोधनों या आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य प्रासंगिक विनियम के अनुसार लेखाबद्ध की जाएगी तथा उसके लिए प्राप्य भुगतान क्षेत्रीय या राज्य UI pool account से प्रचलित UI rate पर किया जाएगा।

यह प्रावधान रहेगा कि विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा अस्थिर विद्युत की बिक्री से अर्जित कोई भी राजस्व, ईंधन व्ययका समायोजन करने के पश्चात्, पूंजी लागत में उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाएगा।

अध्याय-IV

शुल्क संरचना

A15. शुल्क के घटक

- 15.1 किसी तापीय विद्युत उत्पादन स्टेशन से विद्युत आपूर्ति का शुल्क दो भागों में होगा-
- (क) क्षमता शुल्क— जो वार्षिक स्थिर लागतकी वसूली हेतु देय होगा, जैसा कि इन विनियमों की धारा 15.3 में निर्दिष्ट घटकों से मिलकर बनता है; तथा
- (ख) ऊर्जा शुल्क — जो प्राथमिक तथा द्वितीयक ईंधन लागत, चूना पत्थर तथा किसी अन्य अभिकर्मक (reagent) की लागत की वसूली हेतु देय होगा, जैसा कि तापीय विद्युत उत्पादन स्टेशन के मामले में इन विनियमों की धारा 15.4 में निर्दिष्ट है।
- 15.2 मौजूदा अथवा नई विद्युत उत्पादन इकाइयों में संशोधित उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन के कारण होने वाले अतिरिक्त पूंजीकरण हेतु पूरक क्षमता शुल्क तथा पूरक ऊर्जा शुल्क आयोग द्वारा पृथक रूप से निर्धारित किए जाएंगे।
- 15.3 **क्षमता शुल्क:**
क्षमता शुल्क का निर्धारण वार्षिक स्थिर लागत (AFC) के आधार पर किया जाएगा। किसी विद्युत उत्पादन स्टेशन की वार्षिक स्थिर लागत में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होंगे:
1. रिटर्न ऑन इक्विटी
 2. ऋण पूंजी पर ब्याज
 3. मूल्यहास
 4. कार्यशील पूंजी पर ब्याज
 5. संचालन एवं अनुरक्षण व्यय, तथा
 6. घटाएं: गैर-टैरिफ आय, तथा
 7. घटाएं: अन्य व्यवसाय से आय जैसा कि विनियम 15.50 एवं विनियम 15.51 में निर्दिष्ट है:
यह प्रावधान होगा कि पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण के स्थान पर लिए गए विशेष भत्ते जब विनियम 14.11 एवं विनियम 14.12 के अनुसार चुने गए हों तो उन्हें पृथक रूप से वसूल किया जाएगा और कार्यशील पूंजी की गणना में विचार नहीं किया जाएगा।
- 15.4 **ऊर्जा शुल्क:** ऊर्जा शुल्कों की गणना जनरेटिंग स्टेशन (जल विद्युत को छोड़कर) के ईंधन के आगमन लागत (Landed Fuel Cost - LFC) के आधार पर की जाएगी और इनमें निम्नलिखित लागतें सम्मिलित होंगी:
- (क) प्राथमिक ईंधन की आगमन लागत (Landed Fuel Cost);
- (ख) द्वितीयक ईंधन तेल की खपत की लागत; तथा
- (ग) चूना पत्थर या अन्य किसी अभिकर्मक की लागत, जैसा कि लागू हो:
- यह प्रावधान होगा कि करों एवं शुल्कों की वापसी, साथ ही ईंधन आपूर्तिकर्ता से दंड राशि के रूप में प्राप्त कोई भी राशि, ईंधन लागत में समायोजित की जाएगी:

यह भी प्रावधान होगा कि, ताप विद्युत संयंत्र के मामले में, संशोधित उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए यदि कोई अनुपूरक ऊर्जा शुल्क देय हो तो उसका निर्धारण आयोग द्वारा पृथक रूप से किया जाएगा।

- 15.5 जल विद्युत जनरेटिंग स्टेशन से विद्युत आपूर्ति का टैरिफल विद्युत जनरेटिंग स्टेशन से विद्युत आपूर्ति का टैरिफ क्षमता शुल्क और ऊर्जा शुल्क से मिलकर बनेगा जिनकी गणना इन विनियमों के विनियम 19.1 से विनियम 19.9 में निर्दिष्ट विधि के अनुसार की जाएगी।

ऋण-इक्विटी अनुपात

- 15.6 **विद्यमान परियोजनाएं:** ऐसी विद्यमान परियोजनाओं के लिए जो 1 अप्रैल 2026 या उससे पहले वाणिज्यिक संचालन की घोषणा करती हैं, निम्नलिखित पूंजी संरचना स्वीकार्य होगी:

1. जिस ऋण-इक्विटी अनुपात को आयोग ने 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु टैरिफ निर्धारण के लिए अनुमोदित किया है, वही माना जाएगा।
2. ऐसी जनरेटिंग स्टेशन के मामले में, जिसने 1 अप्रैल 2026 से पूर्व वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है, परंतु जिसके लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु टैरिफ निर्धारण के लिए ऋण-इक्विटी अनुपात आयोग द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, उस स्थिति में आयोग इन विनियमों के विनियम 15.7 के अनुसार ऋण-इक्विटी अनुपात अनुमोदित करेगा।
3. कोई भी व्यय जो 1 अप्रैल 2026 या उसके पश्चात किया गया है या किया जाना प्रस्तावित है, जिसे आयोग ने टैरिफ निर्धारण हेतु अनुमोदित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय तथा जीवन विस्तार हेतु पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण व्यय के रूप में स्वीकृत किया है उसका वहन इन विनियमों के विनियम 15.7 में निर्दिष्ट विधि के अनुसार किया जाएगा।

- 15.7 **नई परियोजनाएं:** ऐसी नई परियोजनाओं के लिए जो 1 अप्रैल 2026 या उसके पश्चात वाणिज्यिक संचालन की घोषणा करती हैं, निम्नलिखित पूंजी संरचना अनुमेय होगी:

1. टैरिफ निर्धारण के उद्देश्य से 70:30 का मानक ऋण-इक्विटी अनुपात माना जाएगा।
2. यदि प्रयुक्त वास्तविक इक्विटी 30% से अधिक है, तो टैरिफ निर्धारण के उद्देश्य से इक्विटी की राशि 30% तक सीमित मानी जाएगी तथा शेष राशि को मानक ऋणके रूप में माना जाएगा।
3. यदि प्रयुक्त वास्तविक इक्विटी 30% से कम है, तो वास्तविक ऋण-इक्विटी अनुपात को ही माना जाएगा।
4. यदि जनरेटिंग कंपनी द्वारा शेयर पूंजी निर्गम करते समय कोई प्रीमियम प्राप्त किया गया है और परियोजना के वित्तपोषण हेतु स्वतंत्र भंडारसे निर्मित आंतरिक संचयका निवेश किया गया है, तो ऐसी प्रीमियम राशि तथा आंतरिक संसाधनों को केवल तभी अदा की गई पूंजीमाना जाएगा जब उनका वास्तविक उपयोग जनरेटिंग स्टेशन के पूंजीगत व्यय को पूरा करने में किया गया हो।
5. विदेशी मुद्रा में निवेश की गई इक्विटी को प्रत्येक निवेश की तिथि पर भारतीय रुपये में सूचित किया जाएगा।

6. उपभोक्ता अंशदान, जमा राशिके अंतर्गत किए गए कार्य तथा परियोजना के निष्पादन हेतु प्राप्त अनुदानको मानक ऋण-इक्विटी के निर्धारण हेतु पूंजी संरचना का भाग नहीं माना जाएगा।

टिप्पणी 1: मूल कार्य क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत दायित्वोंके कारण स्वीकृत कोई भी व्यय तथा तकनीकी-आर्थिक कारणों से स्थगित परंतु मूल कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला व्यय इन विनियमों में निर्दिष्ट मानक ऋण-इक्विटी अनुपात में वहन किया जाएगा।

टिप्पणी 2: पुराने परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन, या पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण अथवा जीवन विस्तार पर किया गया कोई भी व्यय, मूल परिसंपत्तियों के समस्त बुकवैल्यूको नई परिसंपत्ति की पूंजी लागत से हटाने के बाद, इन विनियमों में निर्दिष्ट मानक ऋण-इक्विटी अनुपात के अनुसार माना जाएगा।

टिप्पणी 3: मूल कार्य क्षेत्र से बाहर आने वाले नए कार्यों के लिए, टैरिफ निर्धारण हेतु आयोग द्वारा स्वीकृत कोई भी व्यय, इन विनियमों में निर्दिष्ट मानक ऋण-इक्विटी अनुपात में वहन किया जाएगा।

- 15.8 जनरेटिंग कंपनी ऐसी निधियों के आंतरिक संसाधनों से निवेश के संबंध में, जो जनरेटिंग स्टेशन के पूंजीगत व्यय को पूरा करने हेतु किए गए या किए जाने का प्रस्ताव हैं उसके समर्थन में कंपनी के निदेशक मंडल का प्रस्ताव अथवा अन्य मामलों में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

रिटर्न ऑन इक्विटी

- 15.9 रिटर्न ऑन इक्विटी रुपये में गणना किया जाएगा, जो इन विनियमों के विनियम 15.6 और विनियम 15.7 के अनुसार निर्धारित इक्विटी आधार पर आधारित होगा।
- 15.10 जिन जनरेटिंग स्टेशनों की वाणिज्यिक संचालन तिथि 1 अप्रैल 2026 के पश्चात है, उनके लिए ताप विद्युत जनरेटिंग स्टेशन तथा नदी प्रवाह आधारित (run of the river) जल विद्युत जनरेटिंग स्टेशन हेतु, कर पश्चात (post-tax) आधार पर 14.50% की मूल दर (base rate) पर प्रतिफल की गणना की जाएगी; और भंडारण प्रकार (storage type) जल विद्युत जनरेटिंग स्टेशन, जिसमें पम्पड स्टोरेज जल विद्युत जनरेटिंग स्टेशन तथा जलाशय सहित नदी प्रवाह आधारित जनरेटिंग स्टेशन सम्मिलित हैं, हेतु 15.50% की मूल दर पर प्रतिफल की गणना की जाएगी।

जिन जनरेटिंग स्टेशनों की वाणिज्यिक संचालन तिथि 1 अप्रैल 2026 से पूर्व है, उनके लिए ताप विद्युत जनरेटिंग स्टेशन तथा नदी प्रवाह आधारित जल विद्युत जनरेटिंग स्टेशन हेतु, कर पश्चात आधार पर 15.00% की मूल दर पर प्रतिफल की गणना की जाएगी; और भंडारण प्रकार जल विद्युत जनरेटिंग स्टेशन (जिसमें पम्पड स्टोरेज तथा जलाशय सहित नदी प्रवाह आधारित स्टेशन शामिल हैं) हेतु 16.00% की मूल दर पर प्रतिफल की गणना की जाएगी।

यह प्रावधान होगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी केवल उन्हीं परिसंपत्तियों पर स्वीकृत किया जाएगा जो अभिप्रमाणित हैं और उपयोग में हैं।

यह भी प्रावधान होगा कि यदि जनरेटिंग स्टेशन को बिना निम्न प्रणालियों के अभिप्रमाणित घोषित किया गया पाया जाता है — प्रतिबंधित गवर्नर मोड संचालन (RGMO) / मुक्त गवर्नर मोड संचालन (FGMO), डेटा टेलीमेट्री, लोड प्रेषण केंद्र तक संचार प्रणाली, या सुरक्षा प्रणाली — तो ऐसी अवधि के लिए, जैसा आयोग द्वारा निर्धारित किया जाए, नई परियोजना की प्रतिफल दर में 1.00% की कमी की जाएगी।

यह भी प्रावधान होगा कि उपर्युक्त में से किसी भी आवश्यकता की कमी, यदि राज्य भार प्रेषण केंद्र (SLDC) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर किसी जनरेटिंग स्टेशन में पाई जाती है, तो जिस अवधि तक यह कमी बनी रहती है, उस अवधि के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी में 1.00% की कमी की जाएगी।

आयकर

- 15.11 जनरेटिंग कंपनी के उत्पन्नीकरण व्यवसाय पर लगने वाला आयकर, यदि कोई हो, तो केवल अनुमोदित रिटर्न ऑन इक्विटी तक सीमित रहेगा।
- 15.12 अनुमोदित रिटर्न ऑन इक्विटी के आधार पर देय या भुगतान किए गए आयकर की राशि, वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) में टू-अप (truing up) के समय सम्मिलित की जाएगी। आयकर का वास्तविक निर्धारण करते समय कर अवकाश (tax holiday) के लाभ तथा आयकर अधिनियम, 1961 और उसके संशोधनों के अनुसार अनुमेय हानि अग्रेषण (carry forward losses) की समायोजन सुविधा को ध्यान में रखा जाएगा, और इससे उत्पन्न होने वाले लाभों को उपभोक्ताओं को हस्तांतरित किया जाएगा। जनरेटिंग कंपनी की अन्य आय स्रोतों पर लगने वाला कर उपभोक्ताओं से वसूल नहीं किया जाएगा।

ऋण पूंजी पर ब्याज

- 15.13 इन विनियमों के विनियम 15.6 और विनियम 15.7 में वर्णित विधि के अनुसार निर्धारित किए गए ऋणों को ऋण पर ब्याज की गणना हेतु सकल मानक ऋणमाना जाएगा।
- 15.14 1 अप्रैल 2026 को शेष मानक ऋणकी गणना, आयोग द्वारा 31 मार्च 2026 तक स्वीकृत संचयी अदायगीको सकल मानक ऋण में से घटाकर की जाएगी।
- 15.15 नियंत्रण अवधिके प्रत्येक वर्ष के लिए पुनर्भुगतानउस वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत मूल्यहासके बराबर माना जाएगा।
- 15.16 परिसंपत्तियों के अपपूंजीकरणके मामले में, पुनर्भुगतान को आनुपातिक आधारपर संचयी पुनर्भुगतान को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जाएगा और ऐसा समायोजन संबंधित परिसंपत्तियों के अपपूंजीकरण की तिथि तक स्वीकृत संचयी मूल्यहास से अधिक नहीं होगा।
- 15.17 यद्यपि जनरेटिंग कंपनी द्वारा किसी स्थगन अवधिका लाभ लिया गया हो, फिर भी ऋण का पुनर्भुगतानसंबंधित योजना/परिसंपत्ति के पहले परिचालन वर्ष से ही माना जाएगा।
- 15.18 ब्याज दरउस वर्ष के प्रारंभ में वास्तविक ऋण पोर्टफोलियोके आधार पर गणना की गई भारित औसत ब्याज दर (weighted average rate of interest) होगी, जो जनरेटिंग कंपनी पर लागू होगी:

यह प्रावधान होगा कि यदि किसी विशेष वर्ष में कोई वास्तविक ऋण उपलब्ध नहीं है, परंतु मानक ऋणअब भी बकाया है, तो ब्याज दर को मानक आधारपर माना जाएगा, और यह नियंत्रण अवधिके संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल को प्रचलित बैंक दरसे 200 बेसिस पॉइंट अधिक होगी।

यह भी प्रावधान होगा कि यदि कोई नई जनरेटिंग कंपनी, इन विनियमों के प्रभावी होने की तिथि के बाद संचालन प्रारंभ करती है और जिसके पास कोई वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो नहीं है, तो ब्याज दर को मानक आधारपर माना जाएगा और यह नियंत्रण अवधि के संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल को प्रचलित बैंक दरसे 200 बेसिस पॉइंट अधिक होगी।

- 15.19 ऋण पर ब्याज की गणना वर्ष के मानक औसत ऋणपर भारित औसत ब्याज दर (weighted average rate of interest) लागू करके की जाएगी।
- 15.20 उपरोक्त ब्याज गणना में उन ऋण राशियों पर ब्याज को (चाहे वह मानक हो या वास्तविक), जिन्हें उपभोक्ता अंशदान, अनुदान, या जनरेटिंग कंपनी द्वारा किए गए जमा कार्यों के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है, सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- 15.21 जनरेटिंग कंपनी को ऐसे सभी अवसरों का उपयोग करना चाहिए जहाँ ऋण का पुनर्वित्तकरण ब्याज में शुद्ध बचतलाता हो, और ऐसी स्थिति में पुनर्वित्तकरण से संबंधित लागत उपभोक्ताओं तक पास-थूकी जाएगी तथा शुद्ध बचत को उपभोक्ताओं और जनरेटिंग कंपनी के बीच 50:50 के अनुपात में साझा किया जाएगा।
- 15.22 विवाद की स्थिति में, कोई भी पक्ष, विवाद के निस्तारण हेतु, समय-समय पर संशोधित या विधिक पुनर्प्रवर्तन सहित "झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय संचालन) विनियम, 2024" के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

कार्यशील पूंजी पर ब्याज

- 15.23 आयोग कोयला आधारित जनरेटिंग स्टेशनों के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को मानक आधारपर निर्धारित करेगा, जिसमें निम्नलिखित घटक सम्मिलित होंगे:
1. कोयला या लिग्नाइट तथा, जहाँ लागू हो, चूना पत्थर के भंडारणहेतु लागत — कोयला खदान स्थित (pit-head) जनरेटिंग स्टेशनों के लिए 10 दिनों की तथा गैर-कोयला खदान स्थित (non-pit-head) जनरेटिंग स्टेशनों के लिए 20 दिनों की अवधि के लिए — जो मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक के अनुरूप उत्पादन के लिए आवश्यक होगी या अधिकतम कोयला/लिग्नाइट भंडारण क्षमता, जो भी कम हो, के आधार पर होगी।
 2. कोयला या लिग्नाइट तथा चूना पत्थर की लागत — मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक के अनुरूप उत्पादन हेतु 30 दिनों की अवधि के लिए।
 3. द्वितीयक ईंधन तेलकी लागत — मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक के अनुरूप उत्पादन हेतु दो महीने की अवधि के लिए; और यदि एक से अधिक द्वितीयक ईंधन तेल का उपयोग किया जाता है, तो प्रमुख द्वितीयक ईंधन तेल के भंडार की लागत ली जाएगी।
 4. संचालन एवं अनुरक्षण व्यय, जिसमें जल-शुल्क तथा सुरक्षा व्ययसम्मिलित होंगे — एक माह की अवधि के लिए।
 5. अनुरक्षण सामग्री (Maintenance Spares) — संचालन और अनुरक्षण व्यय का 20%
 6. प्राप्तियां (Receivables) — विद्युत बिक्री के लिए क्षमता शुल्क (Capacity Charges) और ऊर्जा शुल्क (Energy Charges) के 45 दिनों के बराबर, जो मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक (Normative Annual Plant Availability Factor) के आधार पर गणना की जाएगी।

यह प्रावधान होगा कि प्राथमिक ईंधन की लागत को जनरेटिंग स्टेशन द्वारा वहन की गई आगमन लागत (landed cost) के आधार पर माना जाएगा, जिसमें मानक पारगमन और संचालन हानियों (normative transit and handling losses) का ध्यान रखा जाएगा। ईंधन का सकल ऊष्मीय मान (Gross Calorific Value) "as received basis" पर वास्तविक औसत के अनुसार लिया जाएगा तथा भंडारण के दौरान होने वाले परिवर्तन हेतु 85 किलो-कैलोरी प्रति किलोग्राम की कटौती की जाएगी। यह गणना उन तीन माह की भारित औसत के आधार पर की जाएगी जो उस महीने से पूर्व के होंगे जिसके लिए टैरिफ निर्धारित किया जाना है।

यह भी प्रावधान होगा कि नए जनरेटिंग स्टेशन के मामले में, प्रथम वित्तीय वर्ष के लिए ईंधन की लागत आगमन ईंधन लागत (landed fuel cost) के आधार पर मानी जाएगी, जिसमें मानक पारगमन और संचालन हानियों को शामिल किया जाएगा, तथा ईंधन का सकल ऊष्मीय मान उस तिथि से पहले के तीन माह के वास्तविक भारित औसत के अनुसार माना जाएगा जिस तिथि को वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की गई है, और जिसका उपयोग अनियमित शक्तिके लिए किया गया था।

15.24 ओपन-साइकिल गैस टरबाइनअथवा संयुक्त चक्र तापीयजनरेटिंग स्टेशनों की कार्यशील पूंजी निम्नलिखित घटकों से मिलकर बनेगी:

1. ईंधन व्यय — मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक के अनुरूप 30 दिनों के लिए, जिसमें जनरेटिंग स्टेशन के गैस ईंधन तथा द्रव ईंधनपर संचालन के तरीके को समुचित रूप से ध्यान में रखा जाएगा।
2. द्रव ईंधन भंडार — मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक के अनुरूप 15 दिनों के लिए, और यदि एक से अधिक द्रव ईंधन का उपयोग किया जाता है, तो प्रमुख द्रव ईंधनकी लागत ली जाएगी, जिसमें जनरेटिंग स्टेशन के गैस ईंधन तथा द्रव ईंधन पर संचालन के तरीके को समुचित रूप से ध्यान में रखा जाएगा।
3. संचालन एवं अनुरक्षण व्यय— जिसमें जल-शुल्कतथा सुरक्षा व्ययसम्मिलित होंगे, एक माह की अवधि के लिए।
4. अनुरक्षण सामग्री — संचालन एवं अनुरक्षण व्यय, जिसमें जल-शुल्क तथा सुरक्षा व्यय सम्मिलित हों, का 30%।
5. प्राप्तियां — विद्युत बिक्री के लिए क्षमता शुल्कऔर ऊर्जा शुल्कके 45 दिनों के बराबर, जो मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक के आधार पर गणना की जाएंगी, तथा जिसमें जनरेटिंग स्टेशन के गैस ईंधन और द्रव ईंधन पर संचालन के तरीके को समुचित रूप से ध्यान में रखा जाएगा।

यह प्रावधान होगा कि प्राथमिक ईंधन की लागत उस आगमन लागतपर आधारित होगी, जो उस प्रथम महीने से पूर्व के तीन महीनों की वास्तविक भारित औसत के अनुसार वहन की गई हो, जिसके लिए टैरिफ निर्धारित किया जाना है।

यह भी प्रावधान होगा कि नए जनरेटिंग स्टेशन के मामले में, प्रथम वित्तीय वर्ष के लिए ईंधन की लागत आगमन ईंधन (landed fuel) और ईंधन के सकल ऊष्मीय मानके आधार पर मानी जाएगी, जो उस तिथि से पूर्व के तीन महीनों की वास्तविक भारित औसत के अनुसार होगी जिस तिथि को वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की गई है, और जिसका उपयोग अनियमित शक्ति (infirm power) हेतु किया गया था, जिसके लिए टैरिफ निर्धारित किया जा रहा है।

15.25 जल विद्युत जनरेटिंग स्टेशनों, जिनमें पम्पड स्टोरेज जल विद्युत जनरेटिंग स्टेशन भी सम्मिलित हैं, की कार्यशील पूंजी निम्नलिखित घटकों से मिलकर बनेगी:

1. संचालन एवं अनुरक्षण व्यय— जिसमें सुरक्षा व्ययसम्मिलित होंगे, एक माह की अवधि के लिए।
2. अनुरक्षण सामग्री — संचालन एवं अनुरक्षण व्यय, जिसमें सुरक्षा व्यय सम्मिलित हों, का 15%।
3. प्राप्तियां — वार्षिक स्थिर लागतके 45 दिनों के बराबर।

15.26 कार्यशील पूंजी पर ब्याज दरमानक आधारपर होगी, तथा यह उस वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर को प्रचलित बैंक दरसे 350बेसिस पॉइंटअधिक होगी, जिसमें बहुवर्षीय टैरिफ याचिकादायर की गई है

अथवा नियंत्रण अवधि के वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के दौरान 1 अप्रैल को प्रचलित बैंक दर से 350 बेसिस पॉइंट अधिक — जो तिथि बाद में हो — लागू होगी, जिस वर्ष जनरेटिंग स्टेशन या उसका कोई यूनिट वाणिज्यिक संचालन में घोषित होता है।

यह प्रावधान होगा कि कार्यशील पूंजी पर ब्याज दर का डू-अप (true-up) उस संबंधित वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को प्रचलित बैंक दरसे 350 बेसिस पॉइंट अधिक की दर पर किया जाएगा, जो डू-अप के समय लागू हो।

- 15.27 कार्यशील पूंजी पर ब्याज का भुगतान मानक आधार पर किया जाएगा, चाहे जनरेटिंग कंपनी ने किसी बाहरी संस्था से कार्यशील पूंजी ऋणलिया हो या नहीं।

मूल्यहास

- 15.28 मूल्यहासकी गणना प्रत्येक वर्ष उन परिसंपत्तियों की पूंजी लागतपर की जाएगी, जिन्हें आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया है। यदि किसी जनरेटिंग स्टेशन की एक से अधिक इकाइयों का टैरिफ निर्धारित किया गया है, तो उस जनरेटिंग स्टेशन के लिए भारित औसत आयु (weighted average life) लागू की जाएगी।

यह प्रावधान होगा कि उपभोक्ता अंशदानया पूंजी अनुदानसब्सिडी से वित्तपोषित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन का प्रावधान पूंजी निवेश योजना में किया जाएगा।

- 15.29 प्रत्येक वर्ष के लिए मूल्यहासका निर्धारण इन विनियमों में निर्दिष्ट पद्धति, दरों तथा अन्य शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

- 15.30 मूल्यहास की वार्षिक गणना सीधी रेखा विधिके आधार पर, परिशिष्ट-1 में निर्दिष्ट दरों पर की जाएगी। मूल्यहास की गणना के लिए आधार मूल्य संबंधित परिसंपत्ति की मूल लागतहोगी।

यह प्रावधान होगा कि जब किसी परिसंपत्ति का मूल्यहास उस परिसंपत्ति के बुक वैल्यूके सत्तर (70) प्रतिशत तक पहुँच जाए तो उस परिसंपत्ति का शेष मूल्यहास योग्य मूल्यउस वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन में विभाजित किया जाएगा।

यह भी प्रावधान होगा कि यदि जनरेटिंग स्टेशन और उपभोक्ताओंके बीच संपादित विद्युत क्रयअनुबंध (PPA) की अवधि संयंत्र के उपयोगी जीवनसे अधिक है, तो आयोग, यथोचित परीक्षणके पश्चात, उपयोगी जीवन के स्थान पर पीपीए की अवधिको शेष मूल्यहास योग्य मूल्य के विभाजन हेतु विचार कर सकता है।

यह भी प्रावधान होगा कि यदि अवशिष्ट जीवन आकलनके उपरांत यह पाया जाता है कि जनरेटिंग स्टेशन अथवा इकाई का वास्तविक अवशिष्ट जीवन इन विनियमों में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन से अधिक है, तो आयोग, यथोचित परीक्षण के पश्चात, संयंत्र के विस्तारित जीवनमें शेष मूल्यहास योग्य राशि की वसूली की अनुमति दे सकता है।

- 15.31 किसी परिसंपत्तिके वाणिज्यिक संचालन के प्रथम वर्ष से ही मूल्यहासलगाया जाएगा। यदि परिसंपत्ति का संचालन किसी वर्ष के आंशिक अवधि के लिए हुआ है तो मूल्यहास का प्रभार आनुपातिक आधारपर किया जाएगा।

यह प्रावधान होगा कि यदि जनरेटिंग स्टेशन की उपलब्धताकम होने के कारण मूल्यहास की कोई राशि अस्वीकृत की जाती है, तो ऐसी राशि को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन या विस्तारित जीवन के दौरान बाद में वसूल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- 15.32 परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य 10% माना जाएगा, और मूल्यहास परिसंपत्ति की मूल लागतके अधिकतम 90% तक की अनुमति होगी। भूमि जो पट्टे पर ली गई भूमिको छोड़कर, तथा जल विद्युत जनरेटिंग स्टेशन के मामले में जलाशय हेतु प्रयुक्त भूमिमूल्यहास योग्य परिसंपत्ति नहीं मानी जाएगी, और इसकी लागत परिसंपत्ति के मूल्यहास योग्य मूल्य की गणना से बाहर रखी जाएगी। भूमि मूल्यहास योग्य परिसंपत्ति नहीं है, अतः परिसंपत्ति की मूल लागत के 90% की गणना में इसकी लागत शामिल नहीं की जाएगी।

यह भी प्रावधान होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणऔर सॉफ्टवेयर के लिए अवशिष्ट मूल्यशून्य माना जाएगा, और ऐसी परिसंपत्तियों के 100% मूल्य को मूल्यहास योग्यमाना जाएगा।

यह भी प्रावधान किया गया है कि जलविद्युत उत्पन्नीकरण स्टेशनों के मामले में, अवशिष्ट मूल्य उस अनुबंध में निर्धारित किया जाएगा जो परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार के साथ स्थल के निर्माण हेतु किया गया है।

यह भी प्रावधान किया गया है कि जलविद्युत उत्पन्नीकरण स्टेशन की परिसंपत्तियों की पूंजी लागत, अपक्षय योग्य मूल्य की गणना के उद्देश्य से, नियमित दर पर दीर्घकालीन विद्युत खरीद समझौते के अंतर्गत विद्युत विक्रय के प्रतिशत के अनुरूप होगी।

- 15.33 आयोग, यदि स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं है, तो नवीनतम उपलब्ध लेखा-परीक्षित खातों के अनुसार उत्पन्नीकरण कंपनी द्वारा दर्शाई गई मूल्यहास राशि को औसत सकल स्थायी परिसंपत्तियों से विभाजित कर मूल्यहास प्रतिशतकी गणना कर सकता है। इस प्रकार प्राप्त अपक्षय प्रतिशत को संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित औसत GFA से गुणा करके उस वित्तीय वर्ष की मूल्यहास राशि निर्धारित की जाएगी।
- 15.34 यदि उत्पन्नीकरण स्टेशन या उसकी किसी इकाई की परिसंपत्तियों का डे-कैपिटलाइजेशन किया जाता है, तो संचयी अपक्षय को इस प्रकार समायोजित किया जाएगा कि डे-कैपिटलाइज की गई परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के दौरान शुल्कके माध्यम से वसूल की गई अपक्षय राशि को ध्यान में रखा जाए।

संचालन एवं अनुरक्षण व्यय

- 15.35 संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) व्यय में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:

1. वेतन, मजदूरी, पेंशन अंशदान और अन्य कर्मचारी व्यय;
2. प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय;
3. मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय।

नए उत्पन्नीकरण स्टेशन:

15.36 कोयला आधारित एवं लिग्नाइट ईंधन वाले (सहित परिसंचारी द्रवित शय्या दहन (Circulating Fluidised Bed Combustion - CFBC) प्रौद्योगिकी पर आधारित) उत्पन्नीकरण स्टेशनों के मानक संचालन एवं अनुरक्षण व्यय निम्नानुसार होंगे:

वर्ष	200/210/250 मेवा सेट	300/330/350 मेवा सेट	500 मेवा सेट	600 मेवा एवं अधिक के सेट
विव 2026-27	40.92	34.04	27.17	25.78
विव 2027-28	43.07	35.83	28.60	27.13
विव 2028-29	45.33	37.71	30.10	28.56
विव 2029-30	47.71	39.69	31.68	30.06
विव 2030-31	50.21	41.78	33.34	31.64

नोट: सभी मान लाख रुपये/मेगावाट में हैं

यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी उत्पन्नीकरण स्टेशन की चार इकाइयों के पश्चात किसी अतिरिक्त इकाई/इकाइयों का वाणिज्यिक संचालन दिनांक 1 अप्रैल, 2026 या उसके पश्चात होती है, तो ऐसी अतिरिक्त इकाई/इकाइयों के संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) व्यय उपर्युक्त निर्दिष्ट संचालन एवं अनुरक्षण व्यय के 90 प्रतिशत के बराबर स्वीकृत होंगे।

यह भी प्रावधान किया गया है कि विद्यमान उत्पन्नीकरण स्टेशनों के लिए O&M व्यय, आयोग द्वारा उनके संबंधित बहुवर्षीय टैरिफ (MYT) आदेशों में, पिछले नियंत्रण अवधि के वास्तविक O&M व्यय और यथोचित सावधानी परीक्षणके उपरांत अनुमोदित किए जाएंगे।

15.37 ओपन साइकिल गैस टरबाइन / संयोजित चक्रउत्पन्नीकरण स्टेशनों के मानक संचालन एवं अनुरक्षण व्यय निम्नानुसार होंगे:

वर्ष	गैस टर्बाइन/संयुक्त चक्र उत्पादन स्टेशन	छोटे टरबाइन विद्युत उत्पादन केंद्र
विव 2026-27	18.18	47.86
विव 2027-28	19.14	50.37
विव 2028-29	20.14	53.02
विव 2029-30	21.20	55.80
विव 2030-31	22.32	58.73

नोट: सभी मान लाख रुपये/मेगावाट में हैं

- 15.38 लिग्नाइट ईंधन पर आधारित उत्पन्नीकरण स्टेशनों के मानक संचालन एवं अनुरक्षण व्यय निम्नानुसार होंगे:

वर्ष	125मेवा सेट
विव 2026-27	38.81
विव 2027-28	40.85
विव 2028-29	42.99
विव 2029-30	45.25
विव 2030-31	47.62

नोट: सभी मान लाख रुपये/मेगावाट में हैं

- 15.39 कोयला अपशिष्ट (Coal Rejects) पर आधारित उत्पन्नीकरण स्टेशनों के मानक संचालन एवं अनुरक्षण व्यय निम्नानुसार होंगे:

वर्ष	ओ एंड एम व्यय
विव 2026-27	38.81
विव 2027-28	40.85
विव 2028-29	42.99
विव 2029-30	45.25
विव 2030-31	47.62

नोट: सभी मान लाख रुपये/मेगावाट में हैं

विद्यमान उत्पन्नीकरण स्टेशन

- 15.40 नियंत्रण अवधि के आधार वर्ष के लिए O&M व्यय आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे, जिसमें वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के लेखा-परीक्षित खातों, उत्पन्नीकरण कंपनी द्वारा दायर व्यावसायिक योजना, आधार वर्ष के वास्तविक व्यय के आकलन, यथोचित सावधानी परीक्षण (prudence check) तथा आयोग द्वारा उपयुक्त समझे गए अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाएगा।
- 15.41 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के समष्टि राजस्व आवश्यकता (ARR) हेतु अनुमत O&M व्यय निम्नलिखित सूत्र के आधार पर आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे:

$$O\&M_n = (R\&M_n + EMP_n + A\&G_n) + \text{अंतिम देनदारियां (Terminal Liabilities)}$$

जहाँ:

R&M_n – संबंधित वर्ष (nवें वर्ष) के लिए उत्पन्नीकरण कंपनी के मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय;

EMP_n – संबंधित वर्ष (nवें वर्ष) के लिए उत्पन्नीकरण कंपनी के कर्मचारी व्यय, जिसमें अंतिम देनदारियां शामिल नहीं होंगी;

A&G_n – संबंधित वर्ष (nवें वर्ष) के लिए उत्पन्नीकरण कंपनी के प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय।

15.42 उपर्युक्त घटकों की गणना निम्नलिखित विधि के अनुसार की जाएगी

$$\text{क) (मरम्मत एवं अनुरक्षण)n(Repair \& Maintainance) = K * GFA * (INDXn / INDXo)}$$

जहाँ,

'K' एक स्थिरांक (प्रतिशत में व्यक्त) है जो मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत और सकल स्थायी परिसंपत्तियों (GFA) के मध्य संबंध को नियंत्रित करता है, और इसकी गणना नियंत्रण अवधि के आधार वर्ष से ठीक पूर्व के वर्षों में GFA पर मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय के प्रतिशत के आधार पर की जाएगी, जिसमें किसी भी असामान्य व्यय को सामान्यीकृत किया जाएगा।

'GFA' संबंधित वर्ष (nवें वर्ष) की सकल स्थायी परिसंपत्ति का उद्घाटन मूल्य है।

'INDXn' नियंत्रण अवधि के nवें वर्ष का सूचकांक है।

'INDXo' नियंत्रण अवधि के आधार वर्ष का सूचकांक है।

$$\text{ख) EMPn + A\&Gn = (EMPn-1) * (1+Gn) + (A\&Gn-1) * (INDXn / INDXn-1)}$$

जहाँ,

EMPn-1 - (n-1)वें वर्ष के लिए उत्पन्नीकरण कंपनी के कर्मचारी व्यय, जिसमें अंतिम देनदारियां शामिल नहीं हैं;

A\&Gn-1 - (n-1)वें वर्ष के लिए उत्पन्नीकरण कंपनी के प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय, जिसमें विधिक/विवादित व्यय शामिल नहीं हैं।

INDXn - मुद्रास्फीति गुणांक है जिसका उपयोग कर्मचारी व्यय तथा प्रशासनिक एवं सामान्य (A\&G) व्यय के सूचकांक निर्धारण हेतु किया जाएगा। यह आधार वर्ष से ठीक पूर्व के वर्ष के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के संयोजन पर आधारित होगा।

Gn - नियंत्रण अवधि के nवें वर्ष हेतु वृद्धि गुणांक है जो वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर शून्य से अधिक या कम हो सकता है। Gn का मान आयोग द्वारा MYT आदेश में उत्पन्नीकरण कंपनी के द्वारा प्रस्तुत याचिका, मानव संसाधन की अतिरिक्त आवश्यकता, बेंचमार्किंग तथा अन्य उपयुक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा।

$$\text{ग) } INDXn = 0.55CPI_n + 0.45WPI_n$$

टिप्पणी-1: अनुमान के उद्देश्य से नियंत्रण अवधि के सभी वर्षों के लिए समान INDXn/INDXn-1 मान का उपयोग किया जाएगा। तथापि, आयोग वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में वास्तविक INDXn/INDXn-1 मूल्यों पर विचार करेगा तथा इस परिवर्तन के कारण कर्मचारी व्यय और A\&G व्यय का समायोजन (true-up) नियंत्रण अवधि के लिए करेगा।

टिप्पणी-2: वेतन आयोग या वेतन संशोधन समझौते आदि के अनुशंसाओं के कारण होने वाले किसी भी परिवर्तन पर आयोग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा।

टिप्पणी-3: अंतिम देनदारियों को आयोग द्वारा उस वास्तविक विवरण के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा, जो उत्पादन कंपनी द्वारा प्रलेखित साक्ष्यों जैसे कि एकचुरियल अध्ययन सहित प्रस्तुत किए गए हों।

- 15.43 उपर्युक्त विवरणों के अलावा, उत्पादन कंपनी को पूर्ववर्ती वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25) के लिए विधिक/विवाद संबंधी व्यय का विस्तृत विवरण ऐसे व्ययों की वास्तविक वहन हेतु उपलब्ध कराए गए विवरणों तथा प्रलेखित साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करना होगा। आयोग, नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तुत आवश्यक प्रलेखों के आधार पर, झारखंड राज्य वाद नीतिके प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार विधिक व्ययों को अनुमोदित करेगा तथा डू-अप के समय विधिक व्ययों की यथोचित सावधानीपूर्वक जांच करेगा।
- 15.44 संशोधित प्रदूषण उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न अतिरिक्त संचालन एवं अनुरक्षण व्ययों को मामले-दर-मामला आधार पर अनुमोदित किया जाएगा।
- 15.45 ऐसे जलविद्युत उत्पादन संयंत्रों के लिए, जिन्हें 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद वाणिज्यिक परिचालनके रूप में घोषित किया जाएगा, प्रथम वर्ष के संचालन एवं अनुरक्षण व्यय उन संयंत्रों के लिए, जिनकी स्थापित क्षमता 200 मेगावाट से अधिक है, मूल परियोजना लागत (परिवासन एवं पुनर्वास कार्य, आईडीसी (IDC) और आईईडीसी (IEDC) की लागत को छोड़कर) के 3.5% पर तथा जिनकी स्थापित क्षमता 200 मेगावाट से कम है, उनके लिए 5.0% पर निर्धारित किए जाएंगे। इन व्ययों पर वार्षिक वृद्धि दर (INDXn/INDXn-1) के अनुसार, प्रतिवर्ष निर्धारित की जाएगी।

अन्यप्रभार

- 15.46 जलशुल्क, सुरक्षा व्यय एवं पूंजीगत स्पेयर को, तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्रों के लिए, यथोचित परीक्षण के उपरांत पृथक रूप से अनुमोदित किया जाएगा।

यह संयोजन इस शर्त के साथ होगा कि जल शुल्क को जल उपभोग के आधार पर, संयंत्र के प्रकार एवं शीतलक जल प्रणाली के प्रकार के अनुसार, यथोचित परीक्षण के अधीन अनुमोदित किया जाएगा। इसके संबंध में विस्तृत विवरण याचिका के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

यह भी प्रावधानित है कि उत्पादन संयंत्र डू-अप के समय वर्षवार उपभोग किए गए वास्तविक पूंजीगत स्पेयर का विवरण उपयुक्त औचित्य सहित प्रस्तुत करेगा जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उक्त व्यय का वहन विनियमन के उपखंड 14.11 और 14.12 के अंतर्गत विशेष भत्ते के माध्यम से नहीं किया गया है, न ही इसे अतिरिक्त पूंजीकरण, भंडार एवं स्पेयर की खपत या पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण का हिस्सा माना गया है।

15.47 जलविद्युत उत्पादन संयंत्रों के लिए सुरक्षा व्यय एवं पूंजीगत स्पेयर को यथोचित परीक्षण के उपरांत पृथक रूप से अनुमोदित किया जाएगा।

यह प्रावधान इस शर्त के साथ होगा कि उत्पादन संयंत्र सुरक्षा आवश्यकताओं का मूल्यांकन, अनुमानित व्ययों सहित, तथा वास्तविक रूप से वर्षवार उपभोग किए गए पूंजीगत स्पेयर का विवरण उचित औचित्य सहित डू-अप के समय प्रस्तुत करेगा।

गैर-टैरिफ आय

15.48 आयोग द्वारा स्वीकृत उत्पादन व्यवसाय से संबंधित गैर-शुल्क आय की राशि, उत्पादन व्यवसाय के शुल्क के निर्धारण में, एआरआर (ARR) से घटाई जाएगी।

यह प्रावधान इस शर्त के साथ होगा कि उत्पादन कंपनी अपनी अपेक्षित गैर-शुल्क आय का पूर्ण विवरण, आयोग द्वारा विवेकपूर्ण, न्याय संगत एवं निष्पक्ष तरीके से निर्धारित प्रारूप में, आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

15.49 गैर-टैरिफ आय में निम्नलिखित शामिल होंगे—

- a) भूमि या भवन के किराये से आय;
- b) कबाड़ की बिक्री से आय;
- c) निवेशों से आय;
- d) आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम राशि पर ब्याज से आय;
- e) कर्मचारियों को दिए गए ऋण/अग्रिम पर ब्याज आय;
- f) स्टाफ क्वार्टरों के किराये से आय;
- g) ठेकेदारों से प्राप्त किराये की आय;
- h) ठेकेदारों एवं अन्य से लिए गए किराये अथवा हायर शुल्क से आय;
- i) पर्यवेक्षण शुल्क आदि से आय;
- j) पूंजीगत कार्यों के लिए पर्यवेक्षण शुल्क से आय
- k) विज्ञापन से प्राप्त आय;
- l) निविदा दस्तावेजों की बिक्री से आय;
- m) राख एवं अन्य उप-उत्पादों की बिक्री से आय;
- n) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (अर्थात् बिक्री मूल्य एवं बुक वैल्यू का अंतर);
- o) कोई अन्य प्रकार की गैर-टैरिफ आय।

यह प्रावधान करते हुए कि उत्पादन कंपनी के उत्पादन व्यवसाय के लिए प्राप्त रिटर्न ऑन इक्विटी से किए गए निवेशों से अर्जित ब्याज को गैर-शुल्क आय में शामिल नहीं किया जाएगा।

यह भी प्रावधानित है कि यह प्रमाणित करने का दायित्व कि ऐसे निवेश रिटर्न ऑन इक्विटी से किए गए हैं, आयोग की संतुष्टि हेतु, उत्पादन कंपनी पर रहेगा।

अन्य व्यवसाय से आय

15.50 यदि उत्पादन कंपनी किसी अन्य व्यवसाय में संलग्न है, जिसमें किसी भी प्रकार से विनियमित व्यवसाय के अधोसंरचना या जनबल का उपयोग किया गया है, तो ऐसे व्यवसाय से अर्जित आय निम्नलिखित शर्तों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

1. उत्पादन कंपनी किसी भी प्रकार से उत्पादन व्यवसाय की परिसंपत्तियों एवं सुविधाओं का उपयोग नहीं करेगी और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी कोई गतिविधि करने की अनुमति देगी, जिससे उत्पादन व्यवसाय किसी भी रूप में अन्य व्यवसाय को अनुदान या सब्सिडी प्रदान करे।
2. उत्पादन कंपनी किसी भी प्रकार से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उत्पादन व्यवसाय की परिसंपत्तियों एवं सुविधाओं को अन्य व्यवसाय या उत्पादन व्यवसाय के अतिरिक्त किसी अन्य गतिविधि के लिए बंधक नहीं करेगी।
3. उत्पादन कंपनी, उत्पादन व्यवसाय के अंतर्गत दर्ज सभी उन लागतों का भुगतान करेगी जो अन्य व्यवसाय के प्रयोजन से व्यय की गई हों। यदि कोई लागत उत्पादन व्यवसाय और अन्य व्यवसाय दोनों के लिए समान रूप से व्यय की गई हो, तो उस लागत का अनुपातानुपातिक वितरण किया जाएगा और अन्य व्यवसाय से उस वितरणानुसार देय लागत का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
4. अन्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाला राजस्व ऐसे समान व्यवसायिक कार्यों के प्रचलित बाजार स्थितियों के अनुरूप होना चाहिए।
5. उपखंड (3) के अंतर्गत लागतों के साझा करने के अतिरिक्त, उत्पादन कंपनी अन्य व्यवसाय से होने वाले राजस्व का एक निश्चित हिस्सा उत्पादन व्यवसाय को देय भुगतान के रूप में दर्ज करेगी और सुनिश्चित करेगी। उत्पादन कंपनी अन्य व्यवसाय से होने वाले कुल राजस्व का 50% अपने पास रखेगी तथा शेष 50% राजस्व लाभार्थियों को प्रेषित करेगी।

15.51 अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व को, उत्पादन कंपनी के राजस्व आवश्यकता के निर्धारण में, एआरआर (ARR) से घटाया जाएगा।

यह प्रावधान इस शर्त के साथ होगा कि उत्पादन कंपनी उत्पादन व्यवसाय और अन्य व्यवसाय के बीच सभी संयुक्त एवं सामान्य लागतों के आवंटन के लिए एक युक्तिसंगत आधार का पालन करेगी तथा निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत आवंटन विवरणिका को, शुल्क निर्धारण के लिए प्रस्तुत आवेदन के साथ, आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

यह भी प्रावधानित है कि यदि ऐसे अन्य व्यवसाय की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लागतों का कुल योग, उस अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व से अधिक हो, तो ऐसे व्यवसाय के कारण उत्पन्न किसी भी राशि को उत्पादन कंपनी के एआरआर (ARR) में जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

A16. तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र के लिए परिचालन मानक

16.1 राज्य में स्थित विद्यमान तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए परिचालन मानकों के मान, उन संयंत्रों के पूर्व परिचालन आँकड़ों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। नीचे दिए गए परिचालन मानक राज्य के सभी विद्यमान तापीय विद्युत संयंत्रों पर लागू होंगे।

जोजोबेरा थर्मल पावर स्टेशन (टीपीसीएल) - यूनिट-II

विवरण	यूओएम	विव26-27	विव27-28	विव28-29	विव29-30	विव30-31
मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक	%	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
मानक वार्षिक संयंत्र लोडगुणांक	%	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
सकल स्टेशन उष्म दर (GSHR)	किलोकैलोरी/किलोवाट घंटा	2567.00	2567.00	2567.00	2567.00	2567.00
सहायक उपभोग	%	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
द्वितीयक ईंधन तेल की खपत	मिलीलीटर/किलोवाट घंटा	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

जोजोबेरा थर्मल पावर स्टेशन (टीपीसीएल) - यूनिट-III

विवरण	यूओएम	विव26-27	विव27-28	विव28-29	विव29-30	विव30-31
मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक	%	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
मानक वार्षिक संयंत्र लोडगुणांक	%	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
सकल स्टेशन उष्म दर (GSHR)	किलोकैलोरी/किलोवाट घंटा	2577.00	2577.00	2577.00	2577.00	2577.00
मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक	%	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

द्वितीयक ईंधन तेल की खपत	मिलीलीटर/किलोवाट घंटा	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
--------------------------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----

आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (एपीएनआरएल) - यूनिट-I

विवरण	यूओएम	विव26-27	विव27-28	विव28-29	विव29-30	विव 30-31
मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक	%	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
मानक वार्षिक संयंत्र लोडगुणांक	%	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
सकल स्टेशन उष्म दर (GSHR)	किलोकैलोरी/किलोवाट घंटा	2387.00	2387.00	2387.00	2387.00	2387.00
सहायक उपभोग	%	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
द्वितीयक ईंधन तेल की खपत	मिलीलीटर/किलोवाट घंटा	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (एपीएनआरएल) - यूनिट-II

विवरण	यूओएम	विव26-27	विव27-28	विव28-29	विव29-30	विव 30-31
मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक	%	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
मानक वार्षिक संयंत्र लोडगुणांक	%	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
सकल स्टेशन उष्म दर (GSHR)	किलोकैलोरी/किलोवाट घंटा	2387.00	2387.00	2387.00	2387.00	2387.00
सहायक उपभोग	%	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
द्वितीयक ईंधन तेल की खपत	मिलीलीटर/किलोवाट घंटा	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

इनलैंड पावर लिमिटेड (आईपीएल)

विवरण	विव26-27	विव27-28	विव28-29	विव29-30	विव 30-31
मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक%	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50
मानक वार्षिक संयंत्र लोडगुणांक%	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50
सकल स्टेशन उष्म दर(किलोकैलोरी/किलोवाट घंटा)	2902.00	2902.00	2902.00	2902.00	2902.00
सहायक उपभोग (%)	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50

द्वितीयक ईंधन तेल की खपत(मिलीलीटर/किलोवाट घंटा)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
---	------	------	------	------	------

तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन (टीवीएनएल)- यूनिट-I

विवरण	विव26-27	विव27-28	विव28-29	विव29-30	विव 30-31
मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक%	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
मानक वार्षिक संयंत्र लोडगुणांक%	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
सकल स्टेशन उष्म दर(किलोकैलोरी/किलोवाट घंटा)	2547.00	2547.00	2547.00	2547.00	2547.00
सहायक उपभोग (%)	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50
द्वितीयक ईंधन तेल की खपत(मिलीलीटर/किलोवाट घंटा)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन (टीवीएनएल)- यूनिट-II

विवरण	विव26-27	विव27-28	विव28-29	विव29-30	विव 30-31
मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक%	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
मानक वार्षिक संयंत्र लोडगुणांक%	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
सकल स्टेशन उष्म दर(किलोकैलोरी/किलोवाट घंटा)	2547.00	2547.00	2547.00	2547.00	2547.00
सहायक उपभोग (%)	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50
द्वितीयक ईंधन तेल की खपत (मिलीलीटर/किलोवाट घंटा)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

बशर्ते कि किसी भी मौजूदा उत्पादन स्थापना के लिए, जिसके मानक उपर्युक्त नहीं दिए गए हैं और जिसके टैरिफ का निर्धारण इस आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है, आयोग ऐसी उत्पादन स्थापना के लिए मामले-दर-मामले आधार पर मानक निर्धारित करेगा, जिसमें वास्तविकताओं और पिछली नियंत्रण अवधि में निर्दिष्ट मानकों को ध्यान में रखा जाएगा, जिसके लिए उत्पादन कंपनी द्वारा प्रस्तुत याचिका के आधार पर उचित सावधानी की जांच की जाएगी।

16.2 आयोग सावधानी की जांच के बाद इन संयंत्रों में किसी भी नवीकरण और आधुनिकीकरण गतिविधियों के लिए स्वीकृत पूंजी निवेश पर विचार करते हुए संचालन के इन मानकों में संशोधन कर सकता है। हालांकि, सामान्य कार्य स्थिति में, आयोग इन विनियमों के खंड 16.1 में उल्लिखित संचालन के मानकों की समीक्षा नहीं करेगा।

16.3 उपर्युक्त स्थापनाओं के अलावा अन्य उत्पादन स्थापनाओं के लिए संचालन के मानक निम्नानुसार होंगे:

1. मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक (NAPAF): 85%
2. प्रोत्साहन हेतु मानक वार्षिक संयंत्र लोड गुणांक (NAPLF): 85%
3. सकल स्टेशन उष्मदर:

कोयला आधारित एवं लिग्नाइट चालित तापीय उत्पादन स्टेशनों के लिए:

$$SHR = 1.05 \times \text{डिजाइन उष्मदर (किलो कैलोरी/किलोवाट-घंटा)};$$

जहाँ, उत्पादन इकाई की 'डिजाइन उष्मदर' से अभिप्राय उस इकाई की उष्मदर से है जो आपूर्तिकर्ता द्वारा 100% MCR, शून्य प्रतिशत मेक-अप, डिजाइन कोयला तथा डिजाइन कूलिंग वाटर तापमान/बैक प्रेशर की परिस्थितियों में सुनिश्चित की गई हो।

इस शर्त पर कि डिजाइन उष्म दर निम्नलिखित अधिकतम डिजाइन यूनिट उष्म दर से अधिक नहीं होगी, जो यूनिट के दाब एवं तापमान मानकों पर निर्भर करेगी।

विवरण	मूल्य						
	दाब मूल्यांकन (किग्रा/सेमी ²)	150	170	170	247	247	270
एसएचटी/आरएचटी (°सी)	535/535	537/537	537/565	537/565	565/593	593/593	600/600
बीएफपी का प्रकार	विद्युतचालित	टर्बाइन चालित	टर्बाइन चालित	टर्बाइन चालित	टर्बाइन चालित	टर्बाइन चालित	टर्बाइन चालित
अधिकतम टरबाइन चक्र उष्मादर(किलो कैलोरी/किलोवाट घंटा)	1955	1950	1935	1900	1850	1810	1800
न्यूनतम बॉयलर दक्षता							
उप-बिटुमिनस भारतीय कोयला	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.865	0.865

बिटुमिनस आयातित कोयला	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.895	0.895
अधिकतम डिजाइन ताप दर (किलो कैलोरी/किलोवाट घंटा)							
उप-बिटुमिनस भारतीय कोयला	2273	2267	2250	2222	2125	2105	2081
बिटुमिनस आयातित कोयला	2197	2191	2174	2135	2078	2034	2022

यह भी उपबंधित है कि यदि किसी इकाई के दाब और तापमान के मान उपर्युक्त श्रेणियों से भिन्न हैं, तो निकटतम श्रेणी की अधिकतम डिजाइन यूनिट उष्म दर ली जाएगी।

यह भी उपबंधित है कि जहाँ यूनिट उष्म दर की गारंटी नहीं दी गई है, परंतु टरबाइन साइकिल उष्म दर और बॉयलर दक्षता की गारंटी एक ही आपूर्तिकर्ता या भिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अलग-अलग दी गई है, वहाँ इकाई की डिजाइन उष्म दर, गारंटीकृत टरबाइन साइकिल उष्म दर और बॉयलर दक्षता का उपयोग करके निर्धारित की जाएगी।

यह भी उपबंधित है कि जहाँ सब-बिटुमिनस भारतीय कोयले के लिए बॉयलर दक्षता 86% से कम तथा बिटुमिनस आयातित कोयले के लिए 89% से कम है, वहाँ गणना के उद्देश्य से, इन्हें क्रमशः 86% और 89% ही माना जाएगा, स्टेशन उष्म दर की गणना के लिए।

यह भी उपबंधित है कि अधिकतम टरबाइन साइकिल उष्म दर को ड्राई क्लिंग सिस्टम के प्रकार के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

यह भी उपबंधित है कि यदि एक या अधिक इकाइयाँ 1 अप्रैल 2026 से पूर्व वाणिज्यिक संचालन हेतु घोषित की गई हैं, तो उन इकाइयों के साथ-साथ 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद वाणिज्यिक संचालन हेतु घोषित इकाइयों के लिए उष्म दर मानक, उपर्युक्त विधि द्वारा प्राप्त उष्म दर मानक और इन विनियमों के क्लॉज 16.1 में निर्दिष्ट मानकों में से न्यूनतम होंगे।

यह भी उपबंधित है कि अपशिष्ट कोयले (coal rejects) पर आधारित उत्पादन स्टेशनों के लिए, आयोग स्टेशन उष्म दर को प्रत्येक मामले के आधार पर अनुमोदित करेगा।

टिप्पणी: उन इकाइयों के संदर्भ में, जहाँ बॉयलर फीड पंप विद्युत संचालित हैं, अधिकतम डिजाइन यूनिट उष्म दर, टरबाइन चालित बीएफपी (BFP) के साथ निर्दिष्ट अधिकतम डिजाइन यूनिट उष्म दर से 40 किलो कैलोरी/किलोवाट-घंटा कम होगी।

गैस आधारित/द्रव ईंधन आधारित तापीय उत्पादन इकाई(याँ)/ब्लॉक(कों) के लिए:

प्राकृतिक गैस हेतु = $1.05 \times$ इकाई/ब्लॉक की डिजाइन उष्म दर (किलो कैलोरी/किलोवाट-घंटा)

आरएलएनजी (RLNG) हेतु = $1.071 \times$ इकाई/ब्लॉक की डिजाइन उष्म दर (किलो कैलोरी/किलोवाट-घंटा)

जहाँ, इकाई की 'डिजाइन उष्म दर' से अभिप्राय 100% MCR और स्थल की परिवेशीय परिस्थितियों पर उस इकाई के लिए गारंटीकृत उष्म दर से है; और ब्लॉक की 'डिजाइन उष्म दर' से अभिप्राय 100% MCR, स्थल की परिवेशीय परिस्थितियों, शून्य प्रतिशत मेक-अप, डिजाइन कूलिंग वाटर तापमान/बैक प्रेशर पर उस ब्लॉक के लिए गारंटीकृत उष्म दर से है।

4. सहायक ऊर्जा खपत

प्राकृतिक ड्राफ्ट कूलिंग टॉवर वाले या बिना कूलिंग टॉवर वाले कोयला आधारित उत्पादन स्टेशनों के लिए:

क्र सं	जनरेटिंग स्टेशन	सहायक ऊर्जा खपत
1	200 मेगावाट श्रृंखला	8.50%
2	300 मेगावाट और उससे अधिक श्रृंखला भापचालित बॉयलर फीड पंपों के साथ	5.75%
3	300/330/350/500 मेगावाट श्रृंखला विद्युत चालित बॉयलर फीड पंपों के साथ	8.00%

यह उपबंध है कि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टॉवर वाले तापीय उत्पादन स्टेशनों के लिए मजक को 0.5% अतिरिक्त बढ़ाया जाएगा।

यह भी उपबंध है कि ड्राई कूलिंग सिस्टम वाले संयंत्रों के लिए निम्नानुसार अतिरिक्त सहायक ऊर्जा खपत की अनुमति दी जाएगी।

क्र सं	शुष्क शीतलन प्रणाली का प्रकार	शुष्क शीतलन प्रणाली का प्रकार
1	प्रत्यक्ष शीतलन वायु-शीतित कंडेनसर यांत्रिक ड्राफ्ट पंखों के साथ	1.0%
2	जेट कंडेनसर, दाब पुनर्प्राप्ति टर्बाइन और प्राकृतिक ड्राफ्ट टावर का उपयोग करने वाली अप्रत्यक्ष शीतलन प्रणाली	0.5%

टिप्पणी: 200 मेगावाट से कम क्षमता वाली इकाइयों के लिए सहायक ऊर्जा खपत प्रत्येक मामले के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

गैस टरबाइन/संयुक्त चक्र उत्पादन स्टेशनों के लिए:

क्र सं	जनरेटिंग स्टेशन	सहायक ऊर्जा खपत
1	संयुक्त चक्र	2.50%
2	खुला चक्र	1.00%

जहाँ भी कोई स्टेशन संयुक्त चक्र संचालन (Combined Cycle Operation) के लिए अभिकल्पित है, वहाँ स्टेशन को ओपन साइकिल मोड में संचालित करने के लिए एसएलडीसी (SLDC) की स्वीकृति आवश्यक होगी।

5. द्वितीयक ईंधन तेल की खपत

कोयला आधारित उत्पादन स्टेशनों के लिए: 0.50 मिलीलीटर/किलोवाट-घंटा

लिग्नाइट चालित उत्पादन स्टेशनों के लिए: 1.00 मिलीलीटर/किलोवाट-घंटा

- 16.4 इन विनियमों में निर्दिष्ट परिचालन मानदंड अधिकतम सीमा हैं, और ये इस बात में बाधक नहीं होंगे कि उत्पादक कंपनी और लाभार्थी बेहतर मानदंडों पर सहमत हों। यदि बेहतर मानदंडों पर सहमति होती है, तो ऐसे बेहतर मानदंडों को टैरिफ निर्धारण के लिए अपनाया जाएगा। उत्पादक कंपनी और लाभार्थियों को ऐसे बेहतर मानदंडों का विवरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 16.5 पुनर्नवीकरण और आधुनिकीकरण डिरेटिंग अथवा रीरेटिंग के मामलों में, आयोग उत्पादन स्टेशन के संचालन मानदंडों की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकता है।
- 6 मानक संयंत्र उपलब्धता गुणांक से कम उपलब्धता पर उत्पादन स्टेशन के संचालन हेतु क्षतिपूर्ति
- 16.6 वह उत्पादन स्टेशन, जिसका टैरिफ अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है, को स्टेशन उष्म दर और सहायक ऊर्जा खपत में गिरावट, तथा मानक संयंत्र उपलब्धता गुणांक से कम लोडिंग पर अतिरिक्त द्वितीयक ईंधन तेल की खपत के कारण होने वाले नुकसान हेतु इन विनियमों के अनुभाग क16 में निर्दिष्ट अनुसार क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
- 16.7 इन विनियमों के उपधारा 16.6 के अंतर्गत उल्लिखित गिरावट की क्षतिपूर्ति उस इकाईलाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी जिसने संयंत्र को संबद्ध मानक संयंत्र उपलब्धता गुणांक से कम अनुसूचित स्तर पर संचालित किया हो।
- 16.8 स्टेशन उष्म दर और सहायक ऊर्जा खपत के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण ऊर्जा शुल्क दर के रूप में किया जाएगा।
- 16.9 इन विनियमों की उपधारा 16.6 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से, संयंत्र की सकल स्टेशन उष्म दर (SHR) में होने वाली गिरावट, जो इन विनियमों की उपधारा 16.1 में निर्दिष्ट मानकों से अधिक है, को निम्नानुसार माना जाएगा: -

कोयला या लिग्नाइट आधारित उत्पादन स्टेशनों के लिए:-

क्र सं	इकाई की स्थापित क्षमता के % के रूप में इकाई लोडिंग	SHR में वृद्धि(सबक्रिटिकल इकाइयों के लिए) %	SHR में वृद्धि(सुपरक्रिटिकलइकाइयों के लिए) %
1	85-100	शून्य	शून्य
2	80-<85	2.1	1.8
3	75-<80	3.0	2.5
4	70-<75	4.0	3.3

5	65-<70	5.1	4.1
6	60-<65	6.1	4.9
7	55-<60	7.6	6.0
8	50-<55	9.2	7.1
9	45-<50	11.3	8.3
10	40-<45	13.8	9.9

16.10 इन विनियमों की उपधारा 16.6 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से सहायक ऊर्जा खपत (AEC) में होने वाली वह गिरावट, जो इन विनियमों के अनुभाग क 16में निर्दिष्ट मानकों से अधिक है, को निम्नानुसार माना जाएगा: -

कोयला या लिग्नाइट आधारित उत्पादन स्टेशनों के लिए:

क्र सं	इकाई की स्थापित क्षमता के % के रूप में इकाई लोडिंग	एईसी में % गिरावट स्वीकार्य
1	85-100	शून्य
2	80-<85	0.5
4	70-<75	1.1
6	60-<65	1.8
8	50-<55	2.5
10	40-<45	3.2

16.11 द्वितीयक ईंधन तेल की खपत के लिए अतिरिक्त क्षतिपूर्ति, उन उत्पादन स्टेशनों के लिए वर्ष में सात (7) बार स्टार्ट/स्टॉप से अधिक की स्थिति में, ग्रिड कोड के अनुसार इकाई के शटडाउन के संदर्भ में अनुमेय होगी। इन विनियमों की उपधारा 16.6 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से प्रति स्टार्ट-अप द्वितीयक ईंधन तेल की खपत निम्नलिखित निर्धारित मानकों या वास्तविक खपत, जो भी कम हो, के आधार पर मानी जाएगी: -

इकाई आकार (मेगावाट)	प्रति स्टार्ट अप द्वितीयक ईंधन तेल खपत (केएल)		
200/210/250 मेगावाट	20	40	60
500 मेगावाट	30	60	100
660 मेगावाट	45	75	130

800 मेगावाट	60	80	150
-------------	----	----	-----

16.12 उन इकाइयों के लिए, जो 55% यूनिट लोडिंग से कम पर संचालित होती हैं 0.2 मिलीलीटर/किलोवाट-घंटा की अतिरिक्त विशिष्ट द्वितीयक ईंधन तेल खपत प्रदान की जाएगी। सुपरक्रिटिकल या अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल इकाइयों के लिए, वाणिज्यिक परिचालन तिथि (CoD) से तीन वर्षों की अवधि तक, प्रारंभिक कठिनाइयों या स्थिरता से संबंधित मुद्दों के कारण स्टार्ट-अप ऑयल की 10% अतिरिक्त मात्रा प्रदान की जाएगी।

16.13 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सहायक सेवाओं के संचालन) विनियम, 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति में होने वाले परिवर्तन को क्षतिपूर्ति के लिए नहीं माना जाएगा।

A17. तापीय उत्पादन स्टेशनों के लिए क्षमता शुल्क और ऊर्जा शुल्क की गणना की कार्यप्रणाली

तापीय उत्पादन स्टेशनों के लिए क्षमता शुल्क की गणना और भुगतान

- 17.1 तापीय उत्पादन स्टेशन की नियत लागत का निर्धारण वार्षिक आधार पर इन विनियमों में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार किया जाएगा, और मासिक आधार पर क्षमता शुल्क के रूप में वसूल की जाएगी। किसी उत्पादन स्टेशन के लिए देय कुल क्षमता शुल्क, उसके लाभार्थियों के बीच उनके क्रमशः प्रतिशत हिस्से या उत्पादन स्टेशन की क्षमता में उनके आवंटन के अनुसार साझा किया जाएगा।
- 17.2 पूर्ण क्षमता शुल्क इन विनियमों के विनियम 16.1 और विनियम 16.3 में निर्दिष्ट मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक (NAPAF) पर वसूल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक (NAPAF) के स्तर से कम उपलब्धता की स्थिति में क्षमता शुल्क की वसूली आनुपातिक आधार पर की जाएगी। शून्य उपलब्धता की स्थिति में कोई क्षमता शुल्क देय नहीं होगा।
- 17.3 तापीय उत्पादन स्टेशन के लिए किसी कैलेंडर माह में देय क्षमता शुल्क की गणना निम्नलिखित सूत्रों के अनुसार की जाएगी: -

$$CC1 = (AFC/12) \times (PAF1/NAPAF); \text{अधिकतम सीमा (ceiling) } (AFC/12) \text{ तक।}$$

$$CC2 = ((AFC/6) \times (PAF2/NAPAF)); \text{अधिकतम सीमा } (AFC/6) \text{ तक) - } CC1$$

$$CC3 = ((AFC/4) \times (PAF3/NAPAF)); \text{अधिकतम सीमा } (AFC/4) \text{ तक) - } (CC1 + CC2)$$

$$CC4 = ((AFC/3) \times (PAF4/NAPAF)); \text{अधिकतम सीमा } (AFC/3) \text{ तक) - } (CC1 + CC2 + CC3)$$

$$CC5 = ((AFC \times 5/12) \times (PAF5/NAPAF)); \text{अधिकतम सीमा } (AFC \times 5/12) \text{ तक) - } (CC1 + CC2 + CC3 + CC4)$$

$$CC6 = ((AFC/2) \times (PAF6/NAPAF)); \text{अधिकतम सीमा } (AFC/2) \text{ तक) - } (CC1 + CC2 + CC3 + CC4 + CC5)$$

$$CC7 = ((AFC \times 7/12) \times (PAF7/NAPAF)); \text{अधिकतम सीमा } (AFC \times 7/12) \text{ तक) - } (CC1 + CC2 + CC3 + CC4 + CC5 + CC6)$$

$$CC8 = ((AFC \times 2/3) \times (PAF8/NAPAF)); \text{अधिकतम सीमा } (AFC \times 2/3) \text{ तक) - } (CC1 + CC2 + CC3 + CC4 + CC5 + CC6 + CC7)$$

$$CC9 = ((AFC \times 3/4) \times (PAF9/NAPAF)); \text{अधिकतम सीमा } (AFC \times 3/4) \text{ तक) - } (CC1 + CC2 + CC3 + CC4 + CC5 + CC6 + CC7 + CC8)$$

$$CC10 = ((AFC \times 5/6) \times (PAF10/NAPAF)); \text{अधिकतम सीमा } (AFC \times 5/6) \text{ तक) - } (CC1 + CC2 + CC3 + CC4 + CC5 + CC6 + CC7 + CC8 + CC9)$$

CC11 = ((AFC × 11/12) × (PAF11/NAPAF); अधिकतम सीमा (AFC × 11/12) तक) - (CC1 + CC2 + CC3 + CC4 + CC5 + CC6 + CC7 + CC8 + CC9 + CC10)

CC12 = (AFC × (PAFY/NAPAF); अधिकतम सीमा (AFC) तक) - (CC1 + CC2 + CC3 + CC4 + CC5 + CC6 + CC7 + CC8 + CC9 + CC10 + CC11)

यह उपबंध है कि यदि कोई उत्पादन स्टेशन या उसकी कोई इकाई पुनर्नवीकरण और आधुनिकीकरण के कारण शटडाउन में है, तो जनरेटिंग कंपनी को केवल संचालन और अनुरक्षण व्यय तथा ऋण पर ब्याजकी वसूली की अनुमति होगी।

जहाँ,

AFC = वर्ष के लिए निर्दिष्ट वार्षिक नियत लागत (रुपयों में);

NAPAF = मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक(%);

PAFM = माह के अंत तक प्राप्त संयंत्र उपलब्धता गुणांक(%);

PAFY = वर्ष के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता गुणांक(%);

CC1, CC2, CC12 = क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा बारहवें माह के क्षमता शुल्क हैं।

17.4 माह के लिए संयंत्र उपलब्धता गुणांक (PAFM) की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी:

$$PAFM = 100 \times \sum_{i=1}^N DC_i / \{N \times IC \times (1 - Aux)\} \%$$

जहाँ,

Aux = मानक सहायक ऊर्जा खपत (%)

DC_i = संबंधित अवधि में iवें समय खंड के लिए औसत घोषित क्षमता (ex-bus MW में);

IC = उत्पादन स्टेशन की स्थापित क्षमता (MW में);

N = दिए गए अवधि में समय खंडों की संख्या

17.5 क्षमता शुल्क के अतिरिक्त, किसी उत्पादन स्टेशन या उसकी इकाई को 50 पैसे प्रति किलोवाट-घंटा की दर से प्रोत्साहन देय होगा, जो अनुसूचित उत्पादन के अनुरूप उस एक्सबस ऊर्जा (ex-bus energy) पर लागू होगा जो मानक वार्षिक संयंत्र लोड गुणांक (NAPLF) के अनुरूप एक्स-बस ऊर्जा से अधिक है।

17.6 ईंधन की कमी की स्थिति में, किसी तापीय उत्पादन स्टेशन की जनरेटिंग कंपनी न्यूनतम मांग (off-peak) घंटों में ईंधन की बचत कर, शिखरमांग (peak) घंटों में अधिक मेगावाट (MW) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दे सकती है। ऐसी स्थिति में, एसएलडीसी (SLDC) लाभार्थियों से परामर्श कर स्टेशन की मेगावाट एवं ऊर्जा क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु एक व्यवहारिक/डे-अहेड शेड्यूल निर्दिष्ट कर सकता है। इस स्थिति में, DC_i को उस दिन के लिए एसएलडीसी द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम शिखर घंटे के एक्स-प्लांट मेगावाट (ex-power plant MW) शेड्यूल के बराबर माना जाएगा।

तापीय उत्पादन स्टेशनों के लिए ऊर्जा शुल्क की गणना और भुगतान

17.7 ऊर्जा (चर) शुल्कमें प्राथमिक ईंधन, द्वितीयक ईंधन तथा (जहाँ लागू हो) चूना पत्थर की खपत लागत सम्मिलित होगी, और यह प्रत्येक लाभार्थी द्वारा उस माह की कैलेंडर अवधि के दौरान एक्स-पावर प्लांट (ex-power plant) आधार पर निर्धारित ऊर्जा शुल्क दर (ईंधन मूल्य समायोजन एवं

चूना पत्थर समायोजन सहित) पर देय होगी, जो उस लाभार्थी को अनुसूचित रूप से आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा के लिए लागू होगी। किसी माह में जनरेटिंग कंपनी के लिए देय कुल ऊर्जा शुल्क की गणना इस प्रकार की जाएगी:

ऊर्जा शुल्क = ऊर्जा शुल्क दर (₹./किलोवाट-घंटा) × माह के लिए अनुसूचित ऊर्जा (Ex-Bus) (किलोवाट-घंटा में)

17.8 एक्स-पावर प्लांट आधार पर ऊर्जा शुल्क दर (ECR) (रुपये प्रति किलोवाट-घंटा में) को तीन दशमलव स्थान तक निम्नलिखित सूत्रों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा:

कोयला आधारित तथा लिग्नाइट चालित स्टेशनों के लिए:

ऊर्जा प्रभार दर (ECR) = {(SHR - SFC x CVSF) x LPPF/CVPF+SFC x LPSFi+ LC x LPL} / (1 - Aux)

गैस और द्रव ईंधन आधारित स्टेशनों के लिए:

ECR = SHR x LPPF / {CVPF x (1 - Aux)}

जहाँ,

Aux: मानक सहायक ऊर्जा खपत (%).

CVPF:(क) कोयला आधारित स्टेशनों के लिए, प्राप्त कोयले का भारित औसत सकल ऊष्मीय मान (किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम) जिसमें स्टेशन पर भंडारण के दौरान होने वाले परिवर्तन के लिए 85 किलो कैलोरी/किलोग्राम की कटौती की जाएगी;

(ख) लिग्नाइट, गैस और द्रव ईंधन आधारित स्टेशनों के लिए, प्राप्त प्राथमिक ईंधन का भारित औसत सकल ऊष्मीय मान (किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, प्रति लीटर या प्रति मानक घन मीटर के अनुसार, जो भी लागू हो);

(ग) यदि विभिन्न स्रोतों से ईंधन का मिश्रण किया गया है, तो प्राथमिक ईंधन का भारित औसत सकल ऊष्मीय मान मिश्रण अनुपातके अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

CVSF: द्वितीयक ईंधन का ऊष्मीय मान (किलो कैलोरी/मिलीलीटर)।

ECR: ऊर्जा शुल्क दर (रुपये/किलोवाट-घंटा)।

SHR: सकल स्टेशन उष्म दर (किलो कैलोरी/किलोवाट-घंटा)।

LC: मानक चूना पत्थर खपत (किलोग्राम/किलोवाट-घंटा)।

LPPF: माह के दौरान प्राथमिक ईंधन का भारित औसत लैंडेड मूल्य (Weighted Average Landed Price), रुपये प्रति किलोग्राम, प्रति लीटर या प्रति मानक घन मीटर (जैसा लागू हो) में। (यदि विभिन्न स्रोतों से ईंधन का मिश्रण किया गया हो, तो प्राथमिक ईंधन का भारित औसत उतरा हुआ मूल्य मिश्रण अनुपात के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।)

LPSFi: माह के दौरान द्वितीयक ईंधन का भारित औसत लैंडेड मूल्य (Weighted Average Landed Price of Secondary Fuel), रुपये प्रति मिलीलीटर में।

LPL: चूना पत्थर का भारित औसत लैंडेड मूल्य, रुपये प्रति किलोग्राम में।

SFC: विशिष्ट ईंधन तेल खपत, मिलीलीटर प्रति किलोवाट-घंटा में।

यह उपबंध है कि गैस या द्रव ईंधन आधारित स्टेशन के लिए ऊर्जा शुल्क दर माह के दौरान ओपन साइकिल संचालन के लिए एसएलडीसी (SLDC) द्वारा प्रमाणित ओपन साइकिल संचालन के आधार पर समायोजित की जाएगी।

17.9 जनरेटिंग कंपनी उत्पादन स्टेशन के लाभार्थियों को ईंधन के ऊष्मीय मान (GCV) और मूल्य के मानकों का विवरण उपलब्ध कराएगी, जैसे कि घरेलू कोयला, आयातित कोयला, ई-नीलामी (e-auction) कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, आरएलएनजी (RLNG), द्रव ईंधन आदि।

यह भी उपबंधित है कि आयातित कोयले के घरेलू कोयले के साथ मिश्रण अनुपात, ई-नीलामी कोयले का अनुपात तथा प्राप्त ईंधनों के भारित औसत ऊष्मीय मान (Weighted Average GCV) का विवरण भी संबंधित माह के बिलों के साथ पृथक रूप से प्रदान किया जाएगा।

यह भी उपबंधित है कि ईंधन के बिलों की प्रतियाँ तथा ऊष्मीय मान (GCV) और मूल्य के मानकों – जैसे घरेलू कोयला, आयातित कोयला, ई-नीलामी कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, आरएलएनजी, द्रव ईंधन आदि – के विवरण एवं आयातित और घरेलू कोयले के मिश्रण अनुपात तथा ई-नीलामी कोयले के अनुपात का विवरण भी जनरेटिंग कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। यह विवरण उसकी वेबसाइट पर मासिक आधार पर लगातार तीन माह की अवधि तक उपलब्ध रहना चाहिए।

17.10 टैरिफ निर्धारण के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक ईंधन की लैंडेड लागत (Landed Fuel Cost) तीन पूर्ववर्ती महीनों की वास्तविक भारित औसत लागत के आधार पर ली जाएगी। यदि तीन पूर्ववर्ती महीनों की उतरी हुई लागत उपलब्ध नहीं है, तो नियंत्रण अवधि के आरंभ से पूर्व (मौजूदा स्टेशनों के लिए) अथवा नवनिर्मित उत्पादन स्टेशनों के मामले में नियंत्रण अवधि से तत्काल पूर्व के तीन महीनों की अवधि हेतु, प्राथमिक और द्वितीयक ईंधन की नवीनतम क्रय मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा।

17.11 माह के लिए ईंधन की उतरी हुई लागत (Landed Cost of Fuel) में ईंधन के ग्रेड और गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य सम्मिलित होगा, जिसमें रॉयल्टी, कर और लागू शुल्क रेल/सड़क या अन्य किसी माध्यम से परिवहन लागत सम्मिलित होगी। ऊर्जा शुल्क की गणना के उद्देश्य से, कोयला/लिग्नाइट के मामले में, कोयला या लिग्नाइट आपूर्ति कंपनी द्वारा माह के दौरान भेजी गई मात्रा के प्रतिशत के रूप में निर्धारित औसत पारगमन एवं हैंडलिंग हानि (Normative Transit and Handling Losses) को ध्यान में रखकर लागत तय की जाएगी, जो निम्नानुसार होगी:

पिटहेड उत्पादन स्टेशन: 0.2%

गैर-पिटहेड उत्पादन स्टेशन: 0.8%

यह उपबंध है कि पिटहेड स्टेशनों के मामले में यदि कोयला या लिग्नाइट पिटहेड खानों के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से लिया गया हो और उसे रेलमार्ग द्वारा स्टेशन तक पहुँचाया गया हो तो पारगमन हानि 0.8% लागू होगी।

यह भी उपबंध है कि आयातित कोयले के मामले में पारगमन एवं हैंडलिंग हानि 0.2% मानी जाएगी।

ईंधन मूल्य समायोजन

17.12 ऊर्जा शुल्क की गणना के लिए लागू ईंधन मूल्य समायोजन (FPA) इस प्रकार है:

क) कोयला आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशनों के लिए,

$$FPA = A + B$$

जहाँ,

FPA - किसी माह के लिए भेजी गई ऊर्जा के प्रति यूनिट (पैसे प्रति किलोवाट) में ईंधन मूल्य समायोजन;

A- भेजी गई ऊर्जा के प्रति यूनिट (पैसे प्रति किलोवाट) में सहायक ईंधन तेल का मूल्य समायोजन;

B- भेजी गई ऊर्जा के प्रति यूनिट (पैसे प्रति किलोवाट) में कोयले का मूल्य समायोजन;

$$A = \{10 / (100 - AC_n)\} * SFC_n * (P_{om} - P_{os})$$

$$B = \{10 / (100 - AC_n)\} * [SHR_n * \{(P_{cm} / K_{cm}) - (P_{cs} / K_{cs})\} - SFC_n * \{(K_{om} * P_{cm} / K_{cm}) - (K_{oms} * P_{cs} / K_{cs})\}]$$

जहाँ,

SFC_n = मानक विशिष्ट ईंधन तेल खपत लीटर/किलोवाट घंटा में;

झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग ;

SHR_n = मानक सकल स्टेशन उष्म दरकिलो कैलोरी/किलोवाट घंटा में;

AC_n = मानक सहायक खपत, पूर्ण रूप में (यदि मानक सहायक खपत 10% है, तो इसका पूर्ण मान अर्थात् 10 को माना जाएगा);

P_{om} = माह के दौरान उपभोग के आधार पर ईंधन तेल का भारित औसत मूल्य रुपये प्रति किलोलीटर (रु./किलोलीटर) में;

K_{om} = माह के दौरान प्रयुक्त ईंधन तेलों का भारित औसत सकल ऊष्मीय मान किलो कैलोरी/लीटर में;

P_{cs} = आधार ऊर्जा शुल्क के निर्धारण हेतु टैरिफ आदेश में ली गई ईंधन तेल की मूल्य की आधार मान रुपये प्रति किलोलीटर (रु./किलोलीटर) में;

K_{cs} = आधार ऊर्जा शुल्क के निर्धारण हेतु टैरिफ आदेश में ली गई ईंधन तेलों की सकल ऊष्मीय मान की आधार मान किलो कैलोरी/लीटर में;

P_{cm} = माह के दौरान विद्युतगृह में प्राप्त और उपभोग की गई कोयले का भारित औसत मूल्य रुपये प्रति मीट्रिक टन (रु./एमटी) में;

K_{cm} = माह के दौरान बॉयलर फ्रंट पर प्रयुक्त कोयले का भारित औसत सकल ऊष्मीय मान किलो कैलोरी/किलोग्राम में;

P_{cs} = आधार ऊर्जा शुल्क के निर्धारण हेतु टैरिफ आदेश में ली गई कोयले की मूल्य की आधार मान रुपये प्रति मीट्रिक टन (रु./एमटी) में;

K_{cs} = आधार ऊर्जा शुल्क के निर्धारण हेतु टैरिफ आदेश में ली गई कोयले की सकल ऊष्मीय मान की आधार मान किलो कैलोरी/किलोग्राम में।

ख) गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए, ईंधन मूल्य समायोजन की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाएगी:

$$FPA = \frac{10 * SHR_n * [(P_m/K_m) - (P_s/K_s)]}{(100 - AC_n)}$$

जहाँ,

FPA = किसी माह के लिए भेजी गई ऊर्जा के प्रति यूनिट (पैसे प्रति kWh) में ईंधन मूल्य समायोजन;

SHR_n = मानक सकल स्टेशन उष्म दर, kcal/kWh में व्यक्त;

AC_n = मानक सहायक खपत, पूर्ण रूप में (यदि मानक सहायक खपत 10% है, तो इसका पूर्ण मान अर्थात् 10 को माना जाएगा);

P_m = माह के दौरान गैस अथवा द्रव ईंधन का भारित औसत मूल्य, रुपये प्रति 1000 SCM अथवा रुपये प्रति किलोलीटर अथवा रुपये प्रति मीट्रिक टन (Rs./1000 SCM या Rs./kL या Rs./MT) में;

K_m = माह के दौरान गैस अथवा द्रव ईंधन का भारित औसत सकल ऊष्मीय मान, kcal/SCM या kcal/लीटर या kcal/किलोग्राम में;

P_s = आधार ऊर्जा शुल्क के निर्धारण हेतु टैरिफ आदेश में ली गई गैस अथवा द्रव ईंधन की मूल्य की आधार मान, रुपये प्रति 1000 SCM या रुपये प्रति किलोलीटर या रुपये प्रति मीट्रिक टन (Rs./1000 SCM या Rs./kL या Rs./MT) में;

K_s = आधार ऊर्जा शुल्क के निर्धारण हेतु टैरिफ आदेश में ली गई गैस अथवा द्रव ईंधन की सकल ऊष्मीय मान की आधार मान, kcal/SCM या kcal/लीटर या kcal/किलोग्राम में।

17.13 कोयला, गैस अथवा द्रव ईंधन (लिक्विड फ्यूल) की सकल ऊष्मीय मान (GCV) में परिवर्तन के कारण ईंधन मूल्यों में होने वाले किसी भी परिवर्तन को मासिक आधार पर समायोजित किया जाएगा। यह समायोजन कोयला, गैस अथवा द्रव ईंधन के संग्रहित, प्राप्त एवं उपभोग की गई मात्रा के भारित औसत सकल ऊष्मीय मान तथा विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युतगृह हेतु कच्चेला, तेल अथवा गैस अथवा द्रव ईंधन की क्रय पर किए गए भारित औसत वहन लागत के आधार पर किया जाएगा।

17.14 प्रारंभ में, विद्युत उत्पादन कंपनी/विद्युतगृह द्वारा वहन किए गए ईंधन तेलों के मूल्य तथा कोयले के मूल्य का आधार मान तीन पूर्ववर्ती महीनों के भारित औसत वास्तविक मूल्यों के आधार पर

लिया जाएगा; और यदि तीन पूर्ववर्ती महीनों के भारित औसत वहन लागत उपलब्ध नहीं हैं, तो वर्ष प्रारंभ से पूर्व विद्युतगृह के नवीनतम संबंधित भारित औसत क्रय मूल्य को माना जाएगा।

- 17.15 प्रारंभ में, विद्युत उत्पादन कंपनी/विद्युतगृह द्वारा क्लन किए गए ईंधन तेलों के सकल ऊष्मीय मान तथा कोयले के सकल ऊष्मीय मान का आधार मान तीन पूर्ववर्ती महीनों के भारित औसत वास्तविक सकल ऊष्मीय मान के आधार पर लिया जाएगा; और यदि तीन पूर्ववर्ती महीनों के भारित औसत सकल ऊष्मीय मान उपलब्ध नहीं हैं, तो वर्ष प्रारंभ से पूर्व विद्युतगृह के नवीनतम भारित औसत सकल ऊष्मीय मान को माना जाएगा।
- 17.16 विद्युत उत्पादन कंपनी अपने बिलों में आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिक एवं सहायक ईंधन के आधार मूल्य पर ऊर्जा शुल्क की दर तथा ईंधन मूल्य समायोजन को अलग-अलग प्रदर्शित करेगी। ईंधन मूल्य समायोजन के लिए आयोग के समक्ष पृथक याचिका दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 17.17 जिन विद्युतगृहों में एफजीडीप्रणाली स्थापित है, उनके लिए चूना पत्थर/रिएजेंट की खपत से संबंधित कम या अधिक वसूली का वार्षिक रूप से वास्तविक आधार पर डूअप किया जाएगा।

लोड प्रेषण एवं प्रसारण शुल्क

- 17.18 विद्युत उत्पादन कंपनी को लाभार्थियों से, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारकों (जैसे केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता, राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता आदि) और सिस्टम परिचालकों (जैसे क्षेत्रीय लोड प्रेषण केंद्र, राज्य लोड प्रेषण केंद्र आदि) को भुगतान योग्य शुद्ध ट्रांसमिशन एवं लोड प्रेषण शुल्क वसूल करने की अनुमति होगी। यह शुल्क इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम और लोड प्रेषण सेवाओं के उपयोग हेतु होगा, यह मानते हुए कि प्रत्येक स्रोत से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान के लिए अधिकतम मानक छूटउपलब्ध होगी। यह सब केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा संबंधित राज्य आयोग द्वारा समय-समय पर स्वीकृत टैरिफ के अनुसार किया जाएगा।

A 18. जल विद्युत उत्पादन स्टेशन के लिए संचालन के मानदंड

- 18.1 जल विद्युत स्टेशन के संचालन के मानदंड इस प्रकार होंगे:
- 18.2 **मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक (NAPAF):** जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों के लिए मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक आयोग द्वारा निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा:
- क) भंडारण और जलाशय-आधारित प्रकार के संयंत्र, जिनमें पूर्ण जलाशय स्तर (FRL) और न्यूनतम ड्रॉ डाउन स्तर (MDDL) के बीच जल-प्रवाह ऊँचाई में 8% तक का परिवर्तन होता है तथा जहाँ संयंत्र की उपलब्धता गाद से प्रभावित नहीं होती है: 90%;
- ख) भंडारण और जलाशय-आधारित प्रकार के संयंत्र, जिनमें पूर्ण जलाशय स्तर और न्यूनतम ड्रॉ डाउन स्तर के बीच जल-प्रवाह ऊँचाई में 8% से अधिक का परिवर्तन होता है तथा जहाँ संयंत्र की उपलब्धता गाद से प्रभावित नहीं होती है: ऐसे मामलों में NAPAF में कमी तथा

माह-दर-माह जलाशय स्तर घटने के साथ मेगावाट (MW) उत्पादन क्षमता में कमी के लिए संयंत्र-विशिष्ट छूट दी जाएगी। सामान्य दिशा-निर्देश के रूप में, इस उद्देश्य के लिए गुणांक निम्नलिखित सूत्र के अनुप्रयोग से वार्षिक औसत शुद्ध हेड (Net Head) के अनुमान के आधार पर निकाला जा सकता है:

$$= (\text{औसत हेड} / \text{रेटेड हेड}) + 0.02$$

वैकल्पिक रूप से, यदि ऐसे अनुमान में कठिनाई हो, तो गुणांक निम्न प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है:

$$= (\text{MDDL पर हेड} / \text{रेटेड हेड}) \times 0.5 + 0.52$$

- ग) जलाशय-आधारित ऐसे संयंत्र जहाँ संयंत्र की उपलब्धता गाद से पर्याप्त रूप से प्रभावित होती है: 85%;
- घ) नदी प्रवाह आधारित संयंत्र: ऐसे संयंत्रों के लिए NAPAF संयंत्र-विशिष्ट रूप से निर्धारित किया जाएगा, 10-दिवसीय डिजाइन ऊर्जा डेटा के आधार पर, तथा जहाँ भी उपलब्ध/प्रासंगिक हो, वहाँ पूर्व अनुभव के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

18.3 आयोग, विशेष परिस्थितियों जैसे कि असामान्य गाद की समस्या या अन्य परिचालन स्थितियों तथा ज्ञात संयंत्र सीमाओं के मामले में, NAPAF निर्धारण में अतिरिक्त छूट प्रदान कर सकता है।

18.4 किसी नए जलविद्युत परियोजना के मामले में, परियोजना डेवलपर को यह विकल्प होगा कि वह इन विनियमों के विनियम 18.2 और 18.3 में निर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर NAPAF के निर्धारण हेतु अग्रिम रूप से आयोग के समक्ष आवेदन कर सके।

18.5 पम्प स्टोरेज जलविद्युत उत्पादन स्टेशनों के मामले में, डाउन-स्ट्रीम जलाशय से अप-स्ट्रीम जलाशय तक जल पम्प करने हेतु आवश्यक विद्युत ऊर्जा की व्यवस्था लाभकर्ताओं द्वारा की जाएगी, जिसमें उत्पादन इकाई के बस बार तक के संचरण और वितरण हानियों आदि को समुचित रूप से ध्यान में रखा जाएगा। इसके बदले में, लाभकर्ताओं को उतनी ऊर्जा का 75% के बराबर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का अधिकार होगा, जितनी ऊर्जा जल को निचले स्तर के जलाशय से ऊँचे स्तर के जलाशय तक पम्प करने में उपयोग की गई थी, और यह ऊर्जा संयंत्र द्वारा पीक आवर के दौरान आपूर्ति की जाएगी।

यह शर्त रहेगी कि यदि उपभोक्ता ऑफ-पीक आवर्स के दौरान वांछित स्तर की ऊर्जा आपूर्ति करने में विफल रहते हैं तो पीक आवर के दौरान संयंत्र से उनके ऊर्जा अधिकार में आनुपातिक कमी की जाएगी।

18.6 सहायक ऊर्जा उपभोग (AUX): सहायक ऊर्जा उपभोग के मानदंड निम्नानुसार होंगे:

क्रमांक.	स्टेशन के प्रकार	सहायक ऊर्जा उपभोग	
		स्थापित क्षमता २०० मेगावाट से अधिक	स्थापित क्षमता २०० मेगावाट तक
1.	सतह		
	घूर्णनकारी उत्तेजना	0.7%	0.7%
	स्थिर	1.0%	1.2%
2.	भूमिगत		

	घूर्णनकारी उत्तेजना	0.9%	0.9%
	स्थिर	1.2%	1.3%

18.7 उपरोक्त के आधार पर, जो जल विद्युत उत्पादन स्टेशन पहले से संचालित हो रहा है, उसके संचालन के मानक इस प्रकार होंगे:

सिकिदिरी जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन

प्राचल	FY2026-27	FY2027-28	FY2028-29	FY2029-30	FY2030-31
मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणांक(%)	75%	75%	75%	75%	75%
सहायक ऊर्जा उपभोग(%)	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%

A19. जलविद्युत उत्पन्नीकरण स्टेशनों के लिए क्षमता शुल्क एवं ऊर्जा शुल्क की गणना की कार्यप्रणाली

जलविद्युत उत्पन्नीकरण स्टेशनों के लिए क्षमता शुल्क एवं ऊर्जा शुल्क की गणना और भुगतान :

19.1 जलविद्युत उत्पन्नीकरण स्टेशन की वार्षिक स्थिर लागत इन विनियमों में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर निर्धारित की जाएगी तथा इसे मासिक आधार पर क्षमता शुल्क (जिसमें प्रोत्साहन राशि सम्मिलित होगी) और ऊर्जा शुल्क के रूप में वसूल किया जाएगा। यह राशि उत्पन्नीकरण स्टेशन की विक्रेय क्षमता में लाभार्थियों के क्रमशः आवंटन के अनुपात में देय होगी; अर्थात्, उस क्षमता में जिसमें गृह राज्य के लिए प्रदत्त निःशुल्क ऊर्जा सम्मिलित नहीं है।

यह शर्त रहते हुए कि प्रथम इकाई के वाणिज्यिक संचालन की तिथि और संपूर्ण उत्पन्नीकरण स्टेशन के वाणिज्यिक संचालन की तिथि के मध्य की अवधि में, वार्षिक स्थिर लागत को अस्थायी रूप से उत्पन्नीकरण स्टेशन की नवीनतम अनुमानित पूर्णता लागत के आधार पर निकाला जाएगा, ताकि उस अवधि के दौरान देय क्षमता शुल्क एवं ऊर्जा शुल्क निर्धारित किए जा सकें।

19.2 किसी हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन को एक कैलेंडर माह के लिए देय क्षमता शुल्क (प्रोत्साहन सहित) होगा

$$\text{क्षमता शुल्क (प्रोत्साहन सहित)} = AFC \times 0.5 \times NDM/NDY \times (PAFM/NAPAF)$$

(रुपयों में)

जहाँ,

AFC :वर्ष के लिए निर्धारित वार्षिक स्थिर लागत, रुपये में;

NAPAF :नाममात्र संयंत्र उपलब्धता फैक्टर, प्रतिशत में;

NDM :माह के दिनों की संख्या;

NDY :वर्ष के दिनों की संख्या;

PAFM :माह के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता गुणांक, प्रतिशत में;

यह प्रावधानित है कि क्षमता शुल्क के माध्यम से वसूली गई राजस्व, निर्धारित वार्षिक स्थिर लागत का 50% से अधिक नहीं होगी।

19.3 PAFM निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना की जाएगी:

N

$$PAFM=100 \times \sum_{i=1}^{N} DC_i / \{N \times IC \times (1-Aux)\} \%$$

i=1

जहाँ,

Aux : नाममात्र सहायक ऊर्जा खपत, प्रतिशत में;

DC_i : माह के i^{वें} दिन (ex-bus MWमें) घोषित क्षमता, जिसे स्टेशन कम से कम तीन (3) घंटे के लिए उपलब्ध करा सकता है, जिसे दिवस समाप्त होने के बाद राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा प्रमाणित किया गया हो;

IC :संपूर्ण जनरेटिंग स्टेशन की स्थापित क्षमता (MWमें);

N :माह में दिनों की संख्या।

19.4 ऊर्जा शुल्क प्रत्येक लाभार्थी द्वारा, कैलेंडर माह के दौरान लाभार्थी को आपूर्ति के लिए अनुसूचित कुल ऊर्जा (निःशुल्क ऊर्जा, यदि कोई हो, को छोड़कर), ऊर्जा शुल्क दर के आधार पर, एक्स पावर प्लांट आधार पर देय होगा। जनरेटिंग कंपनी को किसी माह के लिए देय कुल ऊर्जा शुल्क होगा:

$$\text{ऊर्जा शुल्क} = (\text{ऊर्जा शुल्क दर रुपये / kWhमें}) \times \{\text{माह के लिए अनुसूचित ऊर्जा (ex-bus) kWh में}\} \times (100 - FEHS / 100)$$

19.5 हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन के लिए, एक्स-पावर प्लांट आधार पर रुपये प्रति kWh में ऊर्जा शुल्क दर (ECR) इन विनियमों के उपबंध 19.9 के अधीन निम्नलिखित सूत्र के आधार पर, तीन दशमलव स्थानों तक निर्धारित की जाएगी:

$$ECR = AFC \times 0.5 \times 10 / \{DE \times (100 - AUX) \times (100 - FEHS)\}$$

जहाँ,

DE :हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन के लिए निर्दिष्ट वार्षिक अभिकल्प ऊर्जा (MWhमें), इन विनियमों के उपबंध 19.6 के प्रावधान के अधीन;

FEHS :गृह राज्य के लिए निःशुल्क ऊर्जा, जैसा कि इन विनियमों के उपबंध 22.2 में परिभाषित है।

- 19.6 यदि किसी वर्ष के दौरान किसी जलविद्युत जनरेटिंग स्टेशन की विक्रय योग्य अनुसूचित ऊर्जा (ex-bus) विक्रय योग्य अभिकल्प ऊर्जा (ex-bus) से जनरेटिंग कंपनी के नियंत्रण से परे कारणों से कम होती है, तो जनरेटिंग कंपनी द्वारा दायर आवेदन पर, इसका निपटान इन विनियमों के उपबंध 19.7 के अनुसार किया जाएगा।
- 19.7 वार्षिक स्थिर लागत के पचास प्रतिशत की तुलना में ऊर्जा शुल्क में कमी होने की स्थिति में, उक्त कमी की वसूली छह समान मासिक किस्तों में करने की अनुमति होगी:
- यह प्रावधानित है कि यदि किसी जलविद्युत जनरेटिंग स्टेशन से वास्तविक उत्पादन लगातार चार वर्षों की अवधि के लिए अभिकल्प ऊर्जा से कम रहता है और यह स्थिति जलविज्ञान कारक के कारण है, तो जनरेटिंग स्टेशन को संबंधित जलविज्ञान आंकड़ों सहित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास स्टेशन की अभिकल्प ऊर्जा के पुनरीक्षण हेतु आवेदन करना होगा।
- 19.8 यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विक्रय योग्य अनुसूचित ऊर्जा (ex-bus) विक्रय योग्य अभिकल्प ऊर्जा (ex-bus) से कम रहती है और यह स्थिति जनरेटिंग स्टेशन के नियंत्रण से परे कारणों से उत्पन्न हुई है तथा उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान इसकी वसूली नहीं की जा सकी है तो ऐसी कमी की वसूली इन विनियमों के उपबंध 19.7 के अनुसार की जाएगी।
- 19.9 यदि हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन के लिए इन विनियमों के उपबंध 19.5 के अंतर्गत गणना की गई ऊर्जा शुल्क दर (ECR) रुपये 0.80 प्रति kWh से अधिक होती है, और किसी वर्ष में वास्तविक विक्रय योग्य ऊर्जा $\{DE \times (100 - AUX) \times (100 - FEHS) / 10000\}$ MWh से अधिक होती है, तो उपर्युक्त सीमा से अधिक ऊर्जा के लिए ऊर्जा शुल्क का बिल केवल रुपये 0.80 प्रति kWh की दर से ही लगाया जाएगा।

पम्पड स्टोरेज हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशनों के लिए क्षमता शुल्क और ऊर्जा शुल्क की गणना एवं भुगतान

- 19.10 पम्पड स्टोरेज हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन की स्थिर लागत इन विनियमों में निर्दिष्ट मानकों के आधार पर वार्षिक रूप से गणना की जाएगी तथा मासिक आधार पर क्षमता शुल्क के रूप में वसूली जाएगी। यह क्षमता शुल्क उन लाभार्थियों द्वारा उनकी संबंधित हिस्सेदारी के अनुपात में देय होगा जो जनरेटिंग स्टेशन की विक्रय योग्य क्षमता (गृह राज्य हेतु निशुल्क शक्ति को छोड़कर) में उनका हिस्सा दर्शाता है।
- 19.11 पम्पड स्टोरेज हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन को किसी कैलेंडर माह के लिए देय क्षमता शुल्क होगा:
- (रुपयों में) $AFC \times NDM / NDY$, यदि माह के दौरान वास्तविक उत्पादन, माह के दौरान स्टेशन द्वारा उपभोग की गई पम्पिंग ऊर्जा का 75% या उससे अधिक है; और $\{(AFC \times NDM / NDY) \times (\text{माह के दौरान पीक आवर्स में वास्तविक उत्पादन} / \text{स्टेशन द्वारा माह के दौरान उपभोग की गई पम्पिंग ऊर्जा के 75\%})\}$ (रुपयों में), यदि माह के दौरान वास्तविक उत्पादन, स्टेशन द्वारा माह के दौरान उपभोग की गई पम्पिंग ऊर्जा के 75% से कम है।

जहाँ,

AFC :वर्ष के लिए निर्दिष्ट वार्षिक स्थिर लागत, रुपयों में;

NDM :माह के दिनों की संख्या;

NDY :वर्ष के दिनों की संख्या;

यह प्रावधानित है कि वर्ष के अंत में वास्तविक उत्पादन एवं स्टेशन द्वारा वर्ष के दौरान उपभोग की गई वास्तविक पम्पिंग ऊर्जा के आधार पर समायोजन किया जाएगा।

19.12 प्रत्येक लाभार्थी द्वारा ऊर्जा शुल्क उस कुल ऊर्जा के लिए देय होगा जो अभिकल्प ऊर्जा तथा जल को निचले स्तर के जलाशय से ऊपरी स्तर के जलाशय में पम्प करने में उपयोजित ऊर्जा के 75% से अधिक आपूर्ति के लिए अनुसूचित की गई हो। यह शुल्क एक समान दर पर देय होगा जो रुपये 0.20 प्रति kWh(20 पैसे प्रति kWh) की औसत ऊर्जा शुल्क दर के बराबर होगी। यह देयता एक्स पावर प्लांट आधार पर होगी तथा कैलेंडर माह के दौरान निःशुल्क ऊर्जा, यदि कोई हो, को शामिल नहीं करेगी।

19.13 किसी माह के लिए जनरेटिंग कंपनी को देय ऊर्जा शुल्क होगा:

= 0.20 × {माह के लिए अनुसूचित ऊर्जा (ex-bus) kWh में - (माह की अभिकल्प ऊर्जा (DEm + उस माह में निचले स्तर के जलाशय से ऊपरी स्तर के जलाशय में जल पम्प करने में उपयोजित ऊर्जा का 75%)} × (1 - FEHS);

जहाँ,

Dem :संबंधित हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन के लिए निर्दिष्ट माह की अभिकल्प ऊर्जा, MWh में;

FEHS :: गृह राज्य के लिए निःशुल्क ऊर्जा, प्रतिशत में;

यह प्रावधानित है कि यदि किसी माह में अनुसूचित ऊर्जा, उस माह की अभिकल्प ऊर्जा तथा निचले स्तर के जलाशय से ऊपरी स्तर के जलाशय में जल पम्प करने में उपयोजित ऊर्जा के 75% के योग से कम होती है, तो लाभार्थियों द्वारा देय ऊर्जा शुल्क शून्य होगा।

19.14 जनरेटिंग कंपनी को ऊपरी स्तर के जलाशय में प्राकृतिक जल प्रवाह के दैनिक आगम तथा ऊपरी स्तर एवं निचले स्तर के जलाशयों के जलस्तर का प्रति घंटा अभिलेख बनाए रखना होगा। जनरेटर को उपलब्ध जल, जिसमें प्राकृतिक जल प्रवाह भी सम्मिलित है, का उपयोग करते हुए पीक आवर्स के दौरान आपूर्ति को अधिकतम करने की आवश्यकता होगी। यदि यह स्थापित होता है कि जनरेटर ने बिना किसी वैध कारण के या जानबूझकर निचले स्तर के जलाशय से ऊपरी स्तर के जलाशय में ऑफ-पीक अवधि के दौरान जल पम्प नहीं किया, अथवा अपनी क्षमता के अनुसार विद्युत उत्पन्न नहीं की, या प्राकृतिक जल प्रवाह को व्यर्थ किया है, तो उस दिन के लिए क्षमता शुल्क लाभार्थी

द्वारा देय नहीं होगा। इस उद्देश्य के लिए, इकाई(यों)/स्टेशन की योजनाबद्ध अवरोधियाँ तथा वर्ष में अधिकतम 15% तक की बलपूर्वक अवरोधियाँ वैध कारण मानी जाएंगी, यदि इनकी वजह से ऑफ-पीक अवधि में जल पम्प नहीं किया जा सका हो या पम्प किए गए जल अथवा प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करके विद्युत उत्पादन नहीं किया गया हो:

यह प्रावधानित है कि यदि किसी वर्ष में कुल मशीन अवरोधियाँ 15% से अधिक हो जाती हैं, तो वर्ष के दौरान वसूल की गई कुल क्षमता शुल्क राशि का अनुपातिक आधार पर निम्नलिखित प्रकार से समायोजन किया जाएगा।

$$(ACC)_{adj} = (ACC) R \times (1 - ATO)/0.85$$

जहाँ,

(ACC)_{adj} – समायोजित वार्षिक क्षमता शुल्क

(ACC)_R – वसूल किया गया वार्षिक क्षमता शुल्क

ATO – वर्ष के लिए कुल अवरोध (आउटेज) प्रतिशत, जिसमें बलपूर्वक एवं योजनाबद्ध दोनों प्रकार की अवरोधियाँ शामिल हैं।

यह भी प्रावधानित है कि जनरेटिंग स्टेशन को ग्रिड कोड की समय-निर्धारण प्रक्रिया के अनुरूप, प्रत्येक दिन के सभी समय खंडों के लिए, अगले दिन के आधार पर अपनी मशीन उपलब्धता की घोषणा दैनिक रूप से करनी होगी।

- 19.15 संबंधित लोड डिस्पैच केंद्र, लाभार्थियों के साथ परामर्श कर, उपलब्ध घोषित समस्त ऊर्जा के इष्टतम उपयोग हेतु हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशनों के लिए अनुसूचियों को अंतिम रूप देगा। यह ऊर्जा, जनरेटिंग स्टेशन में लाभार्थियों के संबंधित आवंटन के अनुपात में, सभी लाभार्थियों हेतु अनुसूचित की जाएगी।

अध्याय - V

अनुसूचीकरण, लेखा-जोखा, बिलिंग और भुगतान

A20. अनुसूचीकरण

- 20.1 उत्पन्नीकरण स्टेशन के लिए अनुसूचीकरण और प्रेषणकी पद्धति ग्रिड कोड में निर्दिष्ट के अनुसार होगी, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है और जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

A21. मीटरिंग और लेखा-जोखा

21.1 ऊर्जा विनिमयों और 15-मिनट के समय खंड के आधार पर औसत आवृत्ति के लेखांकन हेतु आवश्यक डेटा के संकलन, परिवहन और प्रसंस्करण सहित, मीटरिंग व्यवस्था – अर्थात् मीटरों की स्थापना, परीक्षण, संचालन और अनुरक्षण – राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा राज्य भार प्रेषण केंद्र के परामर्श से ग्रिड कोड के अनुसार आयोजित की जाएगी। सभी संबंधित संस्थाएं (जिनके परिसरों में विशेष ऊर्जा मीटर स्थापित हैं) राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी/राज्य भार प्रेषण केंद्र के साथ पूर्ण सहयोग करेंगी तथा आवश्यक सहायता प्रदान करेंगी, जिसमें साप्ताहिक मीटर रीडिंग लेना और उन्हें राज्य भार प्रेषण केंद्र को प्रेषित करना सम्मिलित है। राज्य भार प्रेषण केंद्र मासिक आधार पर ऊर्जा के लिए तथा साप्ताहिक आधार पर यूआई शुल्कों के लिए लेखा-जोखा जारी करेगा।

अनिर्धारित अंतर्विनियम (UI) शुल्क

21.2 उत्पन्नीकरण स्टेशनों के लिए वास्तविक शुद्ध प्रविष्टि (actual net injection) और निर्धारित शुद्ध प्रविष्टि (scheduled net injection) के बीच तथा उपभोक्ता लाभार्थियों के लिए वास्तविक शुद्ध आहरण (scheduled net withdrawal) और निर्धारित शुद्ध आहरण के बीच होने वाले सभी अंतर को उनके-अपने अनिर्धारित अंतर्विनियम (UI) के रूप में माना जाएगा। ऐसे UIके शुल्क झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2008 तथा उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों या आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किसी प्रासंगिक विनियम के अनुसार नियंत्रित होंगे।

A22. शुल्कों की बिलिंग और भुगतान

22.1 उत्पादक कंपनी द्वारा इन विनियमों के अनुसार, क्षमता शुल्क और ऊर्जा शुल्क के बिल मासिक आधार पर तैयार किए जाएंगे, और लाभार्थियों द्वारा भुगतान सीधे उत्पादक कंपनी को किया जाएगा।

22.2 तापीय उत्पन्नीकरण स्टेशन के लिए क्षमता शुल्क का भुगतान, उस महीने की उत्पन्नीकरण स्टेशन की स्थापित क्षमता में उनके प्रतिशत अंशों के अनुसार, उत्पन्नीकरण स्टेशन के लाभार्थियों द्वारा साझा किया जाएगा। जलविद्युत उत्पन्नीकरण स्टेशन के लिए क्षमता शुल्क तथा ऊर्जा शुल्क का भुगतान, उत्पन्नीकरण स्टेशन के विक्रेय क्षमता में उनके अंशों के अनुपात में, लाभार्थियों द्वारा साझा किया जाएगा। विक्रेय क्षमता का निर्धारण, राज्य को प्रदत्त निःशुल्क ऊर्जा के अनुरूप क्षमता घटाने के बाद किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिए गए टिप्पणी 1 में वर्णित है।

टिप्पणी 1:

एफ.ई.एच.एस. (FEHS) - गृह राज्य हेतु निःशुल्क ऊर्जा प्रतिशत के रूप में 13% मानी जाएगी (यह प्रावधान राज्य के अपने उत्पन्नीकरण स्टेशनों पर लागू नहीं होगा)।

यह शर्त रखते हुए कि यदि किसी जलविद्युत परियोजना का स्थल राज्य सरकार द्वारा दो-चरणीय पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किसी ऐसे डेवलपर को प्रदान किया गया है जो राज्य नियंत्रित अथवा स्वामित्व वाली कंपनी नहीं है, तो “निःशुल्क ऊर्जा” 13% मानी जाएगी, जिसमें यह भी सम्मिलित होगा कि प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को वाणिज्यिक संचालन की तिथि से 10 वर्षों की अवधि तक प्रति माह 100 यूनिट विद्युत निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

विलंबित भुगतान अधिभार

22.3 यदि इन विनियमों के अंतर्गत देय किसी भी प्रभार के संबंध में जारी किसी बिल का भुगतान, बिल जारी किए जाने की तिथि से 45 दिनों की अवधि से अधिक समय तक किसी लाभार्थी द्वारा विलंबित किया जाता है, तो उत्पादन कंपनी द्वारा विलंब भुगतान अधिभार लगाया जाएगा। ऐसा अधिभार संबंधित वर्ष की 01 अप्रैल को लागू बैंकदर में 200 आधार अंक जोड़कर, प्रथम माह के लिए लागू होगा; तथा प्रत्येक आगामी माह या उसके किसी भाग के लिए विलंब की स्थिति में, विलंब भुगतान अधिभार की दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि की जाएगी, जो कि अधिकतम संबंधित वर्ष की 01 अप्रैल को लागू बैंकदर में 500 आधार अंकों तक सीमित होगी।

परंतु यह कि विलंब भुगतान अधिभार की दर, उत्पादन कंपनी और वितरण लाइसेंसी के बीच संपादित विद्युत क्रय समझौते में निर्दिष्ट दर से अधिक नहीं होगी।

रियायत

22.4 यदि उत्पादक कंपनी द्वारा प्रस्तुत बिलों (क्षमता शुल्क और ऊर्जा शुल्क) का भुगतान बिल प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 5 दिनों के भीतर किया जाता है, तो 1.50% की रियायत प्रदान की जाएगी। **टिप्पणी 1:** 5 दिनों की गणना के मामले में, दिनों की संख्या निरंतर गिनी जाएगी, किसी अवकाश को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। तथापि, यदि अंतिम दिन अथवा पाँचवाँ दिन सरकारी अवकाश हो, तो रियायत हेतु पाँचवाँ दिन राज्य सरकार के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार अगले कार्यदिवस के रूप में माना जाएगा – जहाँ उस लाभार्थी के अधिकृत हस्ताक्षरी अथवा प्रतिनिधि का कार्यालय, बिल की प्राप्ति या अनुमोदन हेतु स्थित है।

टिप्पणी 2: उदाहरण के अनुसार, यदि किसी महीने की पहली तारीख को बिल जारी किया जाता है, तो 5 दिनों की गणना महीने की दूसरी तारीख से शुरू की जाएगी। अर्थात् उस महीने की छठी तारीख रियायत प्राप्त करने की अंतिम तिथि मानी जाएगी।

अध्याय - VI

वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) और शुल्क दाखिल करने की प्रक्रिया

A23. बहुवर्षीय टैरिफ (MYT) दाखिल करने की प्रक्रिया

23.1 बहुवर्षीय टैरिफ (MYT) का दाखिला आयोग द्वारा इन विनियमों में दिए गए निर्देशों के अनुसार तथा यथासमय संशोधित या प्रतिस्थापित किए जाने वाले झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय के संचालन) विनियम, 2024 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

23.2 उत्पादक कंपनी को MYT दाखिला आयोग को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भी प्रस्तुत करना होगा।

23.3 उत्पादक कंपनी को नियंत्रण अवधि के अनुमोदन हेतु MYT याचिका और संबंधित दस्तावेज MYT ढांचे तथा इन विनियमों के **अनुच्छेद क 39** में निर्दिष्ट समय सीमाओं के अनुसार प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा:

क) आयोग स्वप्रेरणा से MYT आदेश जारी कर सकता है;

ख) आयोग उत्पादक कंपनी के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी की अनुमति न देने का निर्णय ले सकता है।

नियंत्रण अवधि के प्रारंभ से पूर्व

23.4 उत्पादक कंपनी को आयोग की स्वीकृति के लिए, इन विनियमों के **अनुच्छेद क 39** में निर्दिष्ट समयसीमाओं के अनुसार, एक व्यवसाय योजना और MYT याचिका अनुच्छेद 6.5 से 6.10 के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी।

नियंत्रण अवधि हेतु वार्षिक टैरिफ दाखिले

23.5 उत्पादक कंपनी को नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए टैरिफ अनुमोदन हेतु याचिका, इन विनियमों के **अनुच्छेद क 39** में निर्दिष्ट समयसीमाओं के अनुसार, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व दाखिल करनी होगी।

A24. आवेदन का निपटान

24.1 आयोग उत्पादक कंपनी द्वारा प्रस्तुत दाखिलों को इन विनियमों तथा झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय के संचालन) विनियम, 2024 और उसमें किए गए संशोधनों के अनुसार प्रक्रिया में लेगा।

24.2 उत्पादक कंपनी के दाखिलों, जनसामान्य तथा अन्य हितधारकों से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों के आधार पर, आयोग आवेदन को उपयुक्त एवं न्यायोचित समझे गए संशोधनों और/या शर्तों सहित स्वीकार कर सकता है, तथा याचिका प्राप्त होने की तिथि से 120 दिनों के भीतर, सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के उपरांत एक आदेश जारी करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित होंगे –आधार वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष के लिए सत्यापित राजस्व एवं लागत घटक, आधार वर्ष के पैरामीटरों का आकलन, तथानियंत्रण अवधि के लिए एआरआर एवं टैरिफ का निर्धारण।

A25. आवधिक समीक्षा

नियंत्रण अवधि के दौरान समीक्षा

25.1 बहुवर्षीय टैरिफ ढांचे के सुचारु क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आयोग नियंत्रण अवधि के दौरान उत्पादक कंपनी के प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा कर सकता है, ताकि उत्पन्न होने वाले व्यावहारिक मुद्दों, चिंताओं या अप्रत्याशित परिणामों को संबोधित किया जा सके।

25.2 उत्पादक कंपनी को, नियंत्रण अवधि के प्रारंभ में आयोग द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों की तुलना में अपने वास्तविक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु, इन विनियमों के अनुभाग क 39 में निर्दिष्ट समयसीमाओं के अनुसार, वार्षिक समीक्षा के भाग के रूप में वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत

करनी होगी। इस रिपोर्ट में कंपनी का वार्षिक प्रदर्शन और लेखे सम्मिलित होंगे, जिनमें परीक्षित/प्रमाणित खातों, प्राप्त मानकों, तथा इन विनियमों के अनुसार गणना किए गए टैरिफ से संबंधित विवरण शामिल होंगे।

- 25.3 उत्पादक कंपनी को इन विनियमों के अनुभाग क 39 में निर्दिष्ट समयसीमाओं के अनुसार एआरआर का सत्यापन तथा संबंधित टैरिफ समायोजन भी प्रस्तुत करना होगा। संशोधित अनुमानों की आवश्यकता होगी ताकि अवश्यम्भावी परिवर्तन तथा लक्ष्यों से अधिक प्रदर्शन के मामलों में लाभ-साझा तंत्र के अनुसार लागतों का डू-अप किया जा सके।
- 25.4 आयोग नियंत्रण अवधि की शेष अवधि के लिए उत्पादक कंपनी के अनुमानों में आवश्यक संशोधन, उनके विस्तृत आधार सहित, निर्दिष्ट कर सकता है।

नियंत्रण अवधि के अंत में समीक्षा

- 25.5 नियंत्रण अवधि के अंत की ओर, आयोग यह समीक्षा करेगा कि क्या इन विनियमों में निर्धारित सिद्धांतों का क्रियान्वयन अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हुआ है। इस समीक्षा के दौरान आयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, उद्योग संरचना, क्षेत्र की आवश्यकताएं, उपभोक्ता एवं अन्य हितधारकों की अपेक्षाएं तथा उस समय की उत्पादक कंपनी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखेगा। अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार आयोग आगामी नियंत्रण अवधि के लिए इन सिद्धांतों में संशोधन कर सकता है।
- 25.6 नियंत्रण अवधि का अंत अगली नियंत्रण अवधि की शुरुआत माना जाएगा, और उत्पादक कंपनी को आयोग द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किए जाने तक वही प्रक्रिया अपनानी होगी।
- 25.7 आयोग नियंत्रण अवधि के प्रारंभ में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उत्पादक कंपनी के प्रदर्शन का विश्लेषण करेगा, तथा वास्तविक प्रदर्शन, अपेक्षित दक्षता सुधार और उस समय की अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों के आधार पर, अगली नियंत्रण अवधि के लिए प्रारंभिक मान निर्धारित करेगा।

अध्याय - VII

विविध उपबंध

A26. स्वच्छ विकास तंत्र(CDM) के लाभों का साझा करना

- 26.1 अनुमोदित स्वच्छ विकास तंत्र (CDM)परियोजना से प्राप्त कार्बन क्रेडिट की आय निम्नलिखित प्रकार से साझा की जाएगी:
- उत्पादन स्टेशन की वाणिज्यिक परिचालन तिथि के पश्चात प्रथम वर्ष में, CDM से प्राप्त सकल आय का 100% परियोजना डेवलपर द्वारा रखा जाएगा;
 - द्वितीय वर्ष में उपभोक्ताओंका हिस्सा 10% होगा, जिसे प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि के साथ तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक यह 50% तक न पहुँच जाए, इसके बाद उत्पन्न आय उत्पादन कंपनी और उपभोक्ताओं के बीच समान रूप से बाँटी जाएगी।

A27. विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन

- 27.1 उत्पादन कंपनी, उत्पादन स्टेशन हेतु लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण के ब्याज और पुनर्भुगतान के संबंध में, आंशिक या पूर्ण रूप से अपनी विवेकाधीनता से विदेशी मुद्रा जोखिम को हेज कर सकती है।
- 27.2 यदि उत्पादन कंपनी स्वीकृत हेजिंग नीति के आधार पर हेजिंग व्यवस्था में प्रवेश करती है, तो ऐसी व्यवस्था में प्रवेश करने की सूचना संबंधित उपभोक्ताओं को तीस (30) दिनों के भीतर दी जाएगी।
- 27.3 प्रत्येक उत्पादन कंपनी, संबंधित वर्ष में मानक विदेशी ऋण से संबंधित विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन की हेजिंग लागत को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर उस अवधि के व्यय के रूप में वसूल करेगी जिसमें यह लागत उत्पन्न होती है। ऐसे विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन से संबंधित अतिरिक्त रुपया देयता को हेज किए गए विदेशी ऋण के विरुद्ध अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
- 27.4 जिस सीमा तक उत्पादन कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम को हेज करने में सक्षम नहीं है, उस स्थिति में संबंधित वर्ष में ब्याज भुगतान और ऋण पुनर्भुगतान से संबंधित मानक विदेशी मुद्रा ऋण के प्रति अतिरिक्त रुपया देयता अनुमन्य होगी, बशर्ते कि यह देयता उत्पादन कंपनी या उसके आपूर्तिकर्ताओं अथवा ठेकेदारों से संबद्ध या उनके कारण उत्पन्न न हुई हो।
- 27.5 उत्पादन कंपनी हेजिंग लागत और विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन की राशि को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर उस अवधि में आय या व्यय के रूप में वसूल करेगी जिसमें यह उत्पन्न होती है।

A 28. आवेदन शुल्क, प्रकाशन व्यय और वैधानिक शुल्कों की वसूली

- 28.1 उत्पादन कंपनी को राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए वैधानिक शुल्कों जैसे विद्युत शुल्क, जल उपकर तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देय भुगतान आदि की वसूली की अनुमति होगी आवेदन दाखिल शुल्क और प्रकाशन व्यय के अतिरिक्त, बशर्ते आयोग द्वारा यथोचितता जांच की गई हो। उत्पादन कंपनी को इस संबंध में विवरण याचिका के साथ प्रस्तुत करना होगा।

A 29. आदेशों और व्यवहारिक निर्देशों का निर्गमन

- 29.1 अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, आयोग समय-समय पर इन विनियमों के क्रियान्वयन, विभिन्न विषयों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिन पर आयोग को इन विनियमों द्वारा निर्देश देने का अधिकार प्रदान किया गया है, तथा उनसे संबंधित या सहायक विषयों के संबंध में आदेश और व्यवहारिक निर्देश जारी कर सकता है।
- 29.2 इन विनियमों में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, आयोग को यह अधिकार होगा कि वह स्वप्रेरणा से या किसी इच्छुक अथवा प्रभावित पक्ष द्वारा दायर याचिका पर किसी भी आवेदक का टैरिफ निर्धारित कर सके।

A30. निर्देशों का अनुपालन न करना

- 30.1 राज्य भार प्रेषण केंद्र विद्युत प्रणाली के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने और अधिकतम अर्थव्यवस्था तथा दक्षता प्राप्त करने हेतु आवश्यकतानुसार निर्देश दे सकता है तथा आवश्यक पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है, और प्रत्येक लाइसेंसधारी, उत्पादन कंपनी, उपकेंद्र, तथा विद्युत प्रणाली के संचालन से जुड़े अन्य सभी व्यक्तियों को ऐसे निर्देशों का पालन करना होगा।

- 30.2 यदि कोई उत्पादन कंपनी जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहती है, तो उसे विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 146 के अनुसार दंडनीय माना जाएगा।

A31. विवाद निवारण

- 31.1 विवाद की स्थिति में, कोई भी पक्ष, झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय संचालन) विनियम, 2024 के अनुसार, जैसा कि समय-समय पर संशोधित या पुनः अधिनियमित किया जा सकता है, के अंतर्गत विवाद के निपटान के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

A32. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

- 32.1 यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को प्रभावी करने में कोई कठिनाई आती है, तो आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उत्पादन कंपनी को ऐसे आवश्यक कदम उठाने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी कर सकता है, जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत न हों, और जो आयोग की दृष्टि में कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या उपयुक्त प्रतीत हों।
- 32.2 उत्पादन कंपनी इन विनियमों के क्रियान्वयन में उत्पन्न किसी कठिनाई को दूर करने हेतु आयोग के समक्ष याचिका दायर कर उपयुक्त आदेश प्राप्त कर सकती है।

A33. शिथिलीकरण की शक्ति

- 33.1 आयोग जनहित में और लिखित रूप से दर्ज कारणों के आधार पर, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में शिथिलीकरण प्रदान कर सकता है।

A34. व्याख्या

- 34.1 यदि इन विनियमों के किसी प्रावधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो उस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

A35. आयोग की निहित शक्तियों का संरक्षण

- 35.1 इन विनियमों में निहित किसी भी प्रावधान को ऐसा नहीं समझा जाएगा जिससे आयोग की निहित शक्तियाँ सीमित हों या उन पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़े। आयोग, मामले की या मामलों के किसी वर्ग की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा कारणों को अभिलेखित करते हुए, यदि आवश्यक या उपयुक्त समझे, तो इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया अपनाने का अधिकार रखेगा।

A36. जांच और अनुसंधान

- 36.1 इन विनियमों के अंतर्गत सभी जांचें, अनुसंधान तथा निर्णयआयोग द्वारा झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय संचालन) विनियम, 2024 के प्रावधानों के अनुसार, तथा समय-समय पर संशोधित रूप में, की जाएंगी।

A37. संशोधन की शक्ति

- 37.1 आयोग समय-समय पर इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को सम्मिलित, परिवर्तित, संशोधित, निलंबित, परिवर्धित या निरस्त कर सकता है।

A38. संरक्षण

- 38.1 इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसे आयोग की निहित शक्ति को सीमित करने या प्रभावित करने वाला माना जाए, जिसके अंतर्गत आयोग न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अथवा अपने प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक आदेश पारित कर सके।
- 38.2 इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं होगा जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाने से आयोग को रोके, जो इन विनियमों के किसी प्रावधान से भिन्न हो, यदि आयोग, किसी विषय या विषयों के समूह की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा कारणों को लिखित रूप से अभिलेखित करते हुए, ऐसी प्रक्रिया अपनाना उचित या आवश्यक समझे।
- 38.3 इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं होगा, जिसे स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से इस रूप में समझा जाए कि आयोग को ऐसे किसी विषय पर विचार करने या अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त किसी शक्ति का उपयोग करने से रोका गया है, जिसके लिए अभी तक कोई विनियम बनाए नहीं गए हैं। आयोग ऐसे विषयों, शक्तियों और कार्यों का निष्पादन उस प्रकार कर सकेगा, जैसा उसे उपयुक्त प्रतीत हो।

क्र.सं.	विवरण	याचिका दाखिल करनेकीतिथि	आयोग द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना	याचिका का निपटान
1.	नियंत्रण अवधि के लिए व्यावसायिक योजना और वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक की नियंत्रण अवधि के लिए एमवाईटी याचिका, जिसमें नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए टैरिफ भी शामिल है।	30 नवंबर, 2025	आवश्यक जानकारी से संबंधित पत्र जारी किए जाने की तिथि से 15 दिनों के भीतर	आवेदन स्वीकार होने के 120 दिनों के भीतर
2.	पिछले वर्ष के लिए सही-सही, चालू वर्ष के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा और नियंत्रण अवधि के अगले वर्ष के लिए ARR एवं टैरिफ निर्धारण	जिस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (APR) मांगी गई हो, उस वर्ष की 30 नवम्बर	आवश्यक जानकारी से संबंधित पत्र जारी किए जाने की तिथि से 15 दिनों के भीतर	आवेदन स्वीकार होने के 120 दिनों के भीतर

परिशिष्ट-I: मूल्यहासअनुसूची

संपत्ति विवरण	सीधी रेखा मूल्यहास(%)
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.00

पट्टे के अधीन भूमि	
जमीन में निवेश के लिए	2.67
साइट साफ करने की लागत के लिए	2.67
जल विद्युत उत्पादन स्टेशन के मामले में जलाशय के लिए भूमि	2.67
नई खरीदी गई संपत्तियां:	
उत्पादन स्टेशनों में संयंत्र और मशीनरी	
जल विद्युत	4.22
भाप विद्युत एनएचआरबी और अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति बॉयलर	4.22
डीजल विद्युत और गैस संयंत्र	4.22
कूलिंग टावर और परिसंचारी जल प्रणालियाँ	4.22
जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों का हिस्सा बनने वाले हाइड्रोलिक कार्य	
बांध, स्पिलवे, वीयर, नहरें, प्रबलित कंक्रीट फ्लूम और साइफन	4.22
प्रबलित कंक्रीट पाइप लाइनें और सर्ज टैंक, स्टील पाइप लाइनें, स्लुइस गेट, स्टील सर्ज टैंक, हाइड्रोलिक नियंत्रण वाल्व और हाइड्रोलिक कार्य	4.22
भवन एवं सिविल इंजीनियरिंग कार्य	
कार्यालय और शोरूम	2.67
ताप-विद्युत उत्पादन संयंत्र युक्त	2.67
जल विद्युत उत्पादन संयंत्र युक्त	2.67
अस्थायी निर्माण जैसे लकड़ी के ढांचे	100.00
कच्ची सड़कों के अलावा अन्य सड़कें	2.67
अन्य	2.67
ट्रांसफार्मर, कियोस्क, सब-स्टेशन उपकरण और अन्य स्थिर उपकरण (प्लांटर्नीवसहित)	
100 केवीए और उससे अधिक रेटिंग वाले फ़ाउंडेशन सहित ट्रांसफ़ॉर्मर	4.22
अन्य	4.22
स्विचगियर, केबल कनेक्शन सहित	4.22
बिजली रोकने वाले	
स्टेशन टाइप	4.22
पोल टाइप	4.22
तुल्य कालिक संघनित्र	4.22
बैटरियां	12.77
संयुक्त बॉक्स और डिस्कनेक्टेड बॉक्स सहित भूमिगत के बल	4.22
केबल और डक्ट सिस्टम	4.22
केबल समर्थन सहित ओवरहेड लाइनें	
66 के वी से अधिक टर्मिनल वोल्टेज पर स्टील सपोर्ट पर चलने वाली लाइनें	4.22
13.2 के वी से अधिक, लेकिन 66 के वी से अधिक नहीं, टर्मिनल वोल्टेज पर स्टील सपोर्ट पर चलने वाली लाइनें	4.22

स्टील या प्रबलित कंक्रीट समर्थन पर लाइनें	4.22
उपचारित लकड़ी के आधार पर रेखाएँ	4.22
मीटर	12.77
स्व-चालित वाहन	12.77
एयर कंडीशनिंग संयंत्र	
स्थिर	4.22
पोर्टेबल	7.60
फर्नीचर और साज-सज्जा	
कार्यालय फर्नीचर और साज-सज्जा	6.33
कार्यालय उपकरण	6.33
फिटिंग और उपकरण सहित आंतरिक वायरिंग	6.33
स्ट्रीट लाइट फिटिंग	6.33
उपकरण किराए पर दिए गए	
मोटरो के अलावा अन्य	7.60
मोटर	4.22
संचार उपकरण	
रेडियो और उच्च आवृत्तिवाहक प्रणालियाँ	6.33
टेलीफोन लाइनें और टेलीफोन	6.33
फाइबर ऑप्टिक	6.33
आई टी उपकरण और सॉफ्टवेयर	15.00
कोई अन्य परिसंपत्ति जो ऊपर कवर नहीं की गई है	4.22(या जैसा कि आयोग द्वारा परिसंपत्ति के जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्य को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित किया गया हो)

इस "झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत उत्पादन दर निर्धारण की शर्तें एवं नियमावली) 2025"के हिन्दी रूपान्तरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जायेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

आयोग के आदेशानुसार,

आर.पी. नायक,

सचिव

झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 33 - 50